विनियामक फोरम
(एफओआर)

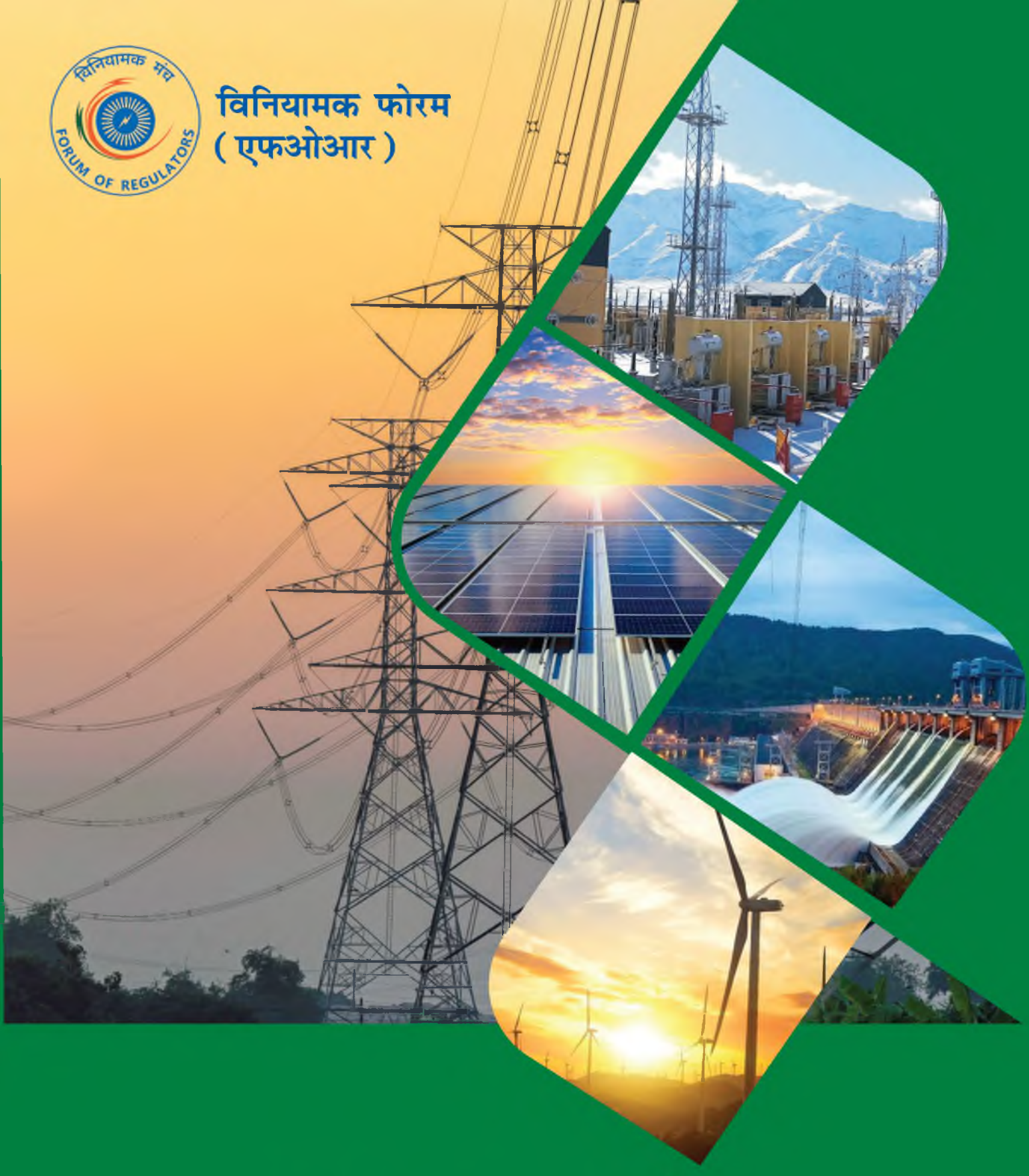

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

विनियामक फोरम (एफओआर)

प्रकाशक:

विनियामक फोरम (एफओआर)

सचिवालय: मार्फत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)

8वां तल, टॉवर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर नई दिल्ली-110029

दूरभाष +91-11-26189709

प्रस्तावना

मुझे विनियामक फोरम (एफओआर) की वित्तीय वर्ष की 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यह वार्षिक रिपोर्ट हमारे संगठन के एक और असाधारण वर्ष का सारांश प्रस्तुत करती है। इस वित्तीय वर्ष में व्यापक शोध, विभिन्न मुद्दों पर मॉडल विनियमन जारी करने और विनियामक आयोगों और मंत्रालयों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक विचार–विमर्श किया गया, जिससे महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए।

वित्तीय वर्ष के दौरान फोरम द्वारा की गई उल्लेखनीय गतिविधियों में संसाधन पर्याप्तता ढांचे के लिए मॉडल विनियमों का विकास सम्मिलित था। सभी मौजूदा और आने वाले संसाधनों, ग्रिड तत्वों और संबंधित प्रौद्योगिकियों पर विचार करते हुए मांग को पूरा करने के लिए सटीक योजना के महत्व को पहचानते हुए, फोरम के कार्य समूह ने विस्तृत बैठकों, अध्ययनों और विचार–विमर्श के माध्यम से 26 जून, 2023 को आयोजित एफओआर की 86वीं बैठक में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट विस्तृत अवलोकन प्रदान करती है तथा मांग आकलन एवं पूर्वानुमान, उत्पादन संसाधन नियोजन, खरीद नियोजन, तथा जवाबदेही, पर्याप्त नियोजन एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निगरानी एवं अनुपालन के लिए एक प्रमाण के रूप में कार्य करती है। फोरम ने सिफारिशों और मॉडल विनियमों का समर्थन किया तथा वे अपने राज्य–विशिष्ट परिदृश्यों के संबंध में पर्याप्त संसाधन नियोजन और उपलब्धता को प्रबंधित करने और सुनिश्चित करने के लिए सीखे गए सबक को सक्रिय रूप से लागू कर रहे हैं।

एफओआर की 83वीं बैठक में उच्च मानकों को पूरा करने, संगठन को मजबूत बनाने और इसकी अपील को बढ़ाने के लिए मौजूदा स्टाफ विनियमों को संशोधित करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई। इसके परिणामस्वरूप, सेबी, पीएफआरडीए आदि जैसे क्षेत्र विनियामकसहित अन्य विनियामककी प्रथाओं के आधार पर मॉडल स्टाफ विनियम तैयार करने का निर्णय लिया गया। एफओआर मॉडल स्टाफ विनियमों का विवरण देने वाली रिपोर्ट 15 दिसंबर, 2023 को आयोजित एक विशेष एफओआर बैठक में प्रस्तुत की गई और उसी बैठक में अनुमोदित कर ली गई। मेरा मानना है कि यह ढांचा न केवल राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के लिए अपितु अन्य क्षेत्रीय विनियामकके लिए भी उनके मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को आधुनिक बनाने में लाभकारी सिद्ध होगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि, उत्पादन संयंत्रों और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं की स्थिति के सत्यापन पर एफओआर मॉडल विनियमों का समर्थन था। यह मुद्दा मॉडल विनियमों के विकास से संबंधित था, जिन्हें राज्य अपनी जमीनी हकीकत के अनुरूप अपना सकते थे, तथा कैप्टिव उत्पादन और उपभोग की स्थिति के सत्यापन के लिए एक मानक तंत्र स्थापित कर सकते थे। महत्वपूर्ण विचार–विमर्श के उपरांत एक कार्य समूह का गठन किया गया, जिसने विस्तृत अध्ययन के पश्चात, विभिन्न आयोगों के समक्ष आने वाले मुद्दों पर विचार करते हुए, एफओआर की 86वीं बैठक में एक मजबूत मॉडल विनियमन प्रस्तुत किया। यह संबंधित आयोगों के लिए अपने स्वयं के विनियामकअनुकूलन तैयार करने के लिए एक मार्गदर्शक ढांचा प्रदान करता है ताकि विनियामक आयोगों में प्रतिभाशाली और संसाधन संपन्न अधिकारियों और कर्मचारियों को आकर्षित किया जा सके।

विद्युत क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए, फोरम डिस्कॉम्स की असंवहनीय परिचालन घाटे के कारण उनकी व्यवहार्यता के संबंध में जारी चिंताओं को स्वीकार करता है। फोरम का मुख्य उद्देश्य घाटे में कमी और डिस्कॉम की व्यवहार्यता को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समाधान खोजना था, जिसके परिणामस्वरूप इस मुद्दे पर एक कार्य समूह की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त, फोरम जलविद्युत से संबंधित

चुनौतियों, विशेष रूप से पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) और ग्रिड स्थिरता प्रदान करने में उनकी भूमिका से संबंधित चुनौतियों का समाधान एक अलग कार्य समूह के माध्यम से कर रहा है।

मानव संसाधन विकसित करने की अपनी प्रमुख जिम्मेदारी के अनुरूप, फोरम ने कार्मिकों और ई.आर.सी. के सदस्यों के लिए दो क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें फरीदाबाद में एनपीटीआई में सीजीआरएफ और लोकपाल के अधिकारियों के लिए "उपभोक्ता हितों की सुरक्षा" और साथ ही सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में विद्युत विनियामक आयोगों के सदस्यों के लिए "चौथा वैश्विक विनियामक परिप्रेक्ष्य कार्यक्रम" शामिल था। फोरम ने इस क्षेत्र में उभरती मांगों और विकास के अनुरूप अपने अधिकारियों के क्षमता निर्माण को निरंतर प्राथमिकता दी है।

हमारी प्रगति सदैव हमारे सदस्यों की समर्पित भागीदारी पर निर्भर करती है, और मैं पूरे वर्ष उनकी अक्षुण्ण प्रतिबद्धता के लिए सभी हितधारकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जैसे–जैसे हम 2047 तक विकसित भारत के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम उनकी निरंतर साझेदारी और टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं और पारस्परिक उत्कृष्टता से प्रेरित भविष्य बनाने के सामूहिक प्रयास की अपेक्षा करते हैं।

अध्यक्ष,
एफओआर

विषय–वस्तु

1. **फोरम ऑफ रेगुलेटर्स (फॉर) के बारे में** 7

फोरम का गठन 7

फोरम के कार्य 7

फोरम का वित्त 8

मिशन वक्तव्य 9

2. **फोरम की गतिविधियाँ** 10

क. फोरम ऑफ रेगुलेटर्स की बैठकें

1. 18 अप्रैल, 2023 को धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित 85वीं बैठक 10

2. 26 जून, 2023 को ऊटी, तमिलनाडु में आयोजित 86वीं बैठक 10

3. 25 अगस्त, 2023 को अगरतला, त्रिपुरा में आयोजित 87वीं बैठक 11

4. 13 अक्टूबर, 2023 को मसूरी, उत्तराखंड में आयोजित 88वीं बैठक 11

5. 17 जनवरी, 2024 को कोणार्क, ओडिशा में आयोजित 89वीं बैठक 11

6. 14 जून, 2023 को सीईआरसी, नई दिल्ली में आयोजित विशेष बैठक 12

7. 15 दिसंबर, 2023 को सीईआरसी, नई दिल्ली में आयोजित विशेष बैठक 12

8. 8 फरवरी, 2024 को सीईआरसी, नई दिल्ली में आयोजित विशेष बैठक 12

ख. कार्य समूहः **12**

ग. पूरे किए गए अध्ययनः **13**

1. संसाधन पर्याप्तता ढांचे के लिए मॉडल विनियमन विकसित करना 14

2. मॉडल स्टाफ विनियमन तैयार करना 16

घ. क्षमता निर्माण कार्यक्रम **18**

3. **2023–24 के दौरान विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकायों की उपलब्धियाँ (सीईआरसी / एसईआरसी / जेईआरसी)** **20**

क. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग 20

ख. राज्य विद्युत विनियामक आयोग 24

4.	राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थिति रिपोर्ट	29
5.	सीईआरसी, एसईआरसी और जेईआरसी के अध्यक्षों की सूची	32
6.	वर्ष 2023—24 के लिए वार्षिक लेखा—जोखा	34
	अनुलग्नक-I	**56**
	वर्ष के दौरान राज्य विद्युत विनियामक आयोगों / जेईआरसी द्वारा जारी महत्वपूर्ण विनियम और आदेश	56
	अनुलग्नक-II	**116**
	सीईआरसी द्वारा निर्धारित उत्पादन शुल्क	116
	अनुलग्नक-III	**126**
	राज्य विद्युत विनियामक आयोगों / जेईआरसी द्वारा जारी शुल्क आदेश जारी करने की समय—सीमा	126
	अनुलग्नक-IV	**134**
	सीजीआरएफ और लोकपाल का कामकाज	**134**
	वित्त वर्ष 2023—24 के दौरान सीजीआरएफ और लोकपाल के संबंध में रिक्त पदों का सारांश	134
	सीजीआरएफ द्वारा शिकायतों के निपटान की स्थिति – अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक	135
	लोकपाल द्वारा शिकायतों के निपटान की स्थिति – अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक	139

1 विनियामक फोरम (एफओआर) के बारे में

विद्युत क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र विनियामक आयोग की संकल्पना वर्ष 1990 के दशक के पूर्वार्ध में हुई, जब महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली विद्युत पर राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) समिति ने वर्ष 1994 में ''सार्वजनिक और निजी उपादेयताओं की टैरिफ नीतियां विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र पेशेवर टैरिफ बोर्ड'' के गठन की सिफारिश की थी। समिति ने दोहराया कि टैरिफ बोर्ड प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए उपयुक्त बिजली टैरिफ विकसित करने के मामले में अपने साथ उच्च स्तरीय व्यावसायिकता लाने में सक्षम होंगे। वर्ष 1996 में आयोजित मुख्यमंत्री सम्मेलन में एक विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को दोहराया गया था। विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना जो इस सम्मेलन में विकसित हुई, में अन्य बातों के साथ–साथ इस बात पर सहमति बनी कि राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी) में सुधार लाना और उनका पुनर्गठन नितांत आवश्यक है और इन्हें एक निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाए तथा इस दिशा में एक कदम के रूप में विद्युत विनियामक आयोग सृजित करने की बात पर सहमति बनी। इस प्रकार, केंद्र और राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के सृजन का मार्ग प्रशस्त करते हुए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 (संक्षेप में, 1998 अधिनियम) अधिनियमित किया गया था। वर्ष 1998 का अधिनियम टैरिफ विनियमन से सरकार को दूर करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। वर्ष 1998 का अधिनियम केंद्र और राज्यों में तर्कसंगत बिजली दर, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियों आदि के लिए ईआरसी का प्रावधान करता है। वर्ष 1998 अधिनियम को तब से विद्युत अधिनियम, 2003 (संक्षेप में, 2003 अधिनियम) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। वर्ष 2003 अधिनियम की शुरूआत के साथ, अन्य बातों के साथ–साथ सरकार को बिजली बाजार के विकास और सलाहकार कार्य की भूमिका निर्दिष्ट करते हुए विद्युत विनियामक आयोगों के कार्य बढ़ा दिये गयें। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) और अधिकांश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) का गठन 1998 अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। हालाँकि, कुछ एसईआरसी/जेईआरसी जैसे मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एमएसईआरसी), जेईआरसी– (मणिपुर और मिजोरम), जेईआरसी (गोवा और केंद्र शासित प्रदेश) और जेईआरसी (जम्मू और कश्मीर और लद्दाख) का गठन वर्ष 2003 अधिनियम के लागू होने के उपरांत किया गया था। इस फोरम का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय की 16 फरवरी, 2005 की अधिसूचना के अंतर्गत किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य सीईआरसी, एसईआरसी और जेईआरसी द्वारा बिजली क्षेत्र के लिए तैयार किये गए नियमों के साथ तालमेल बैठाना था।

फोरम (फोरम) का गठन

यह फोरम केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष और राज्य आयोगों के अध्यक्ष से मिलकर बनता है। केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष एफओआर का अध्यक्ष होता है। केंद्रीय आयोग का सचिव फोरम का पदेन सचिव होता है। केंद्रीय आयोग इस फोरम को सचिवीय सहायता प्रदान करता है। इस फोरम का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित होगा।

फोरम के कार्य–कलाप

यह फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:

1) डेटा संग्रह और विश्लेषण:

क. केंद्रीय आयोग और राज्य आयोगों की दर–सूची (टैरिफ) के आदेशों और अन्य आदेशों का विश्लेषण, अधिनियम और टैरिफ नीति के प्रावधानों से अंतर, यदि कोई हो, पर प्रकाश डालना, क्या टैरिफ आदेश और सही समय पर

किए गए हैं, और क्या टैरिफ सभी विवेकसम्मत लागत प्रदर्शित करते हैं, और क्या देय सब्सिडी को समुचित रूप से लेखाबद्ध किया गया है और अधिनियम की धारा 65 के अनुसार उसका भुगतान किया गया है।

2) सब्सिडी लेखांकन –

क. देश में प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी का यह उल्लेख करते हुए त्रैमासिक विवरणियां तैयार करना कि क्या वितरण कंपनियां सब्सिडीकृत श्रेणी के अंतर्गत उपभोग की गई ऊर्जा और देय प्रति यूनिट सब्सिडी के सटीक लेखाओं के आधार पर हर तिमाही में सब्सिडी की मांग करती हैं, और क्या उक्त सब्सिडी का भुगतान, देय और प्रदत्त सब्सिडी में अंतर के साथ–साथ अन्य सुसंगत विवरण अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत किया जाता है।

ख. देय सब्सिडी की संगणना विद्युत मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी और यह विवरण फोरम द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति तिथि से तीस दिनों के भीतर केंद्र सरकार और संबंधित राज्य आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।

3) नवीकरणीय खरीद अनुपालन की निगरानी –

क. प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी, कैप्टिव खपत और खुली पहुंच के माध्यम से बिजली खरीदने वाले उपभोक्ता द्वारा लक्ष्यों का अनुपालन नवीकरणीय स्रोतों से बिजली की खरीद जो केंद्र सरकार या राज्य आयोग द्वारा निर्धारित हो, जो भी अधिक हो, के लिए अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, विनियम, दिशानिर्देश प्रावधानों के अनुसार करेगा।

ख. नवीकरणीय ऊर्जा से खरीद के लक्ष्यों के अनुपालन के लिए डेटा और उसके विश्लेषण से युक्त वार्षिक प्रतिवेदन आगामी वित्तीय वर्ष के 31 मई तक केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

4) विद्युत क्षेत्र में विनियमन का सामंजस्य;

5) लाइसेंसधारियों के कार्य निष्पादन मानक निर्धारित करना जो अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित हैं;

6) फोरम के सदस्यों के बीच सामान्य हित और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न मुद्दों पर सूचना साझा करना;

7) विद्युत क्षेत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर आंतरिक या आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनुसंधान कार्य करना;

8) उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने और विद्युत क्षेत्र में दक्षता लाने, अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उपाय विकसित करनाय और

9) ऐसे अन्य कार्यकलाप करना जो केंद्र सरकार समय–समय पर फोरम को निर्दिष्ट करे।

फोरम का वित्तपोषण

केंद्रीय आयोग, फोरम का सचिवालय होने के नाते, फोरम के कार्यकलाप संचालित करने के लिए राज्य आयोगों से आवश्यक वित्तीय अंशदान ले सकता है। केंद्रीय आयोग फोरम के कार्यकलापों का अलग लेखा–जोखा रखेगा।

मिशन कथन

विनियामक फोरम की संकल्पना भारत में विद्युत क्षेत्र में हिस्सेदारी रखने वाले सभी लोगों के स्वतंत्र विनियमन के विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के मिशन के उद्देश्य से गई थी। इस उद्देश्य की पूर्ति में, फोरम के लक्ष्य इस प्रकार हैं:

1) विद्युत क्षेत्र में विनियमन का सामंजस्य

2) संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय नीतियों का अनुपालन

3) भारत के विद्युत क्षेत्र में विनियामक सुनिश्चितता बनाए रखने के लिए ईआरसी को फोरम प्रदान करना

4) उपभोक्ताओं के हित में व्यापक नीतियों/विनियमों का कार्यान्वयन करते हुए विद्युत क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की पहल को सुविधाजनक बनाना।

2 फोरम की गतिविधियाँ

क. विनियामक फोरम की बैठकें

फोरम ने वर्ष 2023–24 के दौरान आठ बैठकें आयोजित कीं और इन बैठकों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनी। एफओआर की इन आठ बैठकों में से तीन बैठकें विशेष बैठकें थीं।

1. धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 18 अप्रैल, 2023 को आयोजित एफओआर की 85वीं बैठक

इस बैठक के दौरान फोरम द्वारा:

- सदस्यता शुल्क के पुनर्गठन पर एफओआर कार्य समूह की सिफारिशों को शामिल करते हुए एफओआर के बजट को अनुमोदित किया गया।
- केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा (सीपीईएस) के अधिकारियों के कैडर निर्धारण के संबंध में सीईए के प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसमें सीईए ने कहा कि विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक रूप से नियंत्रित केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा (सीपीईएस) के पास विद्युत क्षेत्र के विकास के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञता है और इसलिए वे अन्य एजेंसियों के अलावा विनियामक के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक विशेषज्ञता की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होंगे। फोरम ने निर्णय लिया कि चूंकि ईआरसी अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले अधिकारी हैं, इसलिए सीपीईएस के अधिकारी ईआरसी में पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं जब आवेदन मांगे जाते हैं और उनका चयन योग्यता और ईआरसी की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। इसलिए, संवर्गीकरण अपेक्षित नहीं है।
- ''हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए ओपन एक्सेस शुल्क और बैंकिंग शुल्क की गणना'' पर एफओआर मॉडल विनियमों के संबंध में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के संदर्भ पर चर्चा की गई, जिसमें विद्युत मंत्रालय ने कुछ बिंदु सुझाए।

2. ऊटी, तमिलनाडु में 26 जून 2023 को आयोजित एफओआर की 86वीं बैठक

इस बैठक के दौरान फोरम द्वारा:

- नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित नीति और विनियामक मामलों पर एक कार्य समूह का गठन किया गया।
- वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एफओआर के लेखापरीक्षित लेखाओं को अनुमोदित कर अंगीकृत किया गया।
- उत्पादन संयंत्रों और उनके उपयोगकर्ताओं की कैप्टिव स्थिति के सत्यापन पर एफओआर–मॉडल विनियम अनुमोदित किए गए।
- नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों के संदर्भ में सीईआरसी (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम 2022 के अंतर्गत संशोधनों की आवश्यकता पर चर्चा की गई।
- नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ग्रुप नेट–मीटरिंग और वर्चुअल नेट–मीटरिंग के कार्यान्वयन के लिए मॉडल विनियम अनुमोदित किए गए।
- विद्युत मंत्रालय से प्राप्त निम्नलिखित प्रतिनिर्देशों पर चर्चा की गई:
  - o आरडीएसएस के अंतर्गत अनुमोदित एटी एंड सी हानि लक्ष्य के अनुरूप राज्य विद्युत विनियामक आयोगों/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा निर्धारित वितरण हानियों का संरेखण: फोरम ने नोट किया कि इस संबंध में संबंधित राज्य आयोगों द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है।

- विद्युत (हरित ऊर्जा मुक्त पहुँच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022 के अंतर्गत हरित टैरिफ का निर्धारण और नियमों का कार्यान्वयनः सदस्यों ने संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा उचित कार्रवाई हेतु इस पर ध्यान दिया।

- डेटा केंद्रों को विद्युत आपूर्ति की सुविधा के लिए तकनीकी समिति की रिपोर्टः फोरम ने विस्तृत सिफारिशों की सराहना की और निर्णय लिया कि संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है।

- वितरण लाइसेंसधारियों (डिस्कॉम) के अलावा अन्य बाध्य संस्थाओं द्वारा उनके नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) से परे खरीदी गई अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा के उपचार के संबंध में भारतीय ग्रिड नियंत्रक के प्रतिनिर्देश पर चर्चा की गई। भारतीय ग्रिड नियंत्रक ने सुझाव दिया कि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा रिपोर्ट किया गया अतिरिक्त आरपीओ अनुपालन वास्तव में अन्य बाध्य संस्थाओं के अतिरिक्त आरपीओ के कारण हो सकता है, जिससे उत्तरदायित्व निर्धारण में संभावित समस्या पर प्रकाश डाला गया।

- ''ऊर्जा भंडारण के लिए संसाधन पर्याप्तता और विनियामक ढांचे'' (मॉडल विनियमों सहित) पर एफओआर कार्य समूह की रिपोर्ट का समर्थन किया गया।

3. अगरतला, त्रिपुरा में 25 अगस्त 2023 को आयोजित एफओआर की 87वीं बैठक

इस बैठक के दौरान फोरम द्वाराः

- 14 जून 2023 को जारी विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम 2023 के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की गई।

- विद्युत मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले विभिन्न नियमों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा करने के उद्देश्य से नियमों के सामंजस्य पर कार्य समूह का गठन किया गया।

- बहुवर्षीय वितरण टैरिफ के लिए मॉडल टैरिफ विनियमों पर विद्युत मंत्रालय द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों पर चर्चा की गई।

4. मसूरी, उत्तराखंड में 13 अक्तूबर 2023 को आयोजित एफओआर की 88वीं बैठक

इस बैठक के दौरान फोरम द्वाराः

- डिस्कॉम के कार्य निष्पादन को प्रभावित करने वाले मुद्दों का अध्ययन करने के लिए डिस्कॉम की व्यवहार्यता पर एक कार्य समूह का गठन किया गया।

- एपीडीसीएल, असम द्वारा स्मार्ट मीटर कार्यान्वयन के लिए आत्मनिर्भर मॉडल पर चर्चा की गई।

- आईईजीसी, जीएनए पर सीईआरसी विनियमों के कार्यान्वयन और पारेषण शुल्क और हानियों को साझा करने पर चर्चा की गई।

5. कोणार्क, ओडिशा में 17 जनवरी 2024 को आयोजित एफओआर की 89वीं बैठक

इस बैठक के दौरान फोरम द्वाराः

- वितरण क्षेत्र के लिए उच्चतम सीमा टैरिफ पर अध्ययन पर चर्चा की गई।

- ग्रिड स्थिरता के लिए जल विद्युत, विशेष रूप से पंप भंडारण के विकास में तेजी लाने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया।
- नवीकरणीय ऊर्जा नीति और संबंधित मामलों पर थ्व्ॅळ की प्रारंभिक रिपोर्ट पर चर्चा की गई।
- भारतीय विद्युत क्षेत्र में विनियामक शासन पर आईआईटी कानपुर द्वारा किए गए अध्ययन पर चर्चा की गई।

6. सीईआरसी, नई दिल्ली में 14 जून 2023 को आयोजित एफओआर की विशेष बैठक

इस बैठक के दौरान फोरम द्वारा:

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई पहलों और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विनियामक समर्थन पर चर्चा की गई।
- आरपीओ अनुपालन पर पोर्टल पर चर्चा की गई।
- ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर सोलर रूफटॉप पीवी और पी2पी ट्रेडिंग एनर्जी की राष्ट्रीय रजिस्ट्री पर चर्चा की गई।
- ब्लॉकचेन पायलट परियोजनाओं पर चर्चा की गई।

7. सीईआरसी, नई दिल्ली में 15 दिसंबर 2023 को आयोजित एफओआर की विशेष बैठक

इस बैठक के दौरान फोरम द्वारा:

- एफओआर मॉडल स्टाफ विनियमों पर एफओआर कार्य समूह की रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया।
- ईआरसी के अध्यक्षों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर चर्चा की गई।
- आयुक्तों के भत्ते/वेतन पर चर्चा की गई।

8. सीईआरसी, नई दिल्ली में 8 फरवरी 2024 को आयोजित एफओआर की विशेष बैठक

बैठक के दौरान फोरम ने निम्नलिखित पर चर्चा की।

- सीईआरसी संयोजकता और अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली तक सामान्य नेटवर्क पहुंच के संदर्भ में मॉडल विनियम) विनियम 2022
- टैरिफ विनियमों में बायोमास सह–फायरिंग।

ख. कार्य समूहः

वर्ष के दौरान, एफओआर ने निम्नलिखित कार्य समूह/समितियां गठित कीं:

क) नीति और विनियामक मामलों से संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) के विभिन्न उभरते मुद्दों से निपटने के लिए कार्य समूह।

ख) एफओआर की स्थायी तकनीकी समिति का पुनर्गठन किया गया।

ग) भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जा रहे विभिन्न नियमों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के संदर्भ में मुद्दों के समाधान के लिए षनियमों और विनियमों के सामंजस्य/ पर कार्य समूह।

(घ) डिस्कॉम की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए कार्य समूह, जिसमें घाटे में कमी, कर्मचारी लागत और डिस्कॉम की व्यवहार्यता को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(ङ) देश में जलविद्युत विकास को प्रोत्साहित करने के उपायों का पता लगाने तथा जलविद्युत क्षमता (पंप भंडारण सहित) का दोहन तेज करने के तरीके और साधन सुझाने के लिए कार्य समूह।

ग. फोरम द्वारा किए गए अध्ययनः

वितरण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, तथा वितरण कम्पनियों की वित्तीय स्थिति और परिचालन दक्षता, क्षेत्र की समग्र व्यवहार्यता के लिए भी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में विद्युत वितरण क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता और स्थिरता में सुधार के लिए विभिन्न सुधार लागू किए गए हैं। वर्ष 2003 के विद्युत अधिनियम ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और एक ही आपूर्ति क्षेत्र में कई लाइसेंसधारियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से एक विनियामक ढांचा प्रस्तुत करके इन सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इन उद्देश्यों के अनुरूप, एफओआर ने भारत में वितरण क्षेत्र के लिए अधिकतम टैरिफ का अध्ययन करने और प्रस्ताव देने के लिए ळमड के माध्यम से बोली लगाकर एक परामर्शदाता को नियुक्त किया।

इसका कार्यक्षेत्र इस प्रकार हैः

- भारत में बिजली की खुदरा बिक्री के लिए अधिकतम शुल्क सीमा पर मौजूदा कानूनी, नीतिगत और विनियामक ढांचे का अध्ययन करना।
- वितरण क्षेत्र में बिजली की खुदरा बिक्री के लिए अधिकतम शुल्क के कार्यान्वयन और संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों की समीक्षा करना।
- भारत में बिजली की खुदरा बिक्री के लिए अधिकतम शुल्क के कार्यान्वयन में चुनौतियों की पहचान करना।
- उपरोक्त अभ्यासों से प्राप्त सीखों के आधार पर भारतीय संदर्भ में अधिकतम टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए संभावित विकल्प/परिदृश्य विकसित करना।
- भारत में डिस्कॉम के लिए बिजली की खुदरा बिक्री के लिए अधिकतम टैरिफ व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए खाका/ढांचा विकसित करना।

कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित खाके के साथ "भारत में वितरण क्षेत्र के लिए उच्चतम सीमा वाले टैरिफ" पर एफओआर अध्ययन रिपोर्ट को जनवरी 2024 में आयोजित एफओआर की 89वीं बैठक में अनुमोदित किया गया।

क. व्हीलिंग और आपूर्ति खाता पृथक्करणः

i. अधिकतम टैरिफ में नेटवर्क और परिचालन लागत का सटीक निर्धारण करने के लिए डिस्कॉम खातों को व्हीलिंग और आपूर्ति व्यवसाय में अलग करना आवश्यक है।

ii. प्रत्येक लागत मदों का तदनुसार पृथक–पृथक लागतों के साथ बेंचमार्क बनाया जा सकता है/सूचीबद्ध किया जा सकता है।

ख. क्रॉस सब्सिडी का सुव्यवस्थितिकरणः

i. यह देखा गया है कि हेडरूम की अनुमति देने के बाद भी, कई उप–श्रेणियों का एबीआर अधिकतम टैरिफ से अधिक रहता है।

ii. टैरिफ नीति के अनुरूप ±20%, के भीतर क्रॉस सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने से यह सुनिश्चित होगा कि टैरिफ अधिकतम सीमा से नीचे या बराबर रहे।

ग. हेडरूम के लिए विस्तृत लागत विश्लेषण:

i. मूल्य में उतार–चढ़ाव या अनियंत्रित लागत के कारण राज्य दर राज्य अलग–अलग हो सकते हैं।

ii. राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) अपने–अपने राज्यों/क्षेत्र में डिस्कॉम के लिए विस्तृत विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे वे पिछले ट्रू–अप में लागत की भिन्नता की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर अधिकतम टैरिफ में हेडरूम भत्ते के उचित स्तर की गणना कर सकें।

घ. अधिकतम सीमा शुल्क की क्षेत्र प्रयोज्यता:

i. राज्य विद्युत विनियामक आयोग अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र के प्रकार के आधार पर यह निर्णय ले सकते हैं कि किस क्षेत्र में अधिकतम टैरिफ लागू किया जाना है:

1. पूरे राज्य में एक ही डिस्कॉम
2. अनेक डिस्कॉम लेकिन एक समान टैरिफ
3. एकसमान टैरिफ के बिना एकाधिक समानांतर लाइसेंस

च) राज्य विद्युत विनियामक आयोग अपने–अपने क्षेत्रों में डिस्कॉम्स के लिए विस्तृत विश्लेषण कर सकते हैं।

छ) राज्य विद्युत विनियामक आयोग राज्य में विद्युत वितरण उपयोगिताओं के लिए अगली नियंत्रण अवधि की शुरुआत के साथ–साथ प्रथम अधिकतम टैरिफ निर्धारित कर सकता है। यदि राज्य में विभिन्न डिस्कॉम्स की नियंत्रण अवधि भिन्न है, तो आयोग उस वर्ष पर निर्णय ले सकता है जो राज्यक्षेत्र में बड़ी डिस्कॉम्स की नियंत्रण अवधि के प्रारंभ के करीब हो (इस प्रकार, अधिक उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा) या डेटा की उपलब्धता के आधार पर किसी वर्ष पर निर्णय ले सकता है।

1. संसाधन पर्याप्तता ढांचे के लिए आदर्श विनियमन विकसित करना

17 अगस्त 2020 को आयोजित 72वीं बैठक के दौरान एफओआर का एक कार्य समूह गठित किया गया, जिसका कार्य क्षेत्र निम्नलिखित है:

1) राज्यों में संसाधन पर्याप्तता की अपेक्षा का आकलन करने के लिए विशेष रूप से देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और देश में मौजूदा ताप विद्युत उत्पादन स्टेशनों पर इसके प्रभाव को देखते हुए अध्ययन,य

2) ऊर्जा भंडारण की अपेक्षा पर विचार–विमर्श करना तथा ऊर्जा भंडारण के लिए विनियामक ढांचे का सुझाव देनाय

3) इस संबंध में आदर्श विनियम तैयार करना।

कार्य समूह की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

भाग क: मांग आकलन और पूर्वानुमान

- वितरण लाइसेंसधारियों को नवीनतम ईपीएस को आधार मानकर मांग का पूर्वानुमान लगाना चाहिए, जिसमें उपभोक्ता डेटा, ऐतिहासिक और मौसम संबंधी डेटा, जनसांख्यिकीय चर और टीएंडडी घाटे जैसे विभिन्न इनपुट को एकीकृत किया जाए।

- पूर्वानुमानों में विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों और मौसमी विविधताओं में उपभोग प्रोफाइल पर विचार किया जाए।
- लाइसेंसधारियों को अपने पूर्वानुमानों में एलईडी प्रवेश, उपकरण उपयोग और अन्य ऊर्जा खपत कारकों जैसे कारकों को शामिल किया जाए।
- पूर्वानुमान 1–वर्ष (अल्पावधि) और 5–वर्ष (मध्यावधि) अवधि के लिए प्रति घंटे तैयार किया जाए।
- राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एसटीयू) या राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) को इन पूर्वानुमानों को एकत्रित किया जाए और उन्हें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)/राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) को प्रस्तुत किया जाए।

भाग खः उत्पादन संसाधन नियोजन

- क्रेडिटिंग क्षमता, संसाधन पर्याप्तता (आरए) मूल्यांकन, विशेष रूप से परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा (वीआरई) के लिए अत्यंत आवश्यक है,।
- पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों पर विचार करते हुए, वीआरई क्षमता क्रेडिट गणना के लिए शुद्ध भार–आधारित दृष्टिकोण का उपयोग किया जाए।
- जलविद्युत और तापीय संसाधनों के लिए क्षमता क्रेडिट में क्रमशः जल उपलब्धता और कोयले की उपलब्धता पर विचार किया जाए।
- रिजर्व मार्जिन (पीआरएम) की योजना विश्वसनीयता सूचकांकों जैसे लोड संभाव्यता हानि (एलओएलपी) और नॉट–सर्व्ड एनर्जी (एनईएनएस) पर आधारित हो।
- राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) द्वारा राज्य स्तरीय अपेक्षाओं की समीक्षा के साथ नियमित मूल्यांकन और समायोजन के साथ एक राष्ट्रीय आरए नियोजन दृष्टिकोण की सिफारिश की जाती है।

भाग गः खरीद योजना

- खरीद संसाधन मिश्रण को विश्वसनीयता बनाए रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को अनुकूलित किया जाए।
- वितरण लाइसेंसधारियों का पहले क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध क्षमता पर विचार किया जाए, तथा बाहरी खरीद पर विचार करने से पूर्व पारेषण लागत का अनुकूलन किया जाए।
- दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के अनुबंधों में क्षमता अपेक्षाओं का बड़ा हिस्सा शामिल हो।
- राष्ट्रीय स्तर पर अल्पकालिक क्षमता साझाकरण के लिए एक विनियामक ढांचा स्थापित किया जाए ताकि राज्यों और वितरण कंपनियों को अधिशेष/घाटे की क्षमता का आदान–प्रदान करने की अनुमति मिल सके।

भाग घः निगरानी और अनुपालन

- राज्य उपयोगिताओं को क्षमता की कमी की निगरानी करनी चाहिए और आरए आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को राष्ट्रीय क्षमता नीलामी या द्विपक्षीय अनुबंधों के माध्यम से निगरानी की जाए तथा अनुपालन की अनुमति दी जाए।

- आरए अपेक्षाओं का अनुपालन न करने पर राज्य आयोग द्वारा निर्धारित दंड लगाया जाएगा।

26 जून 2023 को आयोजित एफओआर की 86वीं बैठक के दौरान रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया और उसे अंगीकृत किया गया।

2. आदर्श स्टाफ विनियम तैयार करना

18 नवंबर 2022 को आयोजित 83वीं बैठक के दौरान निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ एक कार्य समूह का गठन किया गया:

1. स्टाफ विनियमन के संबंध में सेबी, पीएफडीआरए आदि जैसे अन्य क्षेत्र के विनियामक सहित अन्य विनियामक की प्रथाओं का अध्ययन करना।

2. भर्ती की पद्धति, योग्यता आदि का सुझाव देते हुए मॉडल स्टाफ विनियमन (सामान्य रूप से) तैयार करना।

कार्य समूह की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

क. आदर्श सेवा विनियमों की संरचना/प्रारूप:–

सेबी के स्टाफ सेवा विनियम काफी विस्तृत हैं और सेवा की सामान्य शर्तों के विभिन्न पहलुओं को व्यापक रूप से परिभाषित करते हैं। इस प्रकार समय–समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियमों के अनुरूप एफओआर मॉडल सेवा विनियमों का मसौदा तैयार किया जाए। इन मॉडल विनियमों में कार्यात्मक प्रभाग परिभाषित किए जाएं, जबकि विभिन्न पदों के पदनाम संबंधित ईआरसी के विवेक पर छोड़ दिए जाए।

ख. वेतन एवं भत्ते:–

- विद्युत विनियामक आयोगों में प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाये रखने के लिए, कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप हों और कम से कम अन्य क्षेत्रीय विनियामक के बराबर हों।

- सर्वप्रथम, सीईआरसी के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सेबी के अनुरूप तैयार किए जाए। जब भी सेबी अपने वेतनमान में संशोधन करे, तो उसके अनुरूप परिवर्तन सीईआरसी पर भी लागू हों।

- राज्य विद्युत विनियामक आयोग सीईआरसी कर्मचारियों के लिए लागू वेतन और भत्ते अपनाएं। जब भी सीईआरसी अपने वेतनमान में संशोधन करेगा, तो संबंधित परिवर्तन राज्य विद्युत विनियामक आयोगों पर भी लागू होंगे।

- यह व्यवस्था अंतर–विनियामक आयोग के बीच जनशक्ति के हस्तांतरण को भी सुगम बनाएगी तथा विनियमन की अंतःअनुशासनात्मक प्रकृति को देखते हुए, आयोगों में सुविचारित निर्णय लेने में वृद्धि करेगी।

- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी अपने मूल संगठन या संबंधित ईआरसी के वेतनमान का विकल्प चुन सकते हैं।

ग. चिकित्सा सुविधाएं:–

- आईपीडी मामलों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के निम्नलिखित विकल्प हो सकते हैं:
  - वास्तविक आधार पर विचार करना;
  - स्वास्थ्य बीमा / मेडिक्लेम पॉलिसी।
- ओपीडी मामलों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के निम्नलिखित विकल्प हो सकते हैं:
  - सीईआरसी में यथालागू सुविधाएं
  - ओपीडी प्रतिपूर्ति के बदले प्रमाणन के आधार पर एक माह का मूल वेतन् डीए (जैसा कि सेबी विनियमों में है)

घ. आवास:–

सेबी / केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू एचआरए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के कर्मचारियों के लिए भी माने जाएं। पट्टे पर दिए गए आवास के लिए, सीमा लागू एचआरए से दोगुनी हो।

ङ. विदेश यात्रा / दौरा:

ईआरसी के अधिकारियों / कर्मचारियों के विदेश दौरे / भ्रमण की अनुमति ईआरसी के अध्यक्ष के अनुमोदन से दी जा सकती है।

च. प्रतिनियुक्ति / पदोन्नति:–

- ईआरसी में कर्मचारियों की कम संख्या को देखते हुए ईआरसी / केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्त संगठनों से प्रतिनियुक्ति को भर्ती का प्राथमिक तरीका बनाया जाएगा।
- नियमित कर्मचारियों के लिए पर्याप्त पदोन्नति के अवसर हों।
- शैक्षणिक संस्थानों से प्रतिनियुक्ति को सरकार (केन्द्र / राज्य) के स्वामित्व और नियंत्रण वाले संस्थानों से प्रतिबंधित किए जाएं।

छ. समायोजन:–

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के पास स्थायी समायोजन का अनुरोध करने का विकल्प हो सकता है। हालाँकि, समायोजन का प्रावधान केवल प्रवेश स्तर पर होगा जब कर्मचारी पद पर कम से कम दो (2) वर्ष सेवा कर चुका हो। समायोजन पर अग्रिम वेतन वृद्धि पाँच (5) तक सीमित हो।

ज. प्रशिक्षण / उच्च शिक्षा:

ई.आर.सी. उन कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों को नामित कर सकता है जो किसी भी ई.आर.सी. (राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय) द्वारा विनिमय कार्यक्रम के एक भाग के रूप में किसी समझौता ज्ञापन के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं।

कार्य समूह की रिपोर्ट को 15 दिसंबर 2023 को आयोजित एफओआर की विशेष बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया गया और उसे अंगीकृत किया गया।

घ क्षमता निर्माण कार्यक्रम

विनियामक फोरम (एफओआर) की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक विद्युत विनियामक आयोगों (एफओआर) के कर्मचारियों का क्षमता निर्माण करना है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में फोरम द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

1. **24 से 25 अगस्त, 2023 के दौरान एनपीटीआई परिसर, फरीदाबाद में सीजीआरएफ और लोकपाल के अधिकारियों के लिए "उपभोक्ता हितों की सुरक्षा" पर दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।**

   - कार्यक्रम के दौरान कवर किए गए प्रमुख विषय इस प्रकार हैं:
   - शिकायत निवारण – उपभोक्ता परिप्रेक्ष्य और विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम
   - उपभोक्ता सशक्तिकरण और शिकायत निवारण तंत्र
   - सीजीआरएफ और लोकपाल के समक्ष उठने वाले महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे
   - उपभोक्ता शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया – एक आदर्श तंत्र
   - ग्राहक सेवा प्रथाओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप
   - उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए कार्य निष्पादन के मानकों और सक्षम विनियामक प्रावधानों की शुरूआत
   - विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ताओं से संबंधित संवैधानिक कानून और ऐतिहासिक निर्णय

2. **20 से 22 नवंबर 2023 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित विद्युत विनियामक आयोगों के सदस्यों के लिए चौथा वैश्विक विनियामक परिप्रेक्ष्य कार्यक्रम**

   कार्यक्रम के दौरान कवर किये गये प्रमुख विषय इस प्रकार हैं:

   - वितरण नेटवर्क टैरिफ और प्रदर्शन के मानक
   - मांग प्रतिक्रिया कार्यक्रम का डिजाइन और कार्यान्वयन
   - विनियामक अभिशासनः एक विचार–मंथन सत्र
   - ऑस्ट्रेलिया में बिजली क्षेत्र के लिए विनियामक शासन
   - बिजली क्षेत्र में खुदरा प्रतिस्पर्धा को लागू करनाः ऑस्ट्रेलियाई अनुभव
   - ऑस्ट्रेलियाई विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण
   - ऑस्ट्रेलिया में नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए विनियामक और नीतिगत ढांचा
   - आर.ई. समृद्ध प्रणालियों के लिए नेटवर्क एक्सेस और मूल्य निर्धारण
   - पोर्ट केम्बला हाइड्रोजन हब का स्थल दौरा

Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission

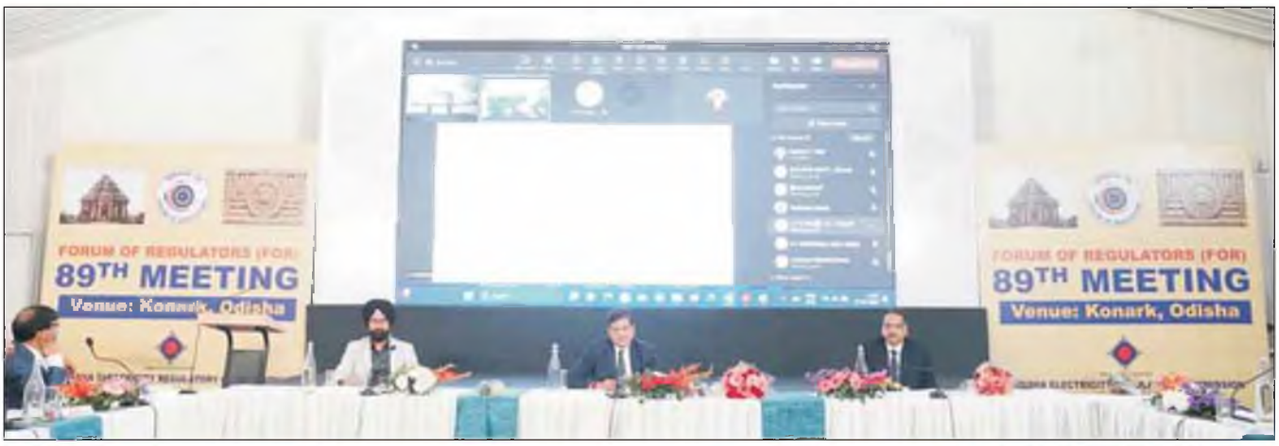
FORUM OF REGULATORS (FOR)
89TH MEETING
Venue: Konark, Odisha
FORUM OF REGULATORS (FOR)
89TH MEETING
Venue: Konark, Odisha

FORUM OF REGULATORS (FOR)
88TH MEETING
AT MUSSOORIE, UTTARAKHAND

FORUM OF REGULATORS (FOR)
87TH MEETING

3 विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकायों (सीईआरसी/एसईआरसी/जेईआरसी) की वर्ष 2023–24 में उपलब्धियां

क. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

i. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली तक कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (पहला संशोधन) विनियम, 2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खंड (47), धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (डी), धारा 40 के खंड (सी) और धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (सी) के साथ पठित धारा 178 की उपधारा (1) और धारा 178 की उपधारा (2) के खंड (जेडई) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में अन्य सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीईआरसी ने 1 अप्रैल, 2023 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया।

संशोधन के माध्यम से, आयोग ने मूल केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 के विभिन्न विनियमों में संशोधन करने के अलावा, सामान्य नेटवर्क पहुंच–नवीकरणीय ऊर्जा, मेजबान राज्य और अस्थायी सामान्य नेटवर्क पहुंच–नवीकरणीय ऊर्जा की परिभाषा को शामिल किया। आयोग ने संशोधन के माध्यम से कनेक्टिविटी अनुदानकर्ता द्वारा संतुष्ट होने के बाद की शर्तें, शर्तों को पूरा न करने के परिणाम और कनेक्टिविटी का निरसन भी प्रदान किया। इसके अलावा, एक नया अनुबंध–IX 'क्षेत्रीय इकाई उत्पादन स्टेशन से किसी राज्य द्वारा प्रत्यक्ष निकासी' निर्धारित करने के लिए एक पद्धति प्रदान करता है।

जबकि 23.1, 24.2, 24.3, 34.2, 34.3 और 34.4 के अलावा संशोधन के सभी प्रावधान और जीएनए विनियमन के नए विनियम 26.4, 26.5 और 26.6 दिनांक 06.04.2023 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 05.04.2023 को प्रवृत्त हुए, जिन प्रावधानों को 05.04.2023 को कार्यान्वयन से स्थगित कर दिया गया था, वे 3 अगस्त 2023 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 01.10.2023 को प्रवृत्त हुए।

ii. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (चौथा संशोधन) विनियम, 2023

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के साथ पठित धारा 91(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में अन्य सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीईआरसी ने 12 मई, 2023 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (चौथा संशोधन) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया।

इस अधिसूचना के माध्यम से, सीईआरसी ने मुख्य विनियमन के विनियमन 6(6) के बाद एक नया विनियमन 6ए सम्मिलित किया, जो सीईसी को एक वर्ष के लिए परामर्शदाताओं का एक पैनल तैयार करने का अधिकार देता है, जिनसे केवल सीईआरसी के साथ कार्य करने के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जा सकती हैं। इसके अलावा, संशोधनों के माध्यम से मूल विनियमन के विनियमन 8 के खंड (4) में संशोधन भी लागू किया गया।

ये संशोधन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हुए।

iii. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2023

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 की उप–धारा (2) के खंड (जी) के साथ धारा 79 की उप–धारा (1) के खंड (एच) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में अन्य सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने 29 मई 2023 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया। ग्रिड कोड में अन्य बातों के अलावा संसाधन नियोजन कोड, कनेक्शन कोड, सुरक्षा कोड, कमीशनिंग और वाणिज्यिक संचालन कोड, संचालन कोड, शेड्यूलिंग और डिस्पैच कोड, साइबर सुरक्षा, निगरानी और अनुपालन कोड और विविध पर अध्याय शामिल थे। ग्रिड कोड के नियम 01.10.2023 को प्रचलित हुए।

इसके अलावा, विनियमन 30 (11) (के), विनियमन 30 (11) (ए), विनियमन 30 (11) (क्यू), और विनियमन 30 (12) (डी) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार, एनएलडीसी ने अपने पत्र दिनांक 20.09.2023 के माध्यम से हितधारकों के परामर्श के बाद आयोग के अनुमोदन के लिए "सूचना विनिमय और समयसीमा के साथ–साथ द्वितीयक और तृतीयक रिजर्व क्षमता की मात्रा के आकलन के लिए विस्तृत प्रक्रिया" प्रस्तुत की। आयोग ने याचिका संख्या एल–1/265/2022/सीईआरसी के अंतर्गत 28 सितंबर 2023 के अपने आदेश के माध्यम से "सूचना विनिमय और समयसीमा के साथ द्वितीयक और तृतीयक रिजर्व क्षमता की मात्रा के आकलन के लिए विस्तृत प्रक्रिया" को मंजूरी दी।

इसके अलावा, आयोग ने याचिका 14/एसएम/2023 के अंतर्गत दिनांक 30.09.2023 के अपने आदेश के माध्यम से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के कुछ प्रावधानों को प्रभावी करने में कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया और सीओडी की घोषणा से 'डी 2' दिन से उत्पादन इकाई का निर्धारण, जबरन आउटेज के मामले में अनुमानित बहाली समय में संशोधन, घोषित क्षमता में संशोधन, इकाई बंद होने की स्थिति में आपूर्ति करने की बाध्यता, पंप स्टोरेज प्लांट का ट्रायल रन, डे अहेड मार्केट में निर्धारण के लिए जनरेटर की सहमति, एसटीओए से टी–जीएनए व्यवस्था में परिवर्तन, और पहली बार विद्युतीकरण की प्रक्रिया और नए और संशोधित बिजली प्रणाली तत्वों के एकीकरण सहित विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण/ढील प्रदान की।

इसके अलावा, आयोग ने याचिका 18/एसएम/2023 के अंतर्गत दिनांक 18.12.2023 के अपने आदेश के माध्यम से, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के कुछ प्रावधानों को प्रभावी करने में कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया और न्यूनतम टर्नडाउन शेड्यूल जारी करने, आंशिक लोडिंग के लिए घोषित क्षमता में संशोधन और शटडाउन के अंतर्गत इकाइयों पर टीआरएएस और एससीईडी के अंतर्गत अनुसूचियों सहित विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण/ढील प्रदान की।

iv. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यीय पारेशण शुल्क और घाटे का बंटवारा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के भाग V के साथ धारा 178 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में अन्य सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीईआरसी ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क और घाटे का बंटवारा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 को लागू किया।

अधिसूचना के माध्यम से, आयोग ने "मान्य सीओडी" शब्द को परिभाषित किया और प्रमुख विनियमों के विनियमन 11, विनियमन 12 और विनियमन 13 में संशोधन भी किए।

ये संशोधन 01.11.2023 से प्रवृत हुए।

v. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यीय पारेशण शुल्क और घाटे का बंटवारा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के भाग ट के साथ पठित धारा 178 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में अन्य सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीईआरसी ने 26.10.2023 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यीय पारेषण प्रभार और घाटे का बंटवारा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 अधिसूचित किया।

मूल विनियमन के विनियमन 5 के खंड (3) के उप–खंड (घ) में निम्नलिखित परंतुक अंतर्विष्ट किया गया:

''परंतु यह कि जहां किसी विशेष क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति करने के लिए योजनाबद्ध अंतर–क्षेत्रीय एचवीडीसी ट्रांसमिशन प्रणाली को सिस्टम आवश्यकताओं के कारण विपरीत दिशा में बिजली ले जाने के लिए संचालित किया जाता है, राष्ट्रीय घटक में विचार किए जाने वाले ऐसे ट्रांसमिशन सिस्टम के वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क का प्रतिशत इन विनियमों के विनियमन 6 के खंड (1) के उप–खंड (क) के अनुसार 30 प्रतिशत या उससे अधिक होगा।''

3.मूल विनियमन के विनियमन 6 के खंड (1) के उप–खंड (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(क) एचवीडीसी (आरसी–एचवीडीसी) का क्षेत्रीय घटक जिसमें विनियमन 5 के खंड (3) के उपखंड (क), (ख) और (ग) के अंतर्गत आने वाली एचवीडीसी ट्रांसमिशन प्रणालियों को छोड़कर, संबंधित क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति करने के लिए नियोजित एचवीडीसी ट्रांसमिशन प्रणालियों के वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क का 70 प्रतिशत शामिल है:

परंतु यह कि जहां किसी विशेष क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करने के लिए नियोजित अंतर–क्षेत्रीय एचवीडीसी पारेषण प्रणाली को प्रणाली आवश्यकताओं के कारण विपरीत दिशा में विद्युत ले जाने के लिए संचालित किया जाता है, वहां क्षेत्रीय घटक और राष्ट्रीय घटक में विचार किए जाने वाले ऐसे पारेषण प्रणालियों के वार्षिक पारेषण प्रभारों का प्रतिशत की संगणना निम्नानुसार की जाएगी:

एचवीडीसीआर (प्रतिशत में) = (विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाह की मेगावाट क्षमता/आगे की दिशा में विद्युत प्रवाह की मेगावाट क्षमता) X100

जहां एचवीडीसीआर (प्रतिशत में) 30 प्रतिशत से अधिक है, एचवीडीसीआर के अनुरूप वार्षिक पारेषण प्रभार को राष्ट्रीय घटक में और शेष को क्षेत्रीय घटक में माना जाएगा।

जहां, एचवीडीसीआर (प्रतिशत में) 30 प्रतिशत के बराबर या उससे कम है, वार्षिक पारेषण प्रभार का 30 प्रतिशत राष्ट्रीय घटक में और 70 प्रतिशत क्षेत्रीय घटक में माना जाएगा:

परंतु यह कि विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाह की मेगावाट क्षमता एनएलडीसी द्वारा ऐसी क्षमता के बराबर वास्तविक विद्युत प्रवाह के माध्यम से प्रमाणित की जाएगी। ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हुए।

vi. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की निबंधन और भार्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 की उपधारा (2) के खंड (खंडों) के साथ पठित धारा 61 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में अन्य सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीईआरसी ने 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया।

अधिसूचना के माध्यम से, मूल विनियमों के परिशिष्ट-II "एक माह के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता कारक की गणना की प्रक्रिया" के अंतर्गत खंड (4) और खंड (5) में संशोधन किए गए।

ये संशोधन इन विनियमों के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुए।

vii. सीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधना और शर्तें) विनियम, 2024

आयोग ने 17.02.2024 को सीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधना और शर्तें) विनियम, 2024 को अधिसूचित किया। विनियमन का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ग्रिड इंटरएक्टिव बिजली परियोजनाओं के टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें निर्दिष्ट करना है।ये विनियम उन सभी मामलों पर लागू होते हैं, जहाँ किसी उत्पादन केंद्र या उसकी इकाई के लिए टैरिफ ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित है, और वे विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के खंड (2) के उप–खंड (ओं) के साथ धारा 61 के अंतर्गत आते हैं। आयोग ने 17.02.2024 को मसौदा अधिसूचना पर सुझावधटिप्पणियाँ और आपत्तियाँ आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया और 19.03. 2024 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की।

viii. "डीएसएम विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में अपर्याप्त प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिक्रिया के कारणों का विश्लेषण" पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट।

डीएसएम विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में अपर्याप्त प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिक्रिया के कारणों का विश्लेषण" पर सीईआरसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जनवरी 2024 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में समिति ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रिजर्वों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपायों की सिफारिश की और मूल्य संरचना में समरूपता के प्रमुख डिजाइन सिद्धांतों के आधार पर ग्रिड से जुड़ी संस्थाओं के लिए डीएसएम शुल्कों के संशोधित ढांचे का प्रस्ताव भी रखा, ग्रिड संस्थाओं को अत्यधिक प्रोत्साहन देने से बचना, सहायक सेवाओं में भागीदारी को प्रोत्साहित करना और ग्रिड से जुड़ी संस्थाओं के लिए एक अन्य बाजार साधन के रूप में डीएसएम को हतोत्साहित करना। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार, सामान्य विक्रेताओं और क्रेताओं के लिए विचलन प्रभार को प्रचालन आवृत्ति बैंड, अर्थात् 49.90 हर्ट्ज से 50.05 हर्ट्ज के भीतर वर्गीकृत किया जा सकता हैय तथापि, प्रचालन बैंड से परे, विचलन प्रभार को आवृत्ति की परवाह किए बिना एकसमान रखा जा सकता है। इसके अलावा, श्रेणीबद्ध विचलन प्रभार संबंधित क्रेताओं और विक्रेताओं की प्रारंभिक मात्रा सीमा तक सीमित हैं, जिसके आगे प्रभार इस प्रकार प्रस्तावित किए गए हैं कि किसी भी आगे के विचलन को हतोत्साहित किया जाएगा, ताकि ग्रिड पर निर्भर रहने के बजाय सहायक सेवा तंत्र में ऐसी संस्थाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके।

ix. याचिका संख्या 05/एसएम/2023 में स्वतः संज्ञानः

आयोग ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2022 के विनियम 11 और विनियम 12 के अंतर्गत अपनी शक्ति के अंतर्गत डीएसएम विनियमन के कार्यान्वयन में कठिनाई को दूर करने और शिथिल करने के लिए याचिका संख्या 05/एसएम/2023 में 09.04.2023 को स्वतः संज्ञान आदेश जारी किया।यह आदेश विद्युत एक्सचेंज में हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपी–डीएएम) की शुरूआत तथा विद्युत एक्सचेंजों के विभिन्न बाजार खंडों में मूल्य सीमा में संशोधन के मद्देनजर जारी किया गया। आयोग ने यह आदेश उन विक्रेताओं के विचलन शुल्क के उपचार के लिए जारी किया है जिनकी बोलियाँ एचपी–डीएएम बाजार में स्वीकृत हो गई हैं। विचलन के लिए शुल्क की सामान्य दर एचपी–डीएएम के अनुरूप थी ताकि एचपी–डीएएम और कैड के बीच किसी भी संभावित मध्यस्थता को रोका जा सके।

ख. राज्य विद्युत विनियामक आयोग

1. अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने हरित ऊर्जा मुक्त पहुँच और गणना विनियमों के लिए कार्यप्रणाली, नवीकरणीय ऊर्जा शुल्क निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें, विद्युत आपूर्ति कोड विनियम, ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग सहित नेट मीटरिंग के साथ ग्रिड इंटरएक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, नेट बिलिंगध्नेट फीड–इन, सकल मीटरिंग और इसके संबंधित मामले) विनियम, 2024 से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–ट में दिया गया है।

2. आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने प्रदर्शन विनियमन के मानकों, नवीकरणीय खरीद दायित्व/नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र विनियम 2022 की खरीद द्वारा अनुपालन, कारबार विनियम आदि के संचालन से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–ट में दिया गया है।

3. असम विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने विद्युत आपूर्ति संहिता से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए तथा वितरण लाइसेंसधारियों के प्रदर्शन के मानक में संशोधन किया। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–ट में दिया गया है।

4. बिहार विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने नवीकरणीय खरीद दायित्व, इसके अनुपालन और आरईसी फ्रेमवर्क कार्यान्वयन विनियमन आदि में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–I में दिया गया है।

5. छत्तीसगढ़ विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों, अंतर–राज्यीय खुली पहुंच, ग्रिड इंटरएक्टिव वितरित अक्षय ऊर्जा स्रोतों के अनुसार टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तों से संबंधित विनियमों में संशोधन

विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–ᑭ में दिया गया है।

6. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने उपभोक्ताओं और लोकपाल की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए, तथा न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने के लिए व्यवसाय योजनाओं और व्यवसाय संचालन के विनियम जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–ᑭ में दिया गया है।

7. गुजरात विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने विद्युत आपूर्ति संहिता और संबंधित मामलों, हरित ऊर्जा मुक्त पहुँच विनियमों से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–ᑭ में दिया गया है।

8. हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस) विनियम, 2023, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (फोरम और लोकपाल) विनियम, 2023, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ फ्रेमवर्क के अंतर्गत उत्पादन, ट्रांसमिशन, व्हीलिंग और वितरण और खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और षर्तें) विनियम, 2019 से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–I में दिया गया है।

9. झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने विद्युत आपूर्ति संहिता और संबंधित मामलों, हरित ऊर्जा मुक्त पहुँच विनियमों से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–। में दिया गया है।

10. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा एवं केन्द्र शासित प्रदेश)

वर्ष के दौरान, आयोग ने व्यवसाय संचालन विनियमन, बहु–वर्षीय टैरिफ के उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित विनियमनों में संशोधन तैयारध्जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–ᑭ में दिया गया है।

11. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मणिपुर और मिजोरम)

वर्ष के दौरान, आयोग ने ग्रिड से जुड़ी अक्षय ऊर्जा, ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन के लिए मीटरिंग से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–I में दिया गया है।

12. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जम्मू कश्मीर और लद्दाख)

वर्ष के दौरान, आयोग ने बहुवर्षीय उत्पादन, पारेषण, वितरण टैरिफ विद्युत व्यापार के निर्धारण, लोड पूर्वानुमान, संसाधन योजनाओं और विद्युत खरीद प्रक्रियाओं, ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और इससे संबंधित मामलों के लिए दिशा–निर्देश जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–I में दिया गया है।

13. कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने ओपन एक्सेस, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–I में दिया गया है।

14. केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने टैरिफ निर्धारण के लिए नियम व शर्तों, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, तथा विद्युत लोकपाल आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–I में दिया गया है।

15. मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने विद्युत आपूर्ति कोड, ग्रिड कोड, विनियामक अनुपालन की रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश, पूर्वानुमान, समय–निर्धारण, विचलन निपटान तंत्र और पवन और सौर उत्पादन स्टेशनों से संबंधित मामलों, ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित मामलों, पारंपरिक ईंधन आधारित कैप्टिव पावर प्लांट्स के संबंध में बिजली खरीद और अन्य मामलों, विद्युत संतुलन और निपटान कोड, हरित ऊर्जा और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए ओपन एक्सेस शुल्क और बैंकिंग शुल्क के निर्धारण की पद्धति, मध्य प्रदेश में अंतर–राज्यीय ओपन एक्सेस के लिए निबंधन और शर्तें, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से बिजली का सह–उत्पादन और उत्पादन, उत्पादन शुल्क के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–I में दिया गया है।

16. महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने वितरण ओपन एक्सेस, ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली, नवीकरणीय खरीद दायित्व, इसके अनुपालन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र फ्रेमवर्क) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024 के कार्यान्वयन से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध– । में दिया गया है।

17. मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस विनियमन, संसाधन पर्याप्तता विनियमन के लिए रूपरेखा, तथा दूरसंचार नेटवर्क की सुविधा के लिए डिस्कॉम परिसंपत्तियों को किराए/पट्टे पर देने से संबंधित नियम

विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–। में दिया गया है।

18. नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–ए में दिया गया है।

19. ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस विनियमन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आदेश जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–। में दिया गया है।

20. पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारण के लिए नियम और शर्तों, अंतर–राज्यीय खुली पहुंच के लिए नियम और शर्तों, कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों, बिजली आपूर्ति संहिता और संबंधित मामलों, ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टिक सिस्टम, व्यवसाय का संचालन, पूर्वानुमान, शेड्यूलिंग, विचलन निपटान और सौर और पवन उत्पादन स्रोतों से संबंधित मामलों से संबंधित विनियमों में संशोधन जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–। में दिया गया है।

21. राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने बिजली आपूर्ति संहिता और उससे जुड़े मामलों, ग्रिड इंटरएक्टिव वितरित अक्षय ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों, अक्षय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तों से संबंधित अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व विनियमन और संशोधन जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–। में दिया गया है।

22. सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच के लिए व्यवसाय संचालन के लिए निबंधन और षर्तें जारी कीं। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–। में दिया गया है।

23. त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा दिशा–निर्देशों, बहुवर्षीय वितरण शुल्क और हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस शुल्क के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली के लिए ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग से संबंधित विनियम विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध–। में दिया गया है।

24. तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने सब्सिडी के भुगतान की प्रक्रिया से संबंधित विनियमन, विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 और सीआरपी सिफारिशों के प्रावधानों को शामिल करने वाली आपूर्ति संहिता, विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 के प्रावधानों को शामिल करने वाली वितरण संहिता, सीजीआरएफ और ईओ विनियम,

और आरपीओ और पूर्वानुमान, समय–निर्धारण और विचलन निपटान और पवन और सौर उत्पादन के लिए संबंधित मामलों पर विनियमन, 2024 से संबंधित विनियमन में संशोधन किया। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध– । में दिया गया है।

25. तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने बहुवर्षीय टैरिफ विनियमन से संबंधित विनियम विरचित/जारी किए तथा बिजली की व्हीलिंग और खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तों में संशोधन किया। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध– । में दिया गया है।

26. उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम ग्रॉस/नेट मीटरिंग, अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम को कनेक्टिविटी अनुदान से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए तथा पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड विनियमन पर विनियमन जारी किया। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध– । में दिया गया है।

27. उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने बहुवर्षीय टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन स्टेशनों, हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस से बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ और अन्य शर्तों से संबंधित विनियम विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध– । में दिया गया है।

28. पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने टैरिफ निर्धारण और सहायक सेवाओं के तौर–तरीकों से संबंधित विनियम विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध– । में दिया गया है।

4 राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थिति रिपोर्ट

राष्ट्रीय बिजली नीति और टैरिफ नीति सभी को समान, सस्ती और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने, बिजली के विक्रेता और व्यापारी के खिलाफ उपभोक्ता के अधिकार की सुरक्षा और पूरे क्षेत्र के सतत विकास पर जोर देती है। एफओआर की सभी गतिविधियाँ भी इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों के इर्द–गिर्द घूमती हैं। यह एफओआर के परिभाषित उद्देश्यों में से एक ''उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उपाय विकसित करना और बिजली क्षेत्र में दक्षता, अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना'' से स्पष्ट होता है।''

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान फोरम द्वारा अपने उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

1) 85वीं बैठक के दौरान, एफओआर ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विद्युत (हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022 के नियम 5 पर विचार–विमर्श किया, जो कम बिजली प्राप्त करने वाले मुक्त पहुंच उपभोक्ताओं को मुआवजा देने की अनुमति देता है। फोरम ने कहा कि यद्यपि ओपन एक्सेस के लिए एक समर्पित और स्वतंत्र फीडर होना वांछनीय हो सकता है, लेकिन अन्य राज्यों में ऐसी प्रथाएं हैं, जहां ऊर्जा के साथ–साथ हानियों का लेखा–जोखा रखना संभव है, भले ही वहां कोई स्वतंत्र फीडर न हो।

2) 85वीं बैठक के दौरान, फोरम ने "हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए ओपन एक्सेस प्रभारों और बैंकिंग प्रभारों की गणना" पर एफओआर–मॉडल विनियमों के संबंध में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के संदर्भ पर भी विचार–विमर्श किया और महसूस किया कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करके मुआवजे के लिए मॉडल विनियमों में मौजूदा प्रावधान पर्याप्त है।

3) फोरम ने 85वीं बैठक के दौरान, कम जोखिम वाली परियोजनाओं में ट्रेडिंग लाइसेंसधारक के अपेक्षाकृत उच्चतर ट्रेडिंग मार्जिन पर भी विचार–विमर्श किया और महसूस किया कि सीईआरसी इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर सकता है और यह भी निर्णय लिया कि सचिवालय विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को एसबीडी/आरएफपी में संशोधन करने के लिए लिखे तथा ट्रेडिंग मार्जिन पर निर्णय उपयुक्त आयोग पर छोड़ दे, ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा हो सके।

4) 86वीं बैठक के दौरान, फोरम ने विद्युत अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा कुछ अंतर–राज्यीय उत्पादन स्टेशनों को आयातित कोयले के मिश्रण के माध्यम से संकट अवधि के दौरान बिजली उत्पादन करने के लिए जारी निर्देशों पर चर्चा की। विस्तृत चर्चा के बाद, फोरम ने सिफारिश की कि सीईआरसी इस संदर्भ में दिशानिर्देश या विनियमन तैयार करने पर विचार करे।

5) विद्युत मंत्रालय से डिस्कॉम्स के एटीएंडसी घाटे को आरडीएसएस के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के साथ संरेखित करने के संबंध में प्राप्त 86वीं बैठक के संदर्भ में फोरम ने निर्णय लिया कि संबंधित आयोग इस मामले पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

6) 86वीं बैठक के दौरान फोरम ने संसाधन पर्याप्तता पर कार्य समूह के प्रयासों और संसाधन पर्याप्तता पर तैयार की गई रिपोर्ट तथा मॉडल विनियमन की सराहना की। फोरम ने यह भी सुझाव दिया कि प्रस्तावित ढांचे का क्रियान्वयन तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों के लिए किया जा सकता है।

7) 87वीं बैठक में फोरम ने विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2023 के विशिष्ट प्रावधानों के क्रियान्वयन में कठिनाई के संबंध में एमपीईआरसी से प्राप्त संदर्भ पर विचार–विमर्श किया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि यदि दर्ज अधिकतम मांग में वृद्धि होती है, तो संशोधित स्वीकृत भार अगले वित्तीय वर्ष में बिलिंग चक्र से स्वचालित रूप से रीसेट हो जाएगा। गहन विचार–विमर्श के उपरांत फोरम ने निर्णय लिया कि सुझावों को अपनाना तथा आवश्यक प्रक्रिया तैयार करना संबंधित आयोगों का काम है।

8) केईआरसी से प्राप्त संदर्भ में हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर ओपन एक्सेस शुल्क और बैंकिंग शुल्क की गणना की कार्यप्रणाली पर मॉडल विनियमन में संशोधन की आवश्यकता का सुझाव देते हुए, फोरम ने वर्तमान मुद्दे पर विचार–विमर्श करने और चर्चा के दौरान पहचाने गए मुद्दों पर समाधान प्रस्तावित करने के लिए ''नियमों और विनियमों के सामंजस्य'' पर एक कार्य समूह का गठन किया।

9) 87वीं बैठक के दौरान, फोरम ने नियमों और विनियमों के सामंजस्य पर कार्य समूह से विद्युत मंत्रालय द्वारा 26 जुलाई 2023 को अधिसूचित विद्युत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 का विश्लेषण करने का अनुरोध किया, जिसमें आरओई, एटीएंडसी हानियों आदि के संबंध में आवश्यक प्रावधानों में परिवर्तन का उल्लेख किया गया था और नियमों के आधार पर मॉडल एमवाईटी विनियमों में परिवर्तन का सुझाव देने का अनुरोध किया गया था।

10) टीबीसीबी के माध्यम से ट्रांसमिशन परियोजनाओं के पुरस्कार के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा सीमा की अधिसूचना के संबंध में विद्युत मंत्रालय की 87वीं बैठक के संदर्भ के मुद्दे पर फोरम ने सहमति व्यक्त की कि सभी राज्य विद्युत विनियामक आयोगों/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों को सीमा को परिभाषित करना चाहिए क्योंकि 23.11.2022 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह अनिवार्य है।

11) अपनी 88वीं बैठक के दौरान फोरम ने हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग से प्राप्त संदर्भ के आधार पर डिस्कॉम की व्यवहार्यता पर एक कार्य समूह गठित करने का निर्णय लिया, जिसमें घाटे में कमी, कर्मचारियों तथा डिस्कॉम की व्यवहार्यता को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

12) आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटर कार्यान्वयन के लिए स्व–वित्तपोषण मॉडल के संबंध में विद्युत मंत्रालय के संदर्भ पर, जिसमें विद्युत मंत्रालय ने बताया कि असम के एपीडीसीएल ने 15 फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रति माह प्रति मीटर लगभग 40 रुपये का लाभ हुआ है, फोरम ने एपीडीसीएल से पिछले वर्षों के लिए एक प्रति–तथ्यात्मक विश्लेषण करने और राजस्व में वृद्धि और स्मार्ट मीटर की स्थापना के बीच संबंध स्थापित करने का अनुरोध किया।

13) आयोग द्वारा अनुमोदित नए ग्रिड कोड के अनुरूप राज्य ग्रिड कोडों के संरेखण के संबंध में सीईआरसी से प्राप्त संदर्भ पर, फोरम ने इस मुद्दे को फोरम द्वारा विचारार्थ उपयुक्त सिफारिश हेतु स्थायी तकनीकी समिति को भेजने का निर्णय लिया।

14) विद्युत (संशोधन) नियम 2022 के संबंध में, जिसमें एक कार्यान्वयन एजेंसी को केंद्रीय पूल की प्रत्येक श्रेणी के लिए मासिक आधार पर 'एक समान नवीकरणीय ऊर्जा शुल्क' की गणना करने का काम सौंपा गया है, फोरम ने निर्णय लिया कि मामले को आगे के विचार–विमर्श के लिए आरई नीति पर एफओआर कार्य समूह को भेजा जा सकता है।

15) बैठक के दौरान, फोरम ने "वितरण क्षेत्र के लिए अधिकतम टैरिफ" पर कार्य समूह की रिपोर्ट को भी अंगीकृत किया।

16) नवीकरणीय ऊर्जा नीति पर कार्य समूह की प्रारंभिक रिपोर्ट पर, फोरम ने निर्णय लिया कि सचिवालय निम्नलिखित सिफारिशों को शामिल करने के लिए विद्युत मंत्रालय से संपर्क कर सकता है:

- ऑफ–पीक अवधि के दौरान बैंक में जमा की गई ऊर्जा को 8: की दर से बैंकिंग शुल्क का भुगतान करके ऑफ–पीक अवधि के दौरान वापस लेने की अनुमति होगी।
- नवीकरणीय ऊर्जा की अंतर्राज्यीय व्हीलिंग/बैंकिंग संभव नहीं है, क्योंकि यह ऊर्जा और विचलन लेखांकन तथा अंतर्राज्यीय लेनदेन के वाणिज्यिक निपटान के लिए क्षेत्रीय ढांचे के अनुरूप नहीं है, जो साप्ताहिक निपटान चक्रों के साथ 15 मिनट के समय–ब्लॉक पर आधारित है।
- हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच (जीईओए) उपभोक्ताओं को बैंकिंग चक्र में हरित ऊर्जा स्रोत से बिजली की कुल मासिक खपत का अधिकतम तीस प्रतिशत बैंक में जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
- कार्य समूह की सिफारिश कि हरित ऊर्जा टैरिफ का निर्धारण जीईओए नियमों के अंतर्गत निर्धारित, हरित ऊर्जा टैरिफ के विभिन्न घटकों के निर्धारण के लिए एमपीईआरसी द्वारा अपनाई गई विधि और फार्मूलेशन के अनुसार किया जाना चाहिए, पर सहमति हुई। फोरम ने यह भी सिफारिश की कि हरित ऊर्जा टैरिफ संबंधित उपभोक्ता श्रेणी के लिए औसत बिलिंग दर से कम नहीं होनी चाहिए।

17) नीति और विनियामक दोनों मोर्चों पर विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए 14 जून, 2023 को आयोजित एफओआर की विशेष बैठक के दौरान, फोरम ने ऐसे मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए एफओआर का एक कार्य समूह/समिति गठित करने पर सहमति व्यक्त की।

18) 8 फरवरी, 2024 को आयोजित एफओआर की विशेष बैठक के दौरान फोरम ने जलविद्युत के विकास, विशेष रूप से ग्रिड स्थिरता के लिए पंप स्टोरेज के लिए एचपीईआरसी से प्राप्त संदर्भ पर चर्चा की और जलविद्युत विकास को प्रोत्साहित करने के उपायों का पता लगाने और जलविद्युत क्षमता के दोहन में तेजी लाने के तरीके और साधन सुझाने के लिए एक कार्य समूह का गठन करने का निर्णय लिया।

19) केईआरसी से प्राप्त संदर्भ पर, जिसमें फोरम का ध्यान समूह कैप्टिव स्थिति के सत्यापन के संबंध में सिविल अपील संख्या 8527–8529/2009 में दिनांक 09.10.2023 के आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट यूनिटरी अनुपात योग्यता पद्धति पर आकर्षित किया गया था, फोरम ने नोट किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांत को वहां लागू किया जा सकता है, जहां कैप्टिव उपयोगकर्ताओं द्वारा वास्तविक खपत 51: से अधिक है और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं की शेयरधारिता 26 प्रतिशत से अधिक है।

टैरिफ नीति और राष्ट्रीय विद्युत नीति में रेखांकित महत्वपूर्ण पहलुओं पर फोरम के सदस्यों की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

1) वित्त वर्ष 2023–24 के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की टैरिफ अनुसूची (अनुबंध-II)

2) वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों की समयसीमा (अनुबंध-III)

3) वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सीजीआरएफ और लोकपाल का कामकाज (अनुबंध-IV)

5 केविविआ/एसईआरसी और जेईआरसी के अध्यक्षों की सूची

विनियामक फोरम के सदस्य (31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार)

विनियामक फोरम के अध्यक्ष		
01.	श्री जिष्णु बरुआ	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)
विनियामक फोरम के सदस्य		
02.	न्यायमूर्ति (श्री) सी.वी. नागार्जुन रेड्डी	आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एपीईआरसी)
03.	श्री आर के जोशी	अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एपीएसईआरसी)
04.	श्री कुमार संजय कृष्ण	असम विद्युत विनियामक आयोग (एईआरसी)
05.	श्री आमिर सुभानी	बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी)
06.	श्री हेमन्त वर्मा	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (सीएसईआरसी)
07.	न्यायमूर्ति (श्री) जयंत नाथ	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी)
08.	श्री अनिल मुकीम	गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (जीईआरसी)
09.	श्री नंद लाल शर्मा	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी)
10.	श्री डी.के. शर्मा	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एचपीईआरसी)
11.	न्यायमूर्ति (श्री) अमिताव कुमार गुप्ता	झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जेएसईआरसी)
12.	श्री आलोक टंडन	गोवा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी)
13.	श्री लोकेश दत्त झा	जम्मू–कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी)
14.	श्री रेंगथनवेला थांगा	मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मणिपुर और मिजोरम के लिए जेईआरसी)
15.	श्री पी. रवि कुमार	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (केईआरसी)
16.	श्री टी.के. जोस	केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (केएसईआरसी)
17.	श्री एस.पी.एस. परिहार	मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एमपीईआरसी)
18.	श्री संजय कुमार	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (एमईआरसी)
19.	श्री पी.डब्लू. इंगटी	मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एमएसईआरसी)
20.	श्री खोसे सेल	नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग (एनईआरसी)
21.	श्री गजेन्द्र महापात्रा (पदेन अध्यक्ष)	ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग (ओईआरसी)
22.	श्री विश्वजीत खन्ना	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (पीएसईआरसी)
23.	डॉ. बी.एन. शर्मा	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी)
24.	श्री के.बी. कुंवर	सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसएसईआरसी)

25.	श्री एम. चन्द्रशेखर	तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग (टीएनईआरसी)
26.	श्री टी. श्रीरंगा राव	तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग (टीएसईआरसी)
27.	श्री डी. राधाकृष्ण	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (टीईआरसी)
28.	श्री अरविंद कुमार	उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (यूपीईआरसी)
29.	श्री डी.पी. गैरोला(अध्यक्ष प्रभारी)	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (यूईआरसी)
30.	डॉ. एम.वी. राव	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (डब्ल्यूबीईआरसी)

6 एफओआर का वार्षिक लेखा

V.K. KHOSLA & CO.
Chartered Accountants

सेवा में,
सचिव,
विनियामक फोरम,
सचिवालयः मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
तृतीय व चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ,
नई दिल्ली - 110 001.

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार विनियामक फोरम की संलग्न तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण प्राथमिक रूप से विनियामक फोरम का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा है कि उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखापरीक्षा की योजना बनाते हैं और कार्यनिष्पादन करते हैं कि वित्तीय विवरणी गलत विवरणों से मुक्त है। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में रकम एवं प्रकटन का समर्थन करने वाले परीक्षण आधार साक्ष्यों की जांच शामिल है। इसमें समूची वित्तीय विवरणी प्रस्तुति का मूल्यांकन करते हुए शामिल किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक सेवाओं (क्षमता निर्माण एवं परामर्श सेवाओं के लिए) के लिए वर्ष के दौरान विनियामक फोरम द्वारा विद्युत मंत्रालय से प्राप्त रु.80.00 लाख की वित्तीय सहायता की राशि में से रु.25.40 की शेष अव्ययित निधियां, वित्तीय वर्ष 2024-25 में आगे ले जाई गई हैं।

हमारी राय में और हमारी सूचना के अनुसार और हमारे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरणियों में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखागत सिद्धांतों के अनुसार इस उचित एवं सही रूप में दिया गया हैः

क) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार फोरम के कार्यों के तुलनपत्र के मामलें में और
ख) आय एवं व्यय लेखा के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष।

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ आर एनः 002283एन
(कमल खोसला)
साझेदार
सदस्यतासं.:095944
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 19 जून, 2024
यूडीआईएनः 24095944BKEB043248

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि - रु. में)

कोरपस/पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
कोरपस/पूंजी निधि	1	3,70,10,643	3,70,10,643
रिज़र्व एवं अधिशेष	2	3,07,68,293	3,79,26,117
निश्चित की गई/ बंदोबस्त निधियां	3	25	(146)
चालू देयताएं एवं प्रावधान	4	75,99,282	60,87,211
कुल		7,53,78,243	8,10,23,825
आस्तियां			
नियत आस्तियां	5	1,70,647	2,29,577
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	6	7,52,07,596	8,07,94,248
कुल		7,53,78,243	8,10,23,825
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	12		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट	13		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

(कमल खोसला)
(साझेदार)
एम.सं. : 095944

V.K. KHOSLA & CO. FRN 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 19 जून, 2024
यूडीआईएन सं.: 24095944BKEB043248

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि - रु. में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
आय			
फीस/अंशदान	7	3,00,00,000	30,00,000
विद्युत मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	3	80,00,125	32,15,444
अर्जित ब्याज	8	47,77,565	45,21,707
अन्य आय		18,037	-
कुल (क)		**4,27,95,727**	**1,07,37,151**
व्यय			
स्थापना व्यय	10	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	11	4,18,60,602	3,01,10,650
उपयोग किए गए अनुदान (विद्युत मंत्रालय) :	3		
(क) क्षमता निर्माण		80,00,125	32,15,444
(ख) परामर्शदाता सेवाएं		-	-
मूल्यह्रास (अनुसूची 5 के अनुरूप वर्ष के अंत में नियत कुल)		92,824	1,07,355
पूर्व अवधि व्यय		-	-
कुल (ख)		**4,99,53,551**	**3,34,33,449**
आय के व्यय से आधिक्य होने पर शेष (क-ख)		**(71,57,824)**	**(2,26,96,298)**
कर के लिए प्रावधान (चालू वर्ष)		-	-
कर के लिए प्रावधान (पूर्ववर्ती वर्ष)		-	-
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण		**(71,57,824)**	**(2,26,96,298)**
अधिशेष/(घाटा) का शेष कोरपस/पूंजी निधि में से लाया गया		-	-
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	12		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट	13		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

V.K. KHOSLA & CO. FRN 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

(कमल खोसला)
(साझेदार)
एम.सं. : 095944

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 19 जून, 2024
यूडीआईएन सं.: 24095944BKEB043248

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची 1 - कोरपस/पंजीगत निधि	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
वर्ष के आरंभ में शेष		3,70,10,643		3,70,10,643
जोड़: कोरपस/पूंजीगत निधि के लिए अंशदान	-		-	
जोड़/(घटा):आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष		3,70,10,643		3,70,10,643

अनसची 2 -रिज़र्व एवं अधिशेषः	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
1. रिज़र्व पूंजीः				
अंतिम खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटाः वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
2. पुनर्मूल्यन रिज़र्वः				
अंतिम खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटाः वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. विशेष रिज़र्व				
अंतिम खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटाः वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य रिज़र्व				
अंतिम खाते के अनुसार	3,79,26,117		5,80,83,775	
घटाः वर्ष के दौरान काटना	(71,57,824)		(2,26,96,298)	
जमाः वर्ष के दौरान जोड़ना	-	3,07,68,293	25,38,641	3,79,26,117
(अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कर के लिए उपबंध))				
कुल		3,07,68,293		3,79,26,117

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

(कमल खोसला)
(साझेदार)
एम.सं. : 095944

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथिः 19 जून, 2024
यूडीआईएन सं.: 24095944BKEBOY3248

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

	निधि-वार ब्रेक-अप		
अनुसूची 3 - निर्दिष्ट की गई/संलग्न निधियां	योजना निधि		पूर्ववर्ती वर्ष
क) **निधियों का आरंभिक शेष**		(146)	-
ख) निधियों में परिवर्धन:			
i. दान/अनुदान	80,00,000		
ii. निधियों से किए गए निवेशों से ब्याज	24,772	80,24,772	46,62,132
iii. राज्य एजेंसियों से प्राप्त रिफंड			
कुल (क+ख)		80,24,626	46,62,132
ग) **निधियों के प्रयोजन से इनका उपयोग / व्यय**			
i. **पूंजीगत व्यय**			
- नियत आस्तियां	-		
- अन्य	-	-	-
कुल (i)		-	-
ii. राजस्व व्यय			
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि।	-		
- किराया	-		
- अन्य प्रशासनिक खर्च	80,00,125	80,00,125	32,15,444
iii. वापस की गई अव्ययित वित्तीय सहायता (ब्याज सहित)		24,476	14.46.834
कुल (ii + iii)		80.24.601	46.62.278
कुल (ग) = (i + ii + iii)		80,24.601	46,62,278
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)		25	(146)

नोट

1) अनुदानों से जुड़ी शर्तों के आधार पर संगत शीर्षों के अंतर्गत प्रकटीकरण किया जाएगा।

2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को पृथक निधियों के रूप में दर्शाया जाएगा और किन्हीं अन्य निधियों के साथ मिलाया नहीं जाएगा।

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

(कमल खोसला)
(भागीदार)
एम.सं. : 095944

V.K. KHOSLA & CO. FRN 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 19 जून, 2024
यूडीआईएन सं.: 24095944BKEBDY3248

विनियामक फॉरम

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
अनुसूची 4 - चालू देयताएं और प्रावधान				
क - चालू देयताएं				
1. स्टीकृतियां		-		-
2. विविध ऋणदाता :				
क) माल के लिए	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. प्राप्त अग्रिम		-		-
4. उपचित परंतु देय नहीं ब्याज:				
क) जमानती ऋण/उधार	-		-	
ख) गैर-जमानती ऋण/उधार	-	-	-	-
5. सांविधिक देयताएं :				
क) अतिदेय	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
6. अन्य चालू देयताएं		-		-
उप (क)		-		-
ख - प्रावधान				
1. कराधान के लिए				
(i) पूर्ववर्ती वर्ष	50,73,620		50,73,620	
(ii) चालू वर्ष	-		-	
		50,73,620		50,73,620
2. ग्रेचुअटी		-		-
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन		-		-
4. संचयित अवकाश नकदीकरण		-		-
5. व्यापार वारंटियां/दावे		-		-
6. अन्य:				
(i) प्रतिदेय लेखापरीक्षा फीस	24,500		25,000	
(ii) प्रतिदेय श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	2,94,084		2,96,731	
(iii) प्रतिदेय बैंकर व्यय	-		-	
(iv) प्रतिदेय कार्यालय व्यय	1,374		174	
(v) प्रतिदेय व्यावसायिक प्रभार (एफओआर की लिपि) व्यय	31,000		28,000	
(vi) प्रतिदेय व्यावसायिक फीस (स्टाफ परामर्शदाता) व्यय	65,227		59,296	
(vii) प्रतिदेय अध्ययन एवं परामर्श (एफओआर की लिपि)	-		-	
(viii) प्रतिदेय प्रशिक्षण व्यय (फॉरम की लिपि)	-		-	
(ix) संविदा पर प्रतिदेय टीडीएस	12,043		12,071	
(x) व्यावसायिक फीस पर प्रतिदेय टीडीएस	17,26,136		4,90,783	
(xi) किराया पर प्रतिदेय टीडीएस	-		-	
(xii) सीजीएसटी+एसजीएसटी+आईजीएसटी पर प्रतिदेय टीडीएस	3,59,626		1,01,536	
(xiii) प्रतिदेय टेलिफोन व्यय	-		-	
(xiv) प्रतिदेय वेबमास्टर व्यय	11,870	25,25,662	-	10,13,591
उप (ख)		75,99,282		60,87,211
कुल (क) + (ख)		75,99,282		60,87,211

इससे संबद्ध लाभ को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

(कमल खोसला)
(साझेदार)
एम.सं. : 095944

FRN 2293 N NEW DELHI Chartered Accountants

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 19 जून, 2024
यूडीआईएन सं.: 24095944BKEB073248

विनियामक स्वरूप

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची 5 - अचल आस्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के आरंभ में आस्तियों पर वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियों पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत में	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में
क. अचल आस्तियां											
1. भूमि:											
क) पूर्ण स्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन:											
क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) इकाई से संबंध न रखने वाली भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयंत्र और मशीनरी और उपस्कर	52,023	33,894	-	85,917	40,374	6,832	-	-	47,206	38,711	11,649
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. फर्नीचर, फिक्सचर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. कार्यालय उपस्कर	25,840	-	-	25,840	21,125	707	-	-	21,832	4,008	4,715
7. कंप्यूटर/सहायक उपकरण	10,53,990	-	-	10,53,990	8,40,777	85,285	-	-	9,26,062	1,27,928	2,13,213
8. विद्युत अधिष्ठापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. लाईब्रेरी की पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य नियत आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का कुल	11,31,853	33,894	-	11,65,747	9,02,276	92,824	-	-	9,95,100	1,70,647	2,29,577
पूर्ववर्ती वर्ष	9,47,504	1,84,349	-	11,31,853	7,94,921	1,07,355	-	-	9,02,276	2,29,577	
ख. पूंजीगत अर्धनिर्मित उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल	11,31,853	33,894	-	11,65,747	9,02,276	92,824	-	-	9,95,100	1,70,647	

उपर्युक्त सहित अवक्रय आधार पर आस्तियों की लागत के लिए नोट दिया जाए।

हमारे संबद्ध तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

(कमल खोसला)
(साझेदार)
एम.सं. : 095944

V.K. KHOSLA & CO. FRN 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

Place: New Delhi
तिथि: 19 जून, 2024
यूडीआईएन सं.: 24095944BKEBBY3248

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -6- चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
क - चालू आस्तियां				
1. माल सूची :				
क) स्टोर और स्पेयर्स	-		-	
ख) खुले औजार	-		-	
ग) बिक्री के लिए माल				
तैयार माल	-		-	
अर्धनिर्मित उत्पादन	-		-	
कच्चा माल	-	-	-	-
2. विविध देनदार:				
क) 6 माह की अवधि से अधिक का बकाया कर्ज	-		-	
घटाए: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए	-		-	
ख) अन्य	-	-	16,96,000	16,96,000
3. हाथ में नकदी शेष (चैक/ड्राफ्ट/अग्रदाय सहित)		24		24
4. बैंक शेष :				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ :				
- चालू खातों पर	-		-	
- जमा खातों पर (मार्जिन राशि सहित)				
(i) नियत जमा	3,70,10,644		3,70,10,644	
(ii) ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी जमा	2,31,60,000		2,90,95,000	
- बचत खातों पर				
(i) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एसबी खाता सं. 000068)	50,289		53,498	
(ii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एसबी खाता सं. 1708 - एमओपी)	6,06,751		60,748	
		6,08,27,684		6,62,19,890
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ :				
चालू खातों पर	-		-	
जमा खातों पर	-		-	
बचत खातों पर	-	-	-	-
5. डाकघर बचत खाते		-		-
कुल (क)		6,08,27,708		6,79,15,914

जारी...2...

इससे संबद्ध तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

(कमल खोसला)
(साझेदार)
एम.सं. : 095944

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 19 जून, 2024
स्थान : नई दिल्ली
यूडीआईएन : 24095944BKEBOY3248

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -6- चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी.....)	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
ख - ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण :				
क) स्टाफ	-		-	
ख) इकाई की तरह समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी हुई अन्य इकाइयां	-		-	
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
2. नकद में या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियां :				
क) पूंजीगत लेखा पर	-		-	
ख) पूर्व भुगतान	-		-	
ग) अन्य				
(i) प्रतिभूति जमा (एमटीएनएल)				
पूर्ववर्ती वर्ष	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए	-		-	
(ii) स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस):				
पूर्ववर्ती वर्ष	12,52,015		12,52,015	
चालू वर्ष	2,95,345		4,50,863	
(iii) अन्य मूल्यांकन कर:				
पूर्ववर्ती वर्ष	4,73,000		4,73,000	
(iv) प्राप्य शिक्षा व्यय	1,10,930		-	
(v) पूर्वदत्त व्यय	18,647			
(vi) जीएसटी (इनपुट) :				
चालू वर्ष	39,95,859		29,12,301	
जोड़: अग्रिम कर:				
पूर्ववर्ती वर्ष	76,96,155		78,96,155	
चालू वर्ष	-		-	
जोड़: प्राप्य जीएसटी (आउटपुट):				
चालू वर्ष	-		-	
जोड़: प्राप्य आईजीएसटी पर टीडीएस:				
पूर्ववर्ती वर्ष	-		88,000	
चालू वर्ष	56,984	1,38,98,935	6,000	1,28,78,334
3. प्रोद्भूत आय:				
क) उद्दीष्ट/बंदोबस्त निधियों से निवेश पर	-		-	
ख) निवेशों पर - अन्य	4,80,953		-	
ग) ऋणों एवं अग्रिमों पर	-		-	
घ) अन्य (रु. ___ की अप्राप्त देय आय सम्मिलित है)	-	4,80,953	-	-
4. प्राप्तियोग्य दावे		-		-
कुल (ख)		1,43,79,888		1,28,78,334
कुल (क+ख)		7,52,07,596		8,07,94,748

सम दिनांक तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002341एन

(कमल खोसला)
(साझेदार)
एम.सं.: 095944

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 19 जून, 2024
यूडीआईएन सं.: 24095944BKEBOY3248

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2024 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -7- फीस/अभिदान	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1) प्रवेश शुल्क	-	-
2) वार्षिक शुल्क/अभिदान	3,00,00,000	30,00,000
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4) परामर्शकारी शुल्क	-	-
5) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
i) आरटीआई शुल्क	-	-
कुल	3,00,00,000	30,00,000

नोट : प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नीतियां दिखाई जाए

इससे संबद्ध तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

(कमल खोसला)
(साझेदार)
एम.सं. : 095944

V.K. KHOSLA & CO. FRN 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 19 जून, 2024
यूडीआईएन सं.: 24095944BKEBOY3248

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2024 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -8- अर्जित ब्याज			चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. सावधि जमा पर :				
क) अनुसूचित बैंकों मे	टीडीएस - रु.	2,95,345	47,76,036	45,08,629
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों मे			-	-
ग) संस्थानों में			-	-
घ) अन्य			-	-
2. बचत खातों पर :				
क) अनुसूचित बैंकों में			1,529	13,078
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में			-	-
ग) डाकघर बचत खाते			-	-
घ) अन्य			-	-
3. ऋणों पर :				
क) कर्मचारी/स्टाफ			-	-
ख) अन्य			-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज			-	-
कुल			47,77,565	45,21,707

नोट - स्रोत पर काटा गया कर दर्शाया जाए।

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

(कमल खोसला)
(साझेदार)
एम.सं. : 095944

V.K. KHOSLA & CO. FRN 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 19 जून, 2024
यूडीआईएन सं.: 24095944BKEB043248

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2024 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -9- अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ :		
क) स्वाधिकृत आस्तियाँ	-	-
ख) अनुदानों से अर्जित, या निःशुल्क प्राप्त आस्तियाँ	-	-
2) वसूल किए गए निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4) विविध आय	-	-
5) देयताएं जिनकी आवश्यकता नहीं	18,037	-
कुल	18,037	-

अनुसूची -10- स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी	-	-
ख) भत्ते एवं बोनस	-	-
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-
घ) अन्य निधि मे अंशदान (निर्दिष्ट करें)	-	-
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सीमान्तक लाभ पर व्यय	-	-
छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

(कमल खोसला)
(साझेदार)
एम.सं. : 095944

V.K. KHOSLA & CO. FRN 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 19 जून, 2024
यूडीआईएन सं.: 24095944BKEB0Y3248

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2024 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -11- अन्य प्रशासनिक खर्च	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) क्रय	-	-
ख) मजदूरी एवं प्रसंस्करण प्रभार	35,39,946	35,20,735
ग) ढुलाई एवं आवक ढुलाई	-	-
घ) विद्युत एवं शक्ति	-	-
ङ) जल प्रभार	-	-
च) बीमा	-	-
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	-	-
ज) उत्पाद शुल्क	-	-
झ) किराया, दरें एवं कर	-	-
ञ) वाहन संचालन एवं रखरखाव	-	-
ट) डाक, टेलिफोन एव संचार प्रभार	-	-
ठ) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	1,36,478	86,264
ड) यात्रा एवं वाहन व्यय	4,328	1,060
ढ) सेमिनार/कार्यशालाओं पर व्यय	1,42,59,056	80,73,016
ण) अभिदान व्यय	-	-
त) फीस पर व्यय	-	-
थ) लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक	24,500	25,000
द) आतिथ्य व्यय	-	-
ध) व्यावसायिक प्रभार	8,53,797	6,25,044
न) अशोध्य संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
प) अपलिखित अशोध्य शेष	-	-
फ) पैकिंग प्रभार	-	-
ब) भाड़ा एवं अग्रेषण व्यय	-	-
भ) वितरण व्यय	-	-
म) विज्ञापन एवं प्रचार (अपलिखित अतिरिक्त प्रावधान का निवल)	-	-
य) क्षमता निर्माण व परामर्श	2,29,70,410	1,77,57,564
ककक) सचिवीय व्यय	-	-
कख) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
i) अन्य व्यय (अपलिखित अतिरिक्त प्रावधान का निवल)	56,994	21,967
ii) वेबसाइट व्यय	15,093	-
iii) आत्म मूल्यांकन कर पर प्रदत्त ब्याज	-	-
iv) अपील के लिए फीस	-	-
कुल	4,18,60,602	3,01,10,650

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

(कमल खोसला)
(साझेदार)
एम.सं. : 095944

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 19 जून, 2024
यूडीआईएन सं.: 24095944BKEBOY3248

विनियामक फोरम

अनुसूची 12 एवं 13: (31 मार्च, 2024 को तुलनपत्र का भाग)

विनियामक फोरम की पृष्ठभूमि

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अधीन उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी, 2005 को अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया। फोरम ने केविविआ के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं।

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्

- केन्द्रीय आयोग और राज्य आयोग के टैरिफ आदेशों और अन्य आदेशों का विश्लेषण और कंपनियों के कुशल सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए उक्त आदेशों उद्भूत आंकड़ों का संकलन;
- विद्युत क्षेत्र में विनियम को सुसंगत करना;
- अधिनियम के अधीन यथापेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानक निर्धारित करना;
- सामान्य हित और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न विषयों पर फोरम के सदस्यों में सूचना शेयर करना;
- विद्युत क्षेत्र विनियम से संबंधित विषयों पर आउट सोर्स के माध्यम से या इनहाउस अनुसंधान कार्य करना;
- उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए और विद्युत क्षेत्र में कुशलता किफायत प्रतिस्पर्धा को विकसित करना; और
- इस प्रकार के अन्य कार्य जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय-समय से निर्दिष्ट करती है।

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002283एन

(कमल खोसला)
साझेदार
सदस्यता सं.: 095944
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 19 जून, 2024
यूडीआईएनः 24095944BKEBOY3248

विनियामक फोरम (एफओआर)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट (अगले पृष्ठ पर जारी)

1. **<u>लेखांकन की पद्धति</u>**

   लेखा ऐतिहासिक लागत पारंपरिक उपचित आधार के अधीन तैयार किए जा रहे हैं और कंपनी अधिनियम धारा, 2013 की धारा 133 के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखांकन मानक के अनुरूप अनुपालन किया जा रहा है।

2. **<u>आय की मान्यता</u>**

   प्रत्येक सदस्य से सदस्यता शुल्क वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की फीस और अन्य आय उपचित आधार पर लेखाबहियों में की जाती है।

3. **<u>नियत आस्तियां और मूल्यह्रास</u>**

   नियत आस्तियों पर मूल्य ह्रास आयकर अधिनियम 61 में निर्धारित दरों के अनुसार बट्टा खाते मूल्य पद्धति पर किया गया है।

4. **<u>अनुदान</u>**

   क्षमता निर्माण और परामर्श के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। अव्ययित अनुदान वापस किया गया है या देयता के रूप में दर्शाया गया है।

5. **<u>उत्तरवर्ती घटना को समायोजित करना</u>**

   <u>कर से संबंधित मामले</u>

(क) **निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए जांच मूल्यांकन**

(i) आयकर छूट की अनुपस्थिति में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2016-17 (वित्त.व. 2015-16) के लिए रु.25,03,750/- का कर और रु.21,70,000/- का जुर्माना लगाया है। एफओआर ने कर का भुगतान किया है और जुर्माने के विरुद्ध सीआईटी (ए) के पास अपील दायर की है।

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

विनियामक फोरम (एफओआर)

(कमल खोसला)
साझेदार
सदस्यता सं.: 095944
स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 19 जून, 2024
यूडीआईएन: 24095944BKEBDY3248

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट (अगले पृष्ठ पर जारी)

(ii) दिनांक 31.07.2019 को केविविआ एवं एफओआर के उच्चतर अधिकारियों ने, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष से भेंट की जहाँ एफओआर के लिए छूट के अनुरोध से संबंधित मामले पर विस्तार से चर्चा हुई। तथापि, अध्यक्ष, सीबीडीटी को ज्ञात हुआ कि एफओआर को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन छूट प्रदान किए जाने के लिए कोई समुचित आधार नहीं है। अध्यक्ष, एफओआर/केविविआ की ओर से दिनांक 11.09.2019 का अर्धशासकीय पत्र अध्यक्ष, सीबीडीटी को सकारात्मक निर्णय और एफओआर को छूट प्रदान किए जाने के अनुरोध के साथ भेजा गया। तथापि, कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः भविष्य में एफओआर को आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन छूट प्रदान किया जाना निश्चित नहीं है।

(iii) वित्त मंत्रालय ने 18 मार्च, 2020 को अपनी अधिसूचना द्वारा एक नई योजना अर्थात् "विवाद से विश्वास योजना 2020" आरंभ की है। आरंभ की गई योजना, प्रत्यक्ष करों के मामले में विवादों के समाधान के लिए है। उक्त योजना के अनुसार, विवादित जुर्माने या विवादित ब्याज से संबंधित कोई भी अपील (31 जनवरी, 2020 को लंबित) का निपटान 31 मार्च, 2020 को या इस से पूर्व विवादित जुर्माने या विवादित ब्याज, जैसा भी मामला हो, के 25% (और इस के बाद 30 जून, 2020 को या इससे पूर्व 10% का अतिरिक्त भुगतान द्वारा) के भुगतान द्वारा किया जा सकता है। तथापि, अब इस योजना को 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। 11 मई, 2020 एवं 15 मई, 2020 को आयोजित एफओआर की 71वीं बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त योजना का लाभ उठाया जाए और वि.व. 2016-17 के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने (उपर्युक्त मद (iv) में संदर्भित है) का भुगतान किया जाए और मामले को समाप्त किया जाए। तदनुसार, वित्त. व. 2020-21 के दौरान, एफओआर सचिवालय ने रु.5,42,500/- की राशि का भुगतान कुल जुर्माना राशि के 25% के लिए किया और आयकर प्राधिकारियों के अधीन इस मामले की समाप्ति के दिनांक 15 जून, 2021 का अंतिम आदेश विधिवत रूप से प्राप्त किया गया है।

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002283एन

(कमल खोसला)
साझेदार
सदस्यता सं.: 095944
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 19 जून, 2024
यूडीआईएनः 24095944BKEBDY3248

विनियामक फोरम (एफओआर)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट (अगले पृष्ठ पर जारी)

6. <u>आकस्मिक देयताएं</u>

(i) वित्तीय वर्षों 2005-06 से 2014-15 के लिए आयकर के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है और ब्याज/जुर्माना, यदि कोई हो, का निर्धारण और उपबंध नहीं किया गया है जो कि आयकर छूट प्राप्त नहीं होने की दशा में हो सकते हैं।

(ii) पूर्व वर्षों के लिए सेवाकर के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है।

7. <u>सेवानिवृत्ति लाभ</u>

एफओआर में कोई नियमित कर्मचारी नहीं हैं। अतः कोई सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है/उपबंध नहीं किया गया है।

8. <u>ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी डिपॉजिट में जमा और एफडीआर में निवेश</u>

ऑटोस्वीप/फ्लेक्सी डिपॉजिट में जमा और एफडीआर में निवेश ऑटोस्वीप/फ्लेक्सी डिपॉजिट में सावधि जमा और अल्पकालिक जमा को लागत पर वर्णित किया गया है और नकदी एवं बैंक शेष में दर्शाया गया है।

9. यह पाया गया है कि बहियों और जीएसटी पोर्टल के अनुसार जीएसटी खाता-बहियों के बीच कुछ समाधान अंतर हैं, जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। हमारे सत्यापन के अनुसार, बहियों और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही के बीच रु.1,04,734/- का अंतर है, जिसमें से रु. 57,822/- मई, 2023 में की गई लिपिकीय त्रुटि के कारण है, और शेष रु. 46,912/- पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए समाधान नहीं की गई राशि है।

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002283एन

(कमल खोसला)
साझेदार
सदस्यता सं.: 095944
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 19 जून, 2024
यूडीआईएनः 24095944BKEBAY3248

विनियामक फोरम (एफओआर)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट (अगले पृष्ठ पर जारी)

10. आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया और जहां आवश्यक हो उनकी पुनःव्यवस्था की गई।

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002283एन

(कमल खोसला)
साझेदार
सदस्यता सं.: 095944
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 19 जून, 2024
यूडीआईएनः 24095944BKEBGY3248

विनियामक फोरम (एफओआर)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

विनियामक फोरम
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रु.में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23	भुगतान	चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
1. आरंभिक शेष:			1. निम्नलिखित को रिलीज़:		
(क) नकद शेष	23.75	23.75			
			भारत सरकार - विद्युत मंत्रालय - योजना निधि (क्षमता निर्माण एवं परामर्श के लिए)	73,83,890.00	14,46,834.00
(ख) बैंक शेष					
(i) बचत खाता:					
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - बचत-सह-ऑटो स्वीप खाता	2,91,48,498.38	5,77,69,503.57			
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - बचत खाता (योजना निधि)	60,748.33	0.29			
(ii) सावधि जमा (फोरम निधि)	3,70,10,644.00	3,70,10,643.73			
2. निम्नलिखित से रिलीज़:			2. व्यय:		
भारत सरकार - विद्युत मंत्रालय - योजना निधि (क्षमता निर्माण एवं परामर्श के लिए)	80,00,000.00	46,26,000.00	(क) बैठक एवं संगोष्ठी व्यय	1,37,52,406.00	76,21,669.00
			(ख) व्यावसायिक शुल्क (सलाह परामर्शदाता)	7,29,323.00	5,13,159.00
			(ग) क्षमता निर्माण एवं परामर्श:		
			- फोरम की निधि	1,44,89,390.00	1,77,57,564.00
			- योजना निधि	6,40,495.00	32,15,443.96
			(घ) प्रशासनिक व्यय:		
			- बैंक प्रभार (फोरम की निधि)	146.32	423.48
			- बैंक प्रभार (योजना निधि)	305.93	-
			- श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	32,27,464.00	32,17,155.00
			- मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	1,36,478.00	96,264.00
			- व्यावसायिक प्रभार	21,000.00	18,000.00
			- यात्रा व्यय	4,328.00	1,060.00
			- वेबसाइट व्यय	5,203.00	-
			- अन्य व्यय:		
			- ई-टीडीएस फाइल करने हेतु व्यय	277.00	300.00
			- कार्यालय व्यय/बैठक परीक्षा व्यय	55,697.00	10,602.00

हमारी संबद्ध तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार-

वी. के. खोसला एण्ड क.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

V.K. KHOSLA & CO. * Chartered Accountants * FRN 2283 N NEW DELHI

(कमल खोसला)
(साझेदार)
एम.सं.: 095944

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 19 जून, 2024
यूडीआईएन सं.: 24095944BKEBOY3248

विनियामक फोरम
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रु.में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23	भुगतान	चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
3. आवधिक प्राप्तियां			3. (i) स्टाफ को अग्रिम		
			(क) अन्य अग्रिम (व्यय)		
(क) सदस्यता शुल्क (फोरम की निधि)	3,00,00,000.00	30,00,000.00			
			(ii) ~~प्रशासनिक व्यय~~		
(ख) फ्लेक्सी जमा/सावधि जमा रसीद से ब्याज:					
- फोरम की निधि	23,05,253.00	21,45,743.00			
- कोरपस निधि	19,90,151.00	22,23,373.00	(क) लेखा परीक्षा फीस	24,500.00	25,000.00
			(ख) कार्यालय व्यय	174.00	774.00
			(ग) श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय (दायित्व का निवल)	2,96,731.00	2,81,256.00
			(घ) व्यावसायिक प्रभार	28,000.00	28,000.00
			(ङ) व्यावसायिक प्रभार (स्टाफ परामर्शदाता)	59,296.00	-
(ग) बचत खातों से ब्याज			(च) ऑटो स्वीप एफडीआर से ब्याज (फोरम की निधि)	65,165.00	24.00
- फोरम की निधि	1,529.00	13,078.00	(छ) आयकर (अग्रिम कर, टीडीएस, जीएसटी एवं अंतर मूल्यांकन कर पर टीडीएस)	2,30,501.00	3,11,326.00
- योजना निधि	24,772.00	36,132.00	(ज) जीएसटी (आउटपुट)	54,00,000.00	-
			(झ) जीएसटी (इनपुट)	41,49,841.00	31,15,494.00
			(ञ) बैठक के लिए अग्रिम	21,87,500.00	28,13,800.00
			(ट) कार्यालय व्यय/नियत आस्तियों के लिए अग्रिम	-	15,000.00
			(ठ)विज्ञापन, संविदा एवं व्यावसायिक शुल्क पर देय टीडीएस	14,70,190.00	13,63,493.00
			(ड) सीजीएसटी, एसजीएसटी एवं आईजीएसटी पर देय टीडीएस	3,33,960.00	3,18,195.00
			(ढ) वेबसाइट व्यय	-	-
			(ण) प्रशिक्षण व्यय	89,12,582.00	1,09,71,932.00
			(त) प्राप्य आईजीएसटी पर टीडीएस	2,00,000.00	14,000.00
			(थ) फ्लिंटेंड बैठक व्यय	-	20,20,830.00
			(द)अध्ययन एवं परामर्श (एफओआर की निधि)	-	4,45,500.00
			(ध) अध्ययन एवं परामर्श (एसओपी की निधि)	15,00,000.00	-
			(iii) अन्य व्यय:		
			(क) अन्य व्यय	18,647.00	31,320.00
4. अन्य प्राप्तियां			4. नियत आस्तियों पर व्यय:		
			(क) टेबलेट	-	71,326.00
			(ख) कम्प्यूटर	-	1,13,023.00
			(ग) प्रिंटर	33,894.00	-
5. विशेष प्राप्तियां			5. अंतिम शेष:		
			(क) नकद शेष	23.75	23.75
			(ख) बैंक शेष		
			(i) बचत खाता:		
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बचत-सह-ऑटो स्वीप खाता	2,32,10,289.06	2,51,48,498.38
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - बचत खाता (योजना निधि)	6,86,751.40	60,748.33
			(ii) सावधि जमा (कॉरपस निधि)	3,70,10,644.00	3,70,10,644.00

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283N

(करण खोसला)
(साझेदार)
एम.सं. : 095944

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 19 जून, 2024
यूडीआईएन सं.: 24095944BKEBDY3248

V.K. KHOSLA & CO. FRN 2283 N NEW DELHI Chartered Accountants

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

विनियामक फोरम
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रु.में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23	भुगतान	चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
6. **अन्य प्राप्तियां**					
- अन्य व्यय	-	31,714.56			
- प्रशिक्षण अग्रिम (एफओआर निधि)	23,54,362.00	92,75,932.00			
- प्रशिक्षण अग्रिम (एमओपी की निधि)	15,00,000.00	-			
- प्राप्य सदस्यता फीस	-	8,00,000.00			
- बैठक के लिए अग्रिम	15,69,569.00	22,62,453.00			
- जीएसटी (इनपुट) दावा	28,29,220.00	-			
- प्राप्य आईजीएसटी पर टीडीएस	2,37,016.00	-			
- विज्ञापन, संविदा एवं व्यावसायिक शुल्क पर देय टीडीएस	26,92,266.00	16,73,006.00			
- सीजीएसटी, एसजीएसटी एवं आईजीएसटी पर देय टीडीएस	5,92,050.00	3,90,741.00			
- प्राप्य टीडीएस	4,50,863.00	-			
- देय व्यावसायिक प्रभार (एफओआर की निधि)	-	2,200.00			
- कार्यालय व्यय/नियत आस्तियों के लिए अग्रिम	-	4,138.00			
- प्राप्य जीएसटी (आउटपुट)	54,00,000.00	6,84,000.00			
- आयकर रिफंड से ब्याज	18,037.00	-			
कुल	12,61,85,002.46	12,19,48,681.90	कुल	12,61,85,002.46	12,19,48,681.90

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

वी. के. खोसला एण्ड क.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

(कमल खोसला)
(साझेदार)
एम.सं. : 095944

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 19 जून, 2024
यूडीआईएन सं.: 24095944BKEBOY3248

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र
नई दिल्ली-110001

वि.व. 2023-2024 के लिए सरकारी वित्तीय सहायता के लेखा का विवरण

(राशि रु.में)

विवरण		वि.व. 2023-2024	वि.व. 2022-2023
आरंभिक शेष		60,748	-
जोड़:			
प्राप्त ब्याज (टीडीएस = रू. शून्य)		24,772	36,132
विद्युत मंत्रालय से वर्ष के दौरान प्राप्त निधि		80,00,000	46,29,000
	कुल (क)	80,85,520	46,62,132
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग			
अध्ययन एवं परामर्श प्रभार		74,20,308	29,33,061
क्षमता निर्माण		6,40,405	2,21,250
बैंक प्रभार		306	239
अर्जित ब्याज के कारण विद्युत मंत्रालय को वापस		24,476	36,132
अव्ययित वित्तीय सहायता के कारण विद्युत मंत्रालय को वापस		-	14,10,702
	कुल (ख)	80,85,495	46,01,384
कुल (क- ख)		25	60,748
अगले वर्ष के लिए अपेक्षित शेष राशि		25	60,748

इससे संबंध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन

(कमल खोसला)
साझेदार
सदस्यता सं.: 095944

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 19 जून, 2024
यूडीआईएन: 24095944BKEBOY3248

अनुबंध– I

वर्ष के दौरान राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम और आदेश

1. अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एपीएसईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

1) अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच (जीईओए) और शुल्क की गणना के लिए कार्यप्रणाली) विनियम 2024

2) अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम 2024

3) अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग/नेट फीड–इन, ग्रॉस मीटरिंग और इससे संबंधित मामले सहित नेट मीटरिंग के साथ ग्रिड इंटरएक्टिव वितरित अक्षय ऊर्जा प्रणाली) विनियम, 2024

4) अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2024

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशः

1) विद्युत विभाग – अरुणाचल प्रदेश सरकार के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ आदेश के अंतर्गत अनुमोदित खुदरा टैरिफ को वित्तीय वर्ष 19–20, 20–21, 21–22, 22–23 और 2023–24 के लिए जारी रखने की अनुमति देने के लिए याचिका हेतु टैरिफ आदेश।

2) विद्युत विभाग – अरुणाचल प्रदेश सरकार के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18, वित्तीय वर्ष 2018–19, वित्तीय वर्ष 2019–20, वित्तीय वर्ष 2020–21, वित्तीय वर्ष 2021–22 और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ट्रू अप ऑर्डर।

2. आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एपीईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

1) आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व)

2) आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग प्रदर्शन मानक विनियम संख्या 7, 2004

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशः

1) व्यापक विचलन निपटान तंत्र (सी–डीएसएम) पर विनियमन जारी करने के मामले में आदेश जारी किया गया।

2) नवीकरणीय ऊर्जा/नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की खरीद के मामले में आदेश जारी किया गया।

3) एपीईआरसी (व्हीलिंग और बिजली की खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) (2005 का विनियम संख्या 4) के खंडों में उपयुक्त संशोधन जारी करने के मामले में आदेश जारी किया गया।

अन्य प्रासंगिक उपलब्धियाँः

01–04–2023 से 31–03–2024 की अवधि के दौरान सीजीआरएफ और लोकपाल के संबंध में रिक्त पदों का सारांश।

3. असम विद्युत विनियामक आयोग (एईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

1) असम विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) (छठा संशोधन) विनियम, 2023

2) असम विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाइसेंसधारियों का कार्यनिष्पादन मानक) विनियम, 2021 (पहला संशोधन), 2023

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशः

1) नवीकरणीय खरीद दायित्व आदि से छूट के संबंध में एईआरसी (नवीकरणीय क्रय दायित्व और उसका अनुपालन) विनियम 2010 और सीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की मान्यता और जारी करने के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम 2010 के आदेश जारी किया गया।

2) विचलन निपटान तंत्र (डीएसएम) के कार्यान्वयन और एम्बेडेड / खुली पंहुच उपभोक्ताओं की प्रयोज्यता के संबंध में आदेश जारी किया गया।

3) एईआरसी खुली पंहुच रेगुलेशन 2018 के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश।

4) सैन्य इंजीनियर्स सेवा (एमईएस) द्वारा दायर याचिका में आदेश, जिसमें एमईएस (रक्षा बलों) के लिए अन्य राज्यों द्वारा प्रदान की गई घरेलू टैरिफ दरों (या उचित) के बराबर एक विशेष टैरिफ स्लैब / श्रेणी बनाने की मांग की गई।

5) वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ट्रूइंग अप, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए संशोधित वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ के संबंध में एईजीसीएल के 29 मार्च, 2023 के टैरिफ आदेश की समीक्षा के लिए दायर याचिका संख्या 12 / 2023 पर आदेश।

6) एईआरसी (बहुवर्षीय टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2021 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए संशोधित समग्र राजस्व आवश्यकता और खुदरा टैरिफ के अनुमोदन के लिए एपीडीसीएलध्एपीजीसीएल / एईजीसीएल द्वारा दायर याचिका संख्या 29 / 2023, 28 / 2023 पर आदेश।

अन्य प्रासंगिक उपलब्धियांः

1) 29 मार्च 2023 को टैरिफ आदेश समय पर जारी करना।

2) 31.03.2024 तक आयोग के पास कोई मामला लंबित नहीं है।

3) डिस्कॉम के लिए कोई विनियामक परिसंपत्ति सृजित नहीं की गई।

4) आयोग द्वारा मामलों का समय पर निपटान।

4. बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

1) बीईआरसी (नवीकरणीय खरीद दायित्व, इसका अनुपालन और आरईसी फ्रेमवर्क कार्यान्वयन) विनियम, 2023

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशः

1) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सामान्य स्तरीय टैरिफ के निर्धारण के लिए स्वतः संज्ञान कार्यवाही।

2) बीईआरसी (नवीकरणीय खरीद दायित्व, इसका अनुपालन और आरईसी फ्रेमवर्क कार्यान्वयन) विनियम 2010 के विनियम 9.2 और 13 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया।

3) विनियमन 36 अर्थात बीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम 2017 की कठिनाई को दूर करने की शक्ति के अंतर्गत आदेश पारित किया गया।

4) बीईआरसी के विनियमन 12 (जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट से बिजली का बैंकिंग) और बीईआरसी के विनियमन 14 (नेट और ग्रॉस मीटरिंग पर आधारित रूफटॉप सोलर ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम) के अंतर्गत आदेश पारित किया गया।

5) एसबीपीडीसीएल और एनबीपीडीसीएल, एसएलडीसीय बीजीसीएल, बीएसपीटीसीएल का दिनांक 01.03.2024 का टैरिफ आदेश।

6) मुख्य अभियंता (एसटीयू), बीएसपीटीसीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एपीआर, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एआरआर और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए टैरिफ के लिए 2022 के केस नंबर 20 में बीईआरसी टैरिफ आदेश पर समीक्षा याचिका के लिए दायर याचिकाओं के मामले में दिनांक 03.01.2024 को आदेश पारित किया गया।

7) मुख्य अभियंता (एसटीयू), बीएसपीटीसीएल द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 और बीईआरसी (कारबार का संचालन) विनियम, 2005 के विनियम 31 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एपीआर, वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक की नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए टैरिफ के लिए मामला संख्या 20/21 में दायर समीक्षा याचिका के मामले में दिनांक 23.06.2023 को आदेश पारित किया गया।

5. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (सीएसईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

1) सीएसईआरसी (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुसार टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें तथा टैरिफ और शुल्क से अपेक्षित राजस्व के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रिया) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023

2) सीएसईआरसी (छत्तीसगढ़ में अंतर–राज्यीय खुली पहुंच) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023

3) सीएसईआरसी (ग्रिड इंटरएक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशः

1) सीएसईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली के लिए उत्पादन शुल्क और संबंधित मामलों के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2022 के विनियम 8.6 के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आधारित संयंत्रों के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सामान्य अधिमान्य टैरिफ के निर्धारण के लिए स्वतः संज्ञान कार्यवाही।

2) वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए मेसर्स भिलाई स्टील प्लांट के उपभोक्ताओं के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और खुदरा टैरिफ के निर्धारण के मामले में स्वतः संज्ञान कार्यवाही।

3) मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की ण वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए और वित्तीय वर्ष 2021–22 के दिनांक 18.08.2023 और 10.01.2024 के ट्रू–अप के साथ वार्षिक राजस्व आवश्यकता और ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।

4) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत संचरण कंपनी द्वारा दायर याचिकाओं में वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लघुधमिनी जलविद्युत संयंत्रों के एआरआर/टैरिफ का निर्धारण।

6. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

क्र.सं.	प्रकाशन की तिथि	अधिसूचना संख्या	विषय
1.	26.04.2023	सं. 7 एनसीटीडी सं 34	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (कारबार योजना) विनियम के संबंध में शुद्धिपत्र
2.	02.08.2023	सं. 10 एनसीटीडी सं 176	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु फोरम और लोकपाल) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023
3.	19.01.2024	सं. 02 एनसीटीडी सं 399	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं और लोकपाल की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 के संबंध में शुद्धिपत्र
4.	01.03.2024	सं. 03 एनसीटीडी सं 451	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (न्यायिक अधिकारी द्वारा जांच के लिए व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2023

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान जारी आयोग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आदेशः

(i) संसाधन पर्याप्तता

पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने तथा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने डिस्कॉम्स के साथ कई पीपीए का अनुमोदन किया, जो इस प्रकार हैं:

o **<u>दीर्घावधि पीपीए</u>**

- बीआरपीएल को दिनांक 26/03/2024 के आदेश के अंतर्गत एसईसीआई के माध्यम से 110 मेगावाट पवन–सौर हाइब्रिड पावर की खरीद के लिए अनुमोदन।
- बीआरपीएल को दिनांक 26/02/2024 के आदेश के अंतर्गत एसईसीआई के माध्यम से 100 मेगावाट पवन ऊर्जा की खरीद के लिए अनुमोदन।
- टीपीडीडीएल को दिनांक 17/01/2024 के आदेश के अंतर्गत एसईसीआई के माध्यम से 50 मेगावाट पवन ऊर्जा की खरीद के लिए अनुमोदन।
- बीआरपीएल को दिनांक 8/01/2024 के आदेश के अंतर्गत एसईसीआई के माध्यम से 150 मेगावाट पवन ऊर्जा की खरीद के लिए अनुमोदन।
- बीआरपीएल को दिनांक 8/01/2024 के आदेश के अंतर्गत एसईसीआई के माध्यम से 210 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद के लिए अनुमोदन।
- बीआरपीएल को दिनांक 8/01/2024 के आदेश के अंतर्गत एसईसीआई के माध्यम से 100 और 250 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद के लिए अनुमोदन।
- बीवाईपीएल को दिनांक 8/01/2024 के आदेश के अंतर्गत एसईसीआई के माध्यम से 50 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद के लिए अनुमोदन।
- बीवाईपीएल को दिनांक 17/11/2023 के आदेश के अंतर्गत एसईसीआई के माध्यम से 100 मेगावाट पवन ऊर्जा की खरीद के लिए अनुमोदन।
- बीवाईपीएल को दिनांक 17/11/2023 के आदेश के अंतर्गत एसईसीआई के माध्यम से 50 मेगावाट पवन ऊर्जा की खरीद के लिए अनुमोदन।
- बीवाईपीएल को दिनांक 17/11/2023 के आदेश के अंतर्गत एसईसीआई के माध्यम से 50 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद के लिए अनुमोदन।

o **मध्यम अवधि पीपीए**

- एनडीएमसी को दिनांक 28/03/2024 के आदेश के अंतर्गत 'शक्ति' नीति के पैरा ख(अ) के अंतर्गत पीएफसी से 5 वर्ष की अवधि के लिए 181.8 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए अनुमोदन।
- बीआरपीएल को दिनांक 19/01/2024 के आदेश के अंतर्गत ग्रीनशू विकल्प के माध्यम से 200 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के साथ सभी स्रोतों से 300 मेगावाट की खरीद के लिए अनुमोदन।

o **अल्पावधि पीपीए**

- बीआरपीएल को दिनांक 26/03/2024 के आदेश के अंतर्गत जून 2024 और जुलाई 2024 के लिए 200 मेगावाट आरटीसी शॉर्ट टर्म पावर की खरीद के लिए अनुमोदन।
- बीआरपीएल को दिनांक 31/01/2024 के आदेश के अंतर्गत अप्रैल 2024 और मई 2024 के लिए 50 मेगावाट आरटीसी शॉर्ट टर्म पावर की खरीद के लिए अनुमोदन।
- बीआरपीएल को दिनांक 21/01/2024 के आदेश के अंतर्गत 1/06/2024 से 30/09/2024 तक 500 मेगावाट तक आरटीसी शॉर्ट टर्म पावर की खरीद के लिए अनुमोदन।
- टीपीडीडीएल को दिनांक 15/12/2023 के आदेश के अंतर्गत 1/06/2024 से 30/09/2024 की अवधि के लिए अल्पावधि आधार पर बिजली की खरीद के लिए अनुमोदन।
- टीपीडीडीएल को दिनांक 9/11/2023 के आदेश के अंतर्गत अल्पावधि आधार पर बिजली बैंकिंग के लिए अनुमोदन।
- बीवाईपीएल को दिनांक 27/04/2023 के आदेश के अंतर्गत मई '23 से सितंबर '23 तक 37.73 मेगावाट अल्पकालिक बिजली की खरीद के लिए द्विपक्षीय व्यवस्था के लिए अनुमोदन।

(ii) मांग पक्ष प्रबंधन

आयोग ने दिनांक 10/07/2023 के आदेश के अंतर्गत बीआरपीएल के लिए अकुशल एयर कंडीशनरों को कुशल एयर कंडीशनरों से बदलने का अनुमोदन किया।

आयोग ने दिनांक 11/07/2023 के आदेश के अंतर्गत बीवाईपीएल के लिए अकुशल एयर कंडीशनरों को कुशल एयर कंडीशनरों से बदलने का अनुमोदन किया।

(iii) ग्रीष्मकालीन तैयारी बैठक

आयोग ने 28/02/2024 को कार्यालय में दिल्ली की विद्युत उपयोगिताओं के साथ ग्रीष्मकालीन तैयारी बैठक आयोजित की और विद्युत खरीद योजना एवं नेटवर्क बाधाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।

(iv) पीपीएसी आदेश

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(4) के अनुसार डीईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2017 के विनियम 134 के साथ पठित और 2011 के ओपी 1 में माननीय एपीटीईएल निर्णय दिनांक 11/11/2011 के अनुपालन के साथ, आयोग ने डिस्कॉम के पीपीएसी को मंजूरी दी जिसका विवरण इस प्रकार है:

सामान्य आदेश

- आयोग द्वारा दिनांक 21/07/2023 के आदेश के अंतर्गत जारी निर्देश को हटाना, जिसमें आयोग द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित किए जाने तक कोई अतिरिक्त पीपीएसी नहीं बनाने का निदेश था।
- डिस्कॉम को निदेश दिया गया कि जब तक आयोग द्वारा विशेष रूप से अनुमोदन न किया जाए, तब तक कोई अतिरिक्त पीपीएसी न किया जाए।
- 07.07.2023 को जारी डीईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2017 में कठिनाई को दूर करना।

डिस्कॉम की याचिकाओं पर पीपीएसी के आदेश

- बीवाईपीएल की पीपीएसी को दिनांक 8/03/2024 के आदेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के लिए अनुमोदन।
- बीआरपीएल की पीपीएसी को दिनांक 8/03/2024 के आदेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के लिए अनुमोदन।
- टीपीडीडीएल की पीपीएसी को दिनांक 8/03/2024 के आदेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 की दूसरी तिमाही के लिए अनुमोदन।
- एनडीएमसी की पीपीएसी को दिनांक 26/02/2024 के आदेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 की पहली तिमाही के लिए अनुमोदन।
- टीपीडीडीएल की पीपीएसी को दिनांक 3/01/2024 के आदेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 की पहली तिमाही के लिए अनुमोदन।
- एनडीएमसी की पीपीएसी को दिनांक 12/07/2023 के आदेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 की तीसरी और चौथी तिमाही के लिए अनुमोदन।
- बीवाईपीएल की पीपीएसी को दिनांक 22/06/2023 के आदेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 की दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही के लिए अनुमोदन।
- बीआरपीएल की पीपीएसी को दिनांक 22/06/2023 के आदेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 की दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही के लिए अनुमोदन।
- एनडीएमसी की पीपीएसी को दिनांक 22/06/2023 के आदेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 की दूसरी तिमाही के लिए अनुमोदन।
- टीपीडीडीएल की पीपीएसी को दिनांक 7/06/2023 के आदेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 की दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही के लिए अनुमोदन।
- एनडीएमसी की पीपीएसी को दिनांक 1/06/2023 के आदेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 की पहली तिमाही के लिए अनुमोदन।

अन्य आदेशः

- प्रभार और प्रक्रिया की अनुसूची (सातवां संशोधन) आदेश दिनांक 01.08.2023

कोई अन्य उपलब्धियांः

o महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश

  - डीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग) (पांचवां संशोधन) दिशानिर्देश, 2024

7. गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (जीईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

1) जीईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता और संबंधित मामले) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2023

2) जीईआरसी (ग्रीन एनर्जी खुली पंहुच के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशः

1) 1 अक्तूबर 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए खुली पंहुच उपभोक्ताओं द्वारा देय अतिरिक्त अधिभार का अवधारण।

2) 1 अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर, 2024 की अवधि के लिए खुली पंहुच उपभोक्ताओं द्वारा देय अतिरिक्त अधिभार का अवधारण।

3) कैप्टिव पावर प्लांट के संबंध में समानांतर संचालन प्रभार।

4) भंडारण सहित पवन–सौर हाइब्रिड परियोजनाओं से वितरण लाइसेंसधारियों और अन्य द्वारा बिजली की खरीद के लिए टैरिफ ढांचा।

5) नगर निगम के ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं तक वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बिजली की खरीद के लिए टैरिफ ढांचा।

अन्य प्रासंगिक उपलब्धियां:

1) जीईआरसी ने देश भर में वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए टैरिफ के युक्तिकरण पर समिति की बैठक में भाग लिया। समिति ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

2) उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों (सीजीआरएफ) और लोकपाल के कामकाज और प्रदर्शन के बारे में त्रैमासिक रिपोर्ट विनियामकों के मंच को प्रस्तुत की गई हैं।

3) राज्य समन्वय फोरम की 22वीं बैठक 31.08.2023 को आयोजित की गई।

4) आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ट्रूइंग अप, एआरआर की स्वीकृति और वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए टैरिफ के निर्धारण के मामले में टैरिफ कार्यवाही शुरू की है। आयोग ने उक्त मामले के लिए उपयोगिताओं द्वारा दायर टैरिफ याचिकाओं के लिए 04.03.2024, 14.03.2024 और 16.03.2024 को अपने कार्यालय में सार्वजनिक सुनवाई भी की है।

5) आयोग ने इस अवधि के दौरान चौथे नियंत्रण अवधि के लिए मसौदा जीईआरसी (एमवाईटी) विनियम प्रकाशित किए हैं।

8. हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम:

1) हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पंहुच) विनियम, 2023

2) हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (फोरम एवं लोकपाल) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023

3) हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ फ्रेमवर्क के अंतर्गत उत्पादन, ट्रांसमिशन, व्हीलिंग और वितरण और खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019

4) आपूर्ति संहिता में संशोधन। अनधिकृत कॉलोनियों/झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व/कानूनी कब्जे के प्रमाण पर जोर दिए बिना बिजली कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

5) हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2014 (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2024

6) हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (फोरम एवं लोकपाल) विनियम, 2020 (तृतीय संशोधन (2024)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश:

1) कारबार विनियम, 2019 के विनियम 65, 68, 69, 70 और 71 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 और एचईआरसी (इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टैरिफ और अन्य विनियामक मुद्दे स्थापित करने के लिए निबंधन और शर्तें), विनियम, 2021 के विनियम 19, 20, 21 और 22 के अंतर्गत दायर याचिकाओं के संबंध में आदेश।

2) पारेषण व्यवसाय और राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर), वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एआरआर टैरिफ याचिका का सत्यापन।

3) उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, गुरुग्राम के आदेश का पालन न करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 सहपठित 146 के अंतर्गत याचिका के संबंध में आदेश।

4) मामला संख्या एचईआरसी/याचिका संख्या 52/2021 में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ आदेश दिनांक 21.03.2022 के कार्यान्वयन में उत्पन्न कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिए दायर याचिकाओं में आदेश।

9. झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

1) जेएसईआरसी (रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम और नेट/ग्रॉस मीटरिंग) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023

2) जेएसईआरसी (पारंपरिक ईंधन पर आधारित कैप्टिव पावर प्लांट की अधिशेष क्षमता का उपयोग) विनियमन, 2023

3) जेएसईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व और उसका अनुपालन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2024

4) जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2024

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशः

1) जेएसईआरसी विनियमन 15.10 में संशोधन और टर्मिनल उत्पादन स्टेशनों के लिए कर–पश्चात 15.50 प्रतिशत रिटर्न की दर में संशोधन करना।

2) 600 केवीए अनुबंध मांग वाले 33 केवी की आपूर्ति वोल्टेज पर सेवा एचटी कनेक्शन लेने की अनुमति देने का आदेश।

3) झारखंड राज्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग की स्थापना और कार्यान्वयन पर विनियमन तैयार करना।

4) झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के लिए 2021–22 के लिए ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और टैरिफ

5) झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रू–अप याचिका, वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बिजनेस प्लान और एमवाईटी टैरिफ याचिका

6) दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा और टैरिफ

7) तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2015–16 तक का ट्रू–अप

10. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी गोवा और केंद्र शासित प्रदेश)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

1) जेईआरसी (कार्य संचालन) (6वां संशोधन) विनियम, 2023

2) जेईआरसी (उत्पादन, पारेषण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2023

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशः

1) विद्युत विभाग, गोवा सरकार (ईडीजी) के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ट्रू–अप।

2) डीएनएच और डीडी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएनएचडीडीपीडीसीएल) के लिए वित्तीय वर्ष

2022–23 की कुल राजस्व आवश्यकता, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए खुदरा टैरिफ का निर्धारण।

3) नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) और समय–समय यथा संशोधित के संबंध में संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) (नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद) विनियम, 2010 का अनुपालन।

4) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (ख) और 86 (1) (ङ) के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम–कुसुम) योजना के संदर्भ में स्तरीय जेनेरिक टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका, योजना के घटक–ए के अंतर्गत गोवा राज्य में 500 किलोवाट से 2 मेगावाट के बीच की अलग–अलग क्षमता के ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए, जिससे उत्पादित सौर ऊर्जा को गोवा राज्य में विद्युत विभाग को बेचा जा सके।

5) फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली की खरीद और टैरिफ की मंजूरी के लिए याचिका।

6) गोवा सरकार के विद्युत विभाग द्वारा एसईसीआई 150 मेगावाट आरई हाइब्रिड (पवन, सौर और बीईएसएस) पावर प्लांट से बिजली की खरीद के लिए अनुमोदन हेतु याचिका।

कोई अन्य प्रासंगिक उपलब्धियां:

- 19वीं राज्य सलाहकार बैठक 4 दिसंबर, 2023 को आयोजित की गई।

11. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मणिपुर और मिजोरम)

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम:

क्र.सं.	प्रकाशन की तिथि	अधिसूचना सं.	विषय
1.	24.05.2023	सं.एच 13011/36/16 जेईआरसी	एमएंडएम के लिए जेईआरसी (ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मीटरिंग) (तृतीय संशोधन), विनियम, 2023
2.	25.10.2023	सं.एच 13011/27/12 जेईआरसी	एमएंडएम (ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन) विनियम, 2023 के लिए जेईआरसी
3.	15.12.2023	सं.एच 13011/36/16 जेईआरसी	एमएंडएम के लिए जेईआरसी (ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मीटरिंग) (चतुर्थ संशोधन), विनियम, 2023

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश:

क्र.सं.	प्रकाशन की तिथि	अधिसूचना सं.	विषय
1.	20.12.2023	सं. H.13011/19/22-JERC	मिजोरम राज्य के संबंध में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अवसीमा का निर्धारण
2.	20.12.2023	सं. H.13011/19/22-JERC	मणिपुर राज्य के संबंध में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अवसीमा का निर्धारण
3.	21.03.2024	सं. H.20013/46/23-JERC/36	एमएसपीडीसीएल के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए टैरिफ ऑर्डर के संबंध में अंतरिम आदेश
4.	21.03.2024	सं. H.20013/47/23-JERC/19	एमएसपीसीएल के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए टैरिफ ऑर्डर के संबंध में अंतरिम आदेश

12. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

क्र.सं.	प्रकाशन की तिथि	अधिसूचना सं.	विषय
1.	25-04-2023	269	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 2023
2.	25-04-2023	268	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (बिजली व्यापार) विनियम, 2023 के लिए जेईआरसी।
3.	12-06-2023	375	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली और इससे संबंधित मामले) विनियम, 2023
4.	12-06-2023	376	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाइसेंसधारी के लिए कार्य निष्पादन मानक) विनियम, 2023
5.	09-11-2023	756	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (लोड पूर्वानुमान, संसाधन योजना और बिजली खरीद प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश) विनियम, 2023
6.	10-11-2023	757	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय उत्पादन, पारेषण, वितरण शुल्क निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें), विनियम, 2023
7.	23-11-2023	775	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया) विनियम, 2023
8.	08-12-2023	821	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अनुपालन लेखा परीक्षा), विनियम, 2023
9.	11-12-2023	828	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन प्रदर्शन मानक) विनियम, 2023
10.	11-12-2023	829	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2023
11.	11-12-2023	827	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वितरण कोड) विनियम, 2023
12.	12-12-2023	830	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम, 2023
13.	28-02-2024	126	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य व्यवसाय से आय का समाशोधन) विनियम, 2024
14.	28-02-2024	128	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (स्मार्ट ग्रिड) विनियम, 2024
15.	28-02-2024	122	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (सूक्ष्म–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति) विनियम, 2024

16.	28-02-2024	123	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच), विनियम, 2024
17.	28-02-2024	127	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति और अन्य विविध शुल्क प्रदान करने में किए गए व्यय को वसूलने के लिए लाइसेंसधारी की शक्ति) विनियम, 2024
18.	28-02-2024	129	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2024
19.	28-02-2024	125	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय खरीद दायित्व और उसका अनुपालन) विनियम, 2024
20.	28-02-2024	124	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन और वितरण तथा संबंधित मामलों में कनेक्टिविटी और खुली पहुंच प्रदान करना) विनियम, 2024
21.	28-02-2024	130	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड–इंटरैक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2024

वर्ष 2023–24 के दौरान आयोग द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशः

क्र.सं.	प्रकाशन की तिथि	अधिसूचना सं.	विषय
1.	15-06-2023	जेईआरसी/06/2023 दिनांक 15–06–2023	जेकेपीसीएल बनाम एसईसीआई 100 मेगावाट बिजली (आयोग द्वारा जारी प्रवेश आदेश)
2.	16-06-2023	जेईआरसी/07/2023 दिनांक 07–08–2023	जेकेपीसीएल और एनएचपीसी से 300 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद के लिए समझौता। (आयोग द्वारा अंतिम आदेश जारी)
3.	07-08-2023	जेईआरसी/08/2023 दिनांक 06–09–2023	जेकेपीसीएल बनाम एसईसीआई 100 मेगावाट बिजली। (आयोग द्वारा जारी अंतिम आदेश)
4.	06-09-2023	जेईआरसी/09/2023 दिनांक 06–09–2023	जेईआरसी बनाम जेकेईडीए और एलआरईडीए। (आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान से जारी आदेश)
5.	10-10-2023	जेईआरसी/10/2023 दिनांक 10–10–2023	वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए व्यवसाय योजना को मंजूरी, वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2021–22 के ट्रू अप पर विचार, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एपीआर, वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एआरआर और जेकेपीडीसीएल के हाइड्रोइलेक्ट्रिक के वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए टैरिफ का अनुमोदन। (आयोग द्वारा 10–10–2023 को जारी अंतिम टैरिफ आदेश)
6.	10-10-2023	जेईआरसी/11/2023 दिनांक 10–10–2023	जेकेपीटीसीएल के वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बिजनेस प्लान, वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एमवाईटी और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ को अनुमोदन। (आयोग द्वारा जारी अंतिम टैरिफ आदेश)

7.	10-10-2023	जेईआरसी / 12 / 2023 दिनांक 10–10–2023	एलपीडीडी के वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2025–26 की नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना, वित्तीय वर्ष 2019–20, वित्तीय वर्ष 2020–21, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एआरआर और खुदरा टैरिफ का अनुमोदन। (आयोग द्वारा 10–10–2023 को जारी अंतिम टैरिफ आदेश)
8.	24-11-2023	जेईआरसी / 13 / 2023 दिनांक 24–11–2023	वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2025–26 की अवधि के लिए बिजनेस प्लान और एमवाईटी का अनुमोदन और वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एआरआर और जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल के संबंध में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ निर्धारण (टैरिफ आदेश का सारांश)।
9.	30-11-2023	जेईआरसी / 14 / 2023 दिनांक 30–11–2023	वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2025–26 की अवधि के लिए बिजनेस प्लान और एमवाईटी का अनुमोदन और वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एआरआर और जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल के संबंध में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ निर्धारण (अंतिम टैरिफ आदेश)।
10.	14-12-2023	जेईआरसी / 15 / 2023 दिनांक 14–12–2023	याचिका संख्या जेईआरसी / 08 / 2023 और जेईआरसी / 09 / 2023 के संबंध में जारी टैरिफ आदेश संख्या जेईआरसी / 13 / 2023 दिनांक 24–11–2023 के संबंध में शुद्धिपत्र। (आयोग द्वारा जारी शुद्धि आदेश)

13. कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (केईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

1) केईआरसी (खुली पंहुच के लिए निबंधन और शर्तें) (पंचम संशोधन) विनियम 2023
2) केईआरसी (प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग) विनियम 2024
3) केईआरसी (ट्रांसमिशन औरध्या वितरण लाइसेंसधारक(कों) के अन्य व्यवसाय से राजस्व का बंटवारा (प्रथम संशोधन) विनियम 2023

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशः

1) ऊर्जा भंडारण आरपीओ के मामले में।
2) एमएनआरई पवन पुनर्शक्तिकरण नीति कार्यान्वयन आदेश।
3) टैरिफ आदेशः केपीटीसीएल और सभी वितरण लाइसेंसधारियों के संबंध में वित्तीय वर्ष 23 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 25 के लिए एआरआर।
4) केईआरसी (ग्रीन एनर्जी ओए के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम 2022 के अंतर्गत मौजूदा खुली पंहुच उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले शुल्क लगाने के संबंध में स्वतः संज्ञान आदेश।
5) मिनी हाइड्रो, पवन, खोई आधारित सह उत्पादन और बायोमास आधारित विद्युत संयंत्रों (जल–शीतित और वायु–शीतित दोनों) के संबंध में टैरिफ के मामले में स्वतः संज्ञान आदेश, जो 21वें वर्ष से शुरू होकर अगले 10 वर्षों के लिए अनुमत होगा, जिन्होंने पीपीए के नियमों और शर्तों के अनुसार 20 वर्ष की प्रारंभिक अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है या पूरी कर रहे हैं।

14. केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (केएसईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

1) केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2023।

2) केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2024

3) केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियम, 2023

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश:

1) केएसईबी लिमिटेड द्वारा दायर याचिका के मामले में ओपी संख्या 15/2023 और ओपी संख्या 16/2023 में दिनांक 31.05.2023 का सामान्य आदेश, जिसमें ईंधन की लागत में भिन्नता के कारण उत्पादन और बिजली खरीद पर अनुमोदित स्तर पर जुलाई से सितंबर, 2022 और अक्टूबर से दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान हुई अतिरिक्त देयता को ईंधन अधिभार के माध्यम से थोक उपभोक्ताओं और अन्य लाइसेंसधारियों सहित सभी उपभोक्ताओं से वसूलने की मांग की गई है।

2) नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 के लिए निम्नलिखित वितरण लाइसेंसधारियों के लिए एआरआर और ईआरसी याचिकाओं पर आदेश।

3) वितरण लाइसेंसधारियों के लिए याचिकाओं के सत्यापन के आदेश।

अन्य प्रासंगिक उपलब्धियां:

I. वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, आयोग ने निम्नलिखित मसौदा विनियम प्रकाशित किए हैं:

1) केरल विद्युत आपूर्ति (पंचम संशोधन) संहिता, 2024 का मसौदा 17 जनवरी, 2024 को प्रकाशित किया गया।

2) केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा और नेट मीटरिंग) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2024 का मसौदा 29 जनवरी, 2024 को प्रकाशित किया गया।

3) केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (न्यायिक प्रक्रिया) विनियम, 2024 का मसौदा 19 मार्च, 2024 को प्रकाशित किया गया।

II. शैक्षणिक संस्थानों के साथ जुड़ाव

क) इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ सहयोग

ख) केरल विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग और केरल डिजिटल विश्वविद्यालय के साथ सहयोग

15. मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एमपीईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम:

1) एमपीईआरसी (कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम

2) एमपीईआरसी (पारंपरिक ईंधन आधारित कैप्टिव पावर प्लांट के संबंध में बिजली खरीद और अन्य मामले) विनियम, (संशोधन– I) 2009 (द्वितीय संशोधन) {एआरजी–30 (I) (ii) वर्ष 2024}

3) मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (प्रतिभूति जमा) (संशोधन– I) विनियम, 2009 में एमपीईआरसी तृतीय संशोधन। {एआरजी– 17(I)(iii) वर्ष 2024}

4) मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 (द्वितीय संशोधन) [एआरजी–1(II)(ii) वर्ष 2024,

5) एमपीईआरसी (पारंपरिक ईंधन आधारित कैप्टिव पावर प्लांट के संबंध में विद्युत खरीद और अन्य मामले) विनियम, (संशोधन– I) 2009 (पहला संशोधन) {एआरजी–30 (I) (i) वर्ष 2023}।

6) एमपीईआरसी (कैप्टिव जेनरेशन प्लांट्स और कैप्टिव यूजर्स का सत्यापन) विनियम, 2023 {एजी–45(i) ऑफ 2024}

7) एमपीईआरसी मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा और खुली पंहुच उपभोक्ताओं के लिए खुली पंहुच शुल्क और बैंकिंग शुल्क के निर्धारण की पद्धति विनियम, 2023 {एजी–46(i) वर्ष 2023} में प्रथम संशोधन

8) मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (मध्य प्रदेश में अंतर–राज्यीय खुली पंहुच के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, (संशोधन–i) 2021 में एमपीईआरसी द्वितीय संशोधन। {एआरजी–24 (i) (ii) वर्ष 2023}0

9) मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन और उत्पादन), (संशोधन–ii), विनियम, 2021 में द्वितीय संशोधन। {एआरजी–33 (ii) (ii) वर्ष 2023}

10) मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन शुल्क निर्धारण हेतु नियम व शर्तें) विनियम, 2020 (संशोधन iv) विनियम, 2020) में द्वितीय संशोधन। {एआरजी–26 (IV) (ii) वर्ष 2023}

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशः

1) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम कुसुम योजना के घटक–ए के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले पांच सौ किलोवाट से दो मेगावाट या भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार ऐसी अन्य क्षमता वाले विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों से बिजली की बिक्री के लिए पूर्व–निर्धारित स्तरीकृत टैरिफ के निर्धारण के लिए आदेश।

2) बायोमास सह–प्रज्वलित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास से उत्पन्न बिजली के आकलन की कार्यप्रणाली के संबंध में स्वतः संज्ञान आदेश।

3) एमपीईआरसी (उत्पादन शुल्क निर्धारण हेतु निबंधन व शर्तें) विनियम, 2020 के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की नियंत्रण अवधि के लिए ग्राम निवारी, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, (म.प्र.) में 2 x 45 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना (इकाई सं. 1 व 2) के लिए बहुवर्षीय शुल्क निर्धारण आदेश।

4) मध्य प्रदेश के निम्न–दाब उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड बिलिंग तंत्र हेतु प्रैक्टिस निर्देश जारी करने या दिशानिर्देशों के अनुमोदन के लिए याचिका के मामले में।

5) एमपीईआरसी (उत्पादन शुल्क निर्धारण हेतु नियम व शर्तें) विनियम, 2020 के अनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और धारा 86(1) (क) और (ख) के साथ पठित धारा 64(5) के अंतर्गत मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, पठाडी, कोरबा, छत्तीसगढ़, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र 300 मेगावाट यूनिट 1 के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए माननीय आयोग के आदेश दिनांक 13.05.2022 के अंतर्गत निर्धारित टैरिफ का ट्रू–अप।

16. महाराष्ट्र राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

क्र.सं.	प्रकाशन की तिथि	अधिसूचना सं.	विषय
1	12 जून, 2023	एमईआरसी / टीईसी / लाइसेंस शर्तें / एएसएल एसईईपीजेड एसईजेड / 2023 / 0272	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (सीप्ज एसईजेड, मुंबई में बहु–उत्पाद एसईजेड के लिए एईएमएल एसईईपीजेड लिमिटेड पर लागू वितरण लाइसेंस की विशिष्ट शर्तें) विनियम, 2023
2	12 जून, 2023	एमईआरसी / टीईसी / लाइसेंस शर्तें / जीइपीएल / 2023 / 0273	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (एरोली नॉलेज पार्क, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, ऐरोली, जिला ठाणे में आईटी और आईटीईएस एसईजेड के लिए मेसर्स गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पर लागू वितरण लाइसेंस की विशिष्ट शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023

3	12 जून, 2023	एमईआरसी / टीईसी / लाइसेंस शर्तें / पी–वन	एसइईजेड / 2023 / 0274महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, एमआईडीसी, हिंजेवाड़ी फेज ।।।, पुणे में आईटी और आईटीईएस एसईजेड के लिए पी–वन पर लागू वितरण लाइसेंस की विशिष्ट शर्तें) विनियम, 2023
4	10 नवंबर, 2023	एमईआरसी / टेक / विनियम / 0595	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (वितरण खुली पंहुच) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023
5	16 नवंबर, 2023	एमईआरसी / टेक / विनियम / 0609	एमईआरसी (ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023
6	23 फरवरी, 2024	एमईआरसी / टेक / विनियम / 0133	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय खरीद दायित्व, इसका अनुपालन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र ढांचे का कार्यान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशः

क्र.सं.	प्रकाशन की तिथि	अधिसूचना / मामला सं.	विषय
1	24 अप्रैल, 2023	22 of 2022	कोल्हापुर जिले के चांदगढ़ तालुका में जाम्ब्रे गांव के पास जाम्ब्रे बांध पर स्थित 2 मेगावाट की जाम्ब्रे जलविद्युत परियोजना के लिए परियोजना विशिष्ट टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका।
2	24 मई, 2023	1/SM/2023	एमईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ) विनियम, 2019 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सामान्य नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ।
3	27 जुलाई, 2023	165 /2023	पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम और एंटनी लारा रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की याचिका, जिसमें भारत सरकार द्वारा जून 2022 में प्रख्यापित विद्युत (हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022 को अपनाने की मांग की गई है।
4	11 अगस्त, 2023	164 / 2023	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का मामला, जिसमें ''मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0'' के अंतर्गत 25 वर्षों के लिए दीर्घकालिक आधार पर 7000 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद के लिए अनुमोदन मांगा गया है और मानक बोली दस्तावेज में विचलन है।
5	08 दिसंबर, 2023	180 /2023	मेसर्स एसईजेड बायो–टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का मामला, जिसे हडपसरध्मंजरी गांव, जिला पुणे में एसईजेड के लिए वितरण लाइसेंसधारी का दर्जा प्राप्त करने तथा वितरण लाइसेंस की लागू विशिष्ट शर्तों को निर्दिष्ट करने के लिए नियुक्त किया गया है।
6	14 दिसंबर, 2023	6 / 2023	महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी की धारा 86(1)(ङ) के अंतर्गत याचिका, जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा उत्पादन नीति 2020 में 30 जून 2022 के संशोधन के अनुसार राज्य के भीतर अक्षय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद करके कुल अक्षय खरीद दायित्व (आरपीओ) आवश्यकता का 50ः पूरा करने के लिए वितरण लाइसेंसधारियों को उचित निदेश देने की मांग की गई है।
7	06 मार्च, 2024	3/SM/2024	एमईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ) विनियम, 2019 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सामान्य नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ।

17. मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एमएसईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

1) एमएसईआरसी (हरित ऊर्जा पहुंच की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2023

2) एमएसईआरसी (संसाधन पर्याप्तता के लिए रूपरेखा) विनियम, 2023

वर्ष 2023–24 के दौरान आयोग द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशः

क्र.सं.	प्रकाशन की तिथि	अधिसूचना संख्या	विषय
1.	11.04.2023	एमएसईआरसी मामला संख्या 25 / 2022	मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और खुदरा टैरिफ का निर्धारण।
2.	13.11.2023	एमएसईआरसी मामला संख्या 1 / 2023	मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वितरण व्यवसाय के ट्रू–अप के अनुमोदन हेतु याचिका।
3.	13.11.2023	एमएसईआरसी मामला संख्या 2 / 2023	मेघालय पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ट्रांसमिशन व्यवसाय के ट्रू–अप के अनुमोदन हेतु याचिका।
4.	13.11.2023	एमएसईआरसी मामला संख्या 4 / 2023	मेघालय पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए उत्पादन व्यवसाय के ट्रू–अप की के अनुमोदन हेतु याचिका।
5.	16.11.2023	एमएसईआरसी मामला संख्या 20 / 2023	मेघालय पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2026–27 तक चौथी एमवाईटी नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना हेतु अनुमोदन।
6.	16.11.2023	एमएसईआरसी मामला संख्या 21 / 2023	मेघालय पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2026–27 तक चौथी एमवाईटी नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना हेतु अनुमोदन।
7.	16.11.2023	एमएसईआरसी मामला संख्या 22 / 2023	मेघालय विद्युत वितरण निगम लि. को वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2026–27 तक नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना हेतु अनुमोदन।
8.	16.11.2023	एमएसईआरसी मामला संख्या 23 / 2023	राज्य लोड डिस्पैच सेंटर को वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2026–27 तक एमवाईटी नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना हेतु अनुमोदन
9.	13.03.2024	एमएसईआरसी मामला संख्या 1 / 2024	मेघालय पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एम.ई.आर .सी. (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम 11 के अंतर्गत तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 के साथ पठित धारा 62 के अंतर्गत एम.ई.पी.जी सी.एल. की गनोल लघु पनबिजली परियोजना (3 x 7.5 मेगावाट = 22.5 मेगावाट) के लिए सामान्य टैरिफ को अनुमोदन।

- आयोग ने 24 से 26 मई, 2023 तक शिलांग, मेघालय में पूर्वी और उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए विनियामकों के 16वें फोरम (फोरेंस) की बैठक की मेजबानी की है।

18. नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग (एनईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान आयोग द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशः

1. नागालैंड के होवुखु में प्रस्तावित 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए उत्पादन शुल्क आदेश
2. विद्युत विभाग, नागालैंड के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए खुदरा टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ट्रू–अप और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एपीआर।
3. वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2021–22 तक ट्रू–अप ऑर्डर

19 ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग (ओईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

1. ओईआरसी (हरित ऊर्जा मुक्त पहुँच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) विनियम, 2023

वर्ष 2023–24 के दौरान आयोग द्वारा जारी किये गये महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	प्रकाशन की तिथि	अधिसूचना संख्या	विषय
1.	04.12.2023	मामला संख्या 94@2023	चौथी नियंत्रण अवधि यानी वित्तीय वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक के लिए ओडिशा राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में सामान्य टैरिफ और मानदंडों का निर्धारण
2.	13.02.2024	मामला संख्या 116,119,122, 125/2023	वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए डिस्कॉम की कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर), व्हीलिंग टैरिफ और खुदरा आपूर्ति टैरिफ हेतु अनुमोदन।
3.	13.02.2024	मामला संख्या 118,121,124, 127/2023	वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए डिस्कॉम के ओपन एक्सेस शुल्क हेतु अनुमोदन।
4.	13.02.2024	मामला संख्या 115/2023	ग्रिडको लिमिटेड की समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और थोक आपूर्ति मूल्य (बीएसपी) का निर्धारण हेतु अनुमोदन
5.	13.02.2024	मामला संख्या 111/2023	वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए ओएचपीसी स्टेशनों की कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और उत्पादन शुल्क हेतु अनुमोदन।
6.	13.02.2024	मामला संख्या 112/2023	वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए ओपीजीसी (इकाइयों 1 और 2) के लिए उत्पादन शुल्क हेतु अनुमोदन।
7.	13.02.2024	मामला संख्या 113/2023	ओपीटीसीएल की वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और पारेषण टैरिफ के निर्धारण हेतु अनुमोदन।
8.	13.02.2024	मामला संख्या 114/2023	वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) कार्यों के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और शुल्क एवं परिचालन प्रभार के निर्धारण हेतु अनुमोदन।

अन्य प्रासंगिक उपलब्धियां:

आयोग ने राज्य की चार डिस्कॉम कंपनियों अर्थात् टीपीसीओडीएल, टीपीएनओडीएल, टीपीडब्ल्यूओडीएल और टीपीएसओडीएल के लिए 2572.26 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय को अनुमोदित किया है।

20 पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (पीएसईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम:

क्र. सं.	विनियम का नाम	अधिसूचना संख्या एवं तिथि
a)	कारबार संचालन (6वां संशोधन)	पीएसईआरसी/सचिव/विनियम.175 2 जून 2023
b)	पीएसईआरसी (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023	पीएसईआरसी/सचिव/विनियम.176 2 जून 2023
c)	अंतर–राज्यीय खुली पहुंच के लिए निबंधन और शर्तें (10वां संशोधन)	पीएसईआरसी/सचिव/विनियम.177 2 जून 2023
d)	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023	पीएसईआरसी/सचिव/विनियम.178 8 अगस्त 2023
e)	विद्युत आपूर्ति संहिता और संबंधित मामले (13वां संशोधन)	पीएसईआरसी/सचिव/विनियम.179 12 अक्तूबर 2023
f)	अंतर–राज्यीय खुली पहुंच के लिए निबंधन और शर्तें (11वां संशोधन)	पीएसईआरसी/सचिव/विनियम.180 12 अक्तूबर 2023
g)	कारबार संचालन (7वां संशोधन)	पीएसईआरसी/सचिव/विनियम.182 6 दिसंबर 2023
h)	पीएसईआरसी (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 (तृतीय संशोधन)	पीएसईआरसी/सचिव/विनियम.183 6 दिसंबर 2023
i)	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023	पीएसईआरसी/सचिव/विनियम.184 29 दिसंबर 2023
j)	पीएसईआरसी (सौर और पवन उत्पादन स्रोतों का पूर्वानुमान, समय–निर्धारण, विचलन निपटान और संबंधित मामले) विनियम, 2019	पीएसईआरसी/सचिव/विनियम.185 12 जनवरी 2024
k)	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टेइक सिस्टम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024	पीएसईआरसी/सचिव/विनियम.186 14 मार्च 2024

वर्ष 2023–24 के दौरान आयोग द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश:

क्र. सं.	याचिका सं.	पक्षकार का नाम तिथि	विषय	निस्तारण की
1.	05/2023	पीएसपीसीएल	आपूर्ति संहिता–2014 के विनियमन 47 और व्यवसाय विनियमन 2005 के संचालन के अध्याय ग्प्प् के विनियमन 69, 70, 71 और 72 के अंतर्गत सभी श्रेणियों के चूककर्ता उपभोक्ताओं (एपी को छोड़कर) के लिए एकमुश्त निपटान योजना आरंभ करने के लिए याचिका।	15.05.2023

2.	73/2022	पीएसटीसीएल (एआरआर)	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 64 और 86 के साथ पठित पीएसईआरसी (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति शुल्क के निर्धारण की शर्तें और निबंधन) विनियम, 2019 के समय–समय पर संशोधित नियम 11, 12 और 13 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एआरआर के ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा और ट्रांसमिशन व्यवसाय और एसएलडीसी के अनुमोदन के लिए याचिका, और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 64 और 86 के साथ पठित पीएसईआरसी (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति शुल्क के निर्धारण की शर्तें और निबंधन) के नियमन 10 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक तीसरी नियंत्रण अवधि के लिए पारेषण व्यवसाय और एसएलडीसी के लिए एआरआर के पूर्वानुमान के अनुमोदन और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए पारेषण व्यवसाय और एसएलडीसी के लिए शुल्क का निर्धारण विनियम, 2022.	15.05.2023
3.	74/2022	पीएसपीसीएल (एआरआर)	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति शुल्क के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2022 (पीएसईआरसी एमवाईटी विनियम, 2022) के विनियमन 56.1 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ट्रू–अप के लिए याचिका, दूसरे नियंत्रण अवधि के वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर) और तीसरे नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक) के लिए एमवाईटी याचिका।	15.05.2023
4.	12/2023	पीएसपीसीएल	आपूर्ति संहिता–2014 के विनियमन 47 और कारबार विनियमन 2005 का संचालन के अध्याय XIII के विनियमन 69, 70, 71 और 72 के अंतर्गत 2500 केवीए से अधिक और 11 केवी पर 4000 केवीए तक की अनुबंध मांग वाले एलएस उपभोक्ताओं (आर्क/इंडक्शन फर्नेस उपभोक्ताओं को छोड़कर) से 10 प्रतिशत वोल्टेज अधिभार के कारण बकाया पर ब्याज की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू करने के लिए याचिका और सभी आर्क/इंडक्शन फर्नेस उपभोक्ताओं और 4000 केवीए से अधिक मांग वाले अन्य उपभोक्ताओं से 17.5 प्रतिशत वोल्टेज अधिभार, जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.03.2017 और 19.06.2017 के अनुसार 11 केवी पर आपूर्ति दी जाती है।	31.05.2023
5.	याचिका सं. 48/2022 में आरपी सं. 2/2023	बीबीएमबी बनाम पीएसपीसीएल	पीएसईआरसी व्यवसाय संचालन विनियमों के अनुसार और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(सी) के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 और पीएसईआरसी (अंतर–राज्यीय खुली पहुंच के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2011 के विनियम 10,13,14,15,16,23,24,25 और 45 के अंतर्गत समीक्षा के लिए याचिका, जिसमें आयोग द्वारा पारित दिनांक 10.01.2023 को दिए गए आदेशों की समीक्षा और वापस लेने की प्रार्थना की गई है और उचित निर्देश मांगे गए हैं।	31.05.2023

6.	40/2022	भारतीय रेलवे बनाम पीएसपीसीएल	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2005 के विनियम 10 के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86, 142, 146 और 149 के अंतर्गत पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ याचिका संख्या 14/2021 में पारित इस माननीय आयोग के दिनांक 22.03.2022 के आदेश का पालन न करने के लिए दायर की गई।	21.07.2023
7.	08/2023	पीएसपीसीएल	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (बी) के अंतर्गत याचिका, जिसमें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निष्पादित/निष्पादनाधीन कार्यों के लिए वार्षिक योजना वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कैपेक्स योजना हेतु अतिरिक्त बजट के आवंटन की मंजूरी मांगी गई है।	31.07.2023
8.	34 / 2023	पीएसपीसीएल	वित्तीय वर्ष 2022–23 की चौथी तिमाही (जनवरी, 2023 से मार्च, 2023) के लिए ईंधन लागत समायोजन (एफसीए) अधिभार के लिए याचिका।	09.08.2023
9.	27/2023	पीएसपीसीएल बनाम एनपीसीआईएल	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (लाइसेंसधारियों की विद्युत खरीद और प्राप्ति प्रक्रिया) विनियम, 2012 और पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2005 के विनियम 46 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (ख) के अंतर्गत 197 मेगावाट परमाणु ऊर्जा की विद्युत खरीद के अनुमोदन हेतु याचिका।	09.08.2023
10.	35/2023	श्री अनिल कुमार गुप्ता बनाम पीएसपीसीएल और अन्य	पंजाब ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम, 2013 और 2021 के अंतर्गत चलाए जा रहे याचिकाकर्ता के होम स्टे/बीएनबी यूनिट पर घरेलू आपूर्ति टैरिफ की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए विनियमन 68, 69, 70, 71 और 72 के अंतर्गत याचिका और कारोबार विनियमन 2005 के अध्याय XIII के अन्य प्रासंगिक प्रावधान, जैसा कि आज तक संशोधित किया गया है, आपूर्ति कोड 2014 के विनियम 44, 45, 46 और 47 जैसा कि आज तक संशोधित किया गया है और बिजली अधिनियम, 2003 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान, जिसमें 03.05.2023 का डीओ पत्र भी शामिल है, जो बीएनबी/होम स्टे पर घरेलू आपूर्ति टैरिफ की प्रयोज्यता प्रदान करता है।	10.08.2023
11.	याचिका सं 5/2023में समीक्षा याचिका सं. 6/2023	पीएसपीसीएल	पीएसईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियमों के नियमन 64 (अध्याय XIII) और आयोग द्वारा याचिका संख्या 05/2023 में दिए गए दिनांक 15.05.2023 के आदेश की समीक्षा के अन्य प्रावधानों के साथ, सभी श्रेणियों के चूककर्ता उपभोक्ताओं (एपी को छोड़कर) के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 (1) (एफ) के अंतर्गत समीक्षा याचिका,	21.08.2023
12.	28/2023	पीएसपीसीएल	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यीय खुली पहुंच के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2011 के विनियम 27 के साथ पठित भारतीय विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 42 (4) के अतिरिक्त अधिभार के निर्धारण के लिए याचिका,	06.10.2023

			जिसे 01.04.2023 से 30.09.2023 की अवधि के लिए पीएसपीसीएल के अलावा अन्य स्रोतों से बिजली प्राप्त करने वाले खुली पहुंच उपभोक्ताओं पर लागू किया जाना है।	
13.	66/2021	मेसर्स इंटरनेशनल हॉस्पिटल लिमिटेड बनाम पीएसपीसीएल	इस आयोग द्वारा पारित टैरिफ की सामान्य शर्तों की शर्त संख्या 24 और आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य प्रासंगिक नियमों और विनियमों जिसमें धारा 64,68,69,70,71 और 72 शामिल हैं, के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत याचिका।	06.10.2023
14.	65/2022	एनपीएल बनाम पीएसपीसीएल	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के अधिनियम और इसके अंतर्गत जारी निर्देशों के परिणामस्वरूप बिजली उत्पादन के लिए बायोमास पेलेट्स के उपयोग जैसे ''कानून में परिवर्तन'' के कारण अनुमोदन और परिणामी मुआवजा, जिससे याचिकाकर्ता के राजस्व और लागत प्रभावित हो रहे हैं हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (बी) के साथ पठित 86 (1) (एफ) और दिनांक 18.01.2010 के विद्युत खरीद समझौते के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत याचिका।	17.07.2023
15.	आईए संख्या 10 के साथ 02/2023	टीएसपीएल बनाम पीएसपीसीएल	तलवंडी साबो पावर लिमिटेड और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच दिनांक 01.09.2008 को निष्पादित पीपीए के अनुच्छेद 13 के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(एफ) के अंतर्गत याचिका, अनुमोदन और परिणामी टैरिफ समायोजन के लिए, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा ''कानून में बदलाव'' के कारण मांगा गया था, यहाँ तक कि विद्युत मंत्रालय की दिनांक 08.10.2021 की अधिसूचना, यानी ''कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में को–फायरिंग के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए बायोमास उपयोग के लिए संशोधित नीति'' और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा जारी निर्देशों के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के लिए अतिरिक्त पूंजी और संचालन व्यय हुआ।	21.09.2023
16.	71/2023	पीएसपीसीएल बनाम जीवीके	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2005 के परिशिष्ट 3–ए के खंड 4.12 और परिशिष्ट 3–सी के खंड 4.4 के अंतर्गत आवेदन, जिसमें बिजली उत्पादन कंपनी जीवीके पावर (गोइंदवाल साहिब) लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए अनुमोदन मांगा गया है।	03.01.2024
17.	आईए संख्या 21/2022 के साथ 19/2022	पीएसपीसीएल बनाम मेसर्स मालवा पावर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 62 (1) (ए), 86, 94 और अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत याचिका, जिसमें पंजाब राज्य में मौजूदा बायोमास और बैगास आधारित बिजली परियोजनाओं की परिवर्तनीय लागत में संशोधन और पंजाब राज्य में मौजूदा बायोमास और बैगास आधारित बिजली परियोजना की परिवर्तनीय लागत में पांच (5 प्रतिशत) की वृद्धि में संशोधन की मांग की गई है।	13.03.2024

18.	56/2022 स्वतः संज्ञान	आयोग ने स्वतः संज्ञान से ईपीपीएल बनाम पीएसपीसीएल पर निर्णय लिया	हिमाचल प्रदेश में स्थित ईपीपीएल की 100 मेगावाट मलाणा II जलविद्युत परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के ट्रू–अप के लिए वार्षिक निश्चित लागत के निर्धारण के लिए याचिका संख्या 56/2022 (स्वतः संज्ञान)।	01.06.2023
19.	54/2022	ईपीपीएल बनाम पीएसपीसीएल	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियमन, 2019 के विनियमन 9 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक नियंत्रण अवधि के लिए पूंजी निवेश योजना सहित व्यवसाय योजना के लिए याचिका दायर करना।	11.07.2023
20.	68/2022 स्वतः संज्ञान	आयोग ने स्वतः संज्ञान से जीवीके बनाम पीएसपीसीएल पर निर्णय लिया	पंजाब राज्य के गोइंदवाल साहिब में जीवीके पावर (गोइंदवाल साहिब) लिमिटेड 2 x 270 मेगावाट (540 मेगावाट) कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के ट्रू–अप के लिए वार्षिक निश्चित लागत के निर्धारण के लिए याचिका संख्या 68/2022 (स्वतः संज्ञान)।	11.07.2023
21.	याचिका सं 31/2023 में आरपी सं 3/2023	पीएसपीसीएल बनाम जीवीके	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 (1) (एफ), 86 (1) (एफ) और अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत याचिका, पीएसईआरसी व्यवसाय विनियमन, 2005 के नियम 64 के साथ पढ़ें, जिसमें इस माननीय आयोग द्वारा याचिका संख्या 31/2023 में पारित दिनांक 01.06.2023 के आदेश की समीक्षा/निरस्तीकरण की मांग की गई है।	19.07.2023
22.	01/2023	जीवीके बनाम पीएसपीसीएल एवं पीएसएलडीसी	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(एफ) के अंतर्गत याचिका, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1, पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को याचिकाकर्ता, जीवीके पावर (गोइंदवाल साहिब) लिमिटेड को अप्रैल और मई 2020 के महीनों के लिए क्षमता शुल्क का भुगतान करने के निर्देश देने की मांग की गई है, जो कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका संख्या 15/2020 में आयोग के आदेश दिनांक 22.07.2022 के अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 2, पंजाब राज्य लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा जारी दिनांक 05.08.2022 के संशोधित ऊर्जा लेखाओं के अनुरूप हैं।	05.09.2023
23.	75/2022	ईपीपीएल बनाम पीएसपीसीएल और पीटीसी	बहुवर्षीय टैरिफ (एमवाईटी) नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2022–23) के लिए 100 मेगावाट मलाणा–II जलविद्युत परियोजना के लिए वार्षिक निश्चित लागत के अनुमोदन के लिए याचिका, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अनंतिम लेखाओं के अनुसार संशोधित अनुमान, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और 64 के अंतर्गत पीएसईआरसी (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें), विनियम, 2019 के नियम 60 के साथ पठित और पीएसईआरसी (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें), विनियम, 2022 के साथ पठित एमवाईटी नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2025–26) के लिए निश्चित लागत का अनुमोदन।	10.10.2023

24.	याचिका सं. 56/2022 में आरपी सं. 7/2023 (स्वतः संज्ञान)	ईपीपीएल बनाम पीएसपीसीएल	याचिका संख्या 56/2022 (स्वतः संज्ञान) में पारित दिनांक 01.06.2023 के अंतिम आदेश की समीक्षा के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 94(1)(एफ) के साथ पीएसईआरसी (कारबार संचालन) विनियम, 2005 के विनियम 64 के अंतर्गत समीक्षा याचिका।	01.02.2024
25.	याचिका सं. 68/2022 में आरपी सं. 9/2023	जीवीके बनाम पीएसपीसीएल	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2005 के विनियम 64 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 (1) (एफ) के अंतर्गत समीक्षा याचिका, जिसमें 2022 की याचिका संख्या 68 में पारित दिनांक 12.07.2023 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई है।	21.02.2024
26.	7/2021	पीएसपीसीएल	आपूर्ति संहिता–2014 के विनियमन 6.7 और 47 तथा कारबार विनियम 2005 के अध्याय XIII के विनियमन 69, 70, 71 और 72 के अंतर्गत पीएसपीसीएल द्वारा एलडी प्रणाली की स्थापना और उन लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन जारी करने के संबंध में याचिका, जहां डेवलपर्स ने पीएसपीसीएल से एनओसी प्राप्त किए बिना प्लॉट/फ्लैट बेचे या जहां डेवलपर्स ने एनओसी प्राप्त करने के बाद एलडी प्रणाली स्थापित किए बिना परियोजना को छोड़ दिया और अन्य संबंधित मामले	25.07.2023
27.	53/2023	पीएसपीसीएल	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टेइक सिस्टम) विनियम, 2021 में संशोधन हेतु याचिका।	11.03.2024

21 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

क्र. सं.	विनियम संख्या	तिथि		विनियम का नाम
		विनियम	राजपत्र	
1	147	20.04.2023	27.04.2023	आरईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता और संबंधित मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023
2	148	13.06.2023	26.06.2023	आरईआरसी (नवीकरणीय खरीद दायित्व) विनियम, 2023
3	149	28.08.2023	06.10.2023	आरईआरसी (ग्रिड इंटरएक्टिव वितरित अक्षय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023
4	150	04.09.2023	06.10.2023	आरईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023
5	151	21.09.2023	06.10.2023	आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023
6	152	10.10.2023	11.12.2023	आरईआरसी (सेवा) (सातवां संशोधन) विनियम, 2023
7	153	8.12.2023	29.12.2023	आरईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023

वर्ष 2023–24 के दौरान आयोग द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशः

टैरिफ आदेश

क्र.सं.	टैरिफ आदेश
1	राज्य लोड डिस्पैच सेंटर के वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ट्रू–अप तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक राजस्व अपेक्षा एवं एस.एल.डी.सी. शुल्क के अनुमोदन के मामले में
2	केटीपीएस (यूनिट 1–7), एसटीपीएस (यूनिट 1–6), सीटीपीपी (यूनिट 1–4), केएटीपीपी (यूनिट 1–2), सीएससीटीपीपी (यूनिट 5 और 6), आरजीटीपीएस (270.50 मेगावाट), माही हाइडल के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के एआरआर का सही निर्धारण और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के केटीपीएस (यूनिट 1–7), एसटीपीएस (यूनिट 1–6), सीटीपीपी (यूनिट 1–4), केएटीपीपी (यूनिट 1–2), सीएससीटीपीपी (यूनिट 5 और 6), आरजीटीपीएस (270.50 मेगावाट) और माही हाइडल पावर स्टेशनों के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और टैरिफ हेतु अनुमोदन।
3	वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए निवेश योजना के अनुमोदन के मामले में याचिका संख्या 1978/22 में पारित आयोग के दिनांक 01.12.2022 के आदेश की समीक्षा के लिए याचिका।
4	सीएससीटीपीपी यूनिट 5 और 6 के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एआरआर के ट्रूइंग अप के लिए याचिका संख्या 2028/22 में पारित आयोग के आदेश दिनांक 02.12.2022 की समीक्षा के लिए याचिका।
5	वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ट्रू–अप के अनुमोदन और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए ट्रांसमिशन की वार्षिक राजस्व अपेक्षा और टैरिफ के मामले में।
6	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु निवेश योजना हेतु अनुमोदन।
7	सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट (एसएससीटीपीपी) (यूनिट 7 और 8एल) के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अंतिम पूंजीगत लागत और कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और टैरिफ का निर्धारण
8	पीएम–कुसुम योजना के घटक–सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के अंतर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जोधपुर वीवीएनएल द्वारा पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से खोजे गए लेवलाइज्ड टैरिफ के अनुमोदन हेतु याचिका
9	पीएम–कुसुम योजना के घटक–सी (फीडर स्तरीय सौरीकरण) के अंतर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अजमेर वीवीएनएल द्वारा पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्राप्त स्तरीय टैरिफ के अनुमोदन हेतु याचिका।
10	अजमेर वीवीएनएल के वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रू–अप के मामले में याचिका संख्या 1993/2022 में पारित आयोग के आदेश दिनांक 14.07.2022 की समीक्षा
11	जयपुर वीवीएनएल के वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रू–अप के मामले में याचिका संख्या 1991/2022 में पारित आयोग के आदेश दिनांक 14.07.2022 की समीक्षा
12	राजस्थान राज्य लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एआरआर के ट्रूइंग अप के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा के अनुमोदन के मामले में याचिका संख्या 2065/22 में पारित आयोग के दिनांक 03.05.2023 के आदेश की समीक्षा हेतु दायर याचिका।
13	याचिका संख्या 2075/23 – मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में पारित आयोग के दिनांक 08.06.2023 के आदेश की समीक्षा के लिए दायर याचिकाओं के मामले में ।
14	याचिका संख्या 2075/23 – मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड में पारित आयोग के दिनांक 08.06.2023 के आदेश की समीक्षा के लिए दायर याचिकाओं के मामले में
15	याचिका संख्या 2075/23 में पारित आयोग के दिनांक 08.06.2023 के आदेश की समीक्षा के लिए मेसर्स राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा दायर याचिका के मामले में
16	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा याचिका संख्या 2070/2022 में पारित आयोग के आदेश दिनांक 16.08.2023 की समीक्षा के लिए दायर याचिका के मामले में।
17	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 (बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ का निर्धारण) के अंतर्गत आरईआरसी (व्यापार का लेन–देन), विनियम, 2021 के विनियम 19 और 21 के साथ पढ़ें, टीएन–डीएसएम–06 के अंतर्गत पीएम–कुसुम योजना के घटक–सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के अंतर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एवीवीएनएल द्वारा की गई पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से खोजे गए लेवलाइज्ड टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका दायर की गई।

18	वित्तीय वर्ष 2023–24 और वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य में चालू होने वाले बायोमास, बायोगैस और बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत संयंत्रों से वितरण लाइसेंसधारियों को बिजली की बिक्री के लिए जेनेरिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में
19	आयोग के दिनांक 21.04.2023 के आदेश का पालन न करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के अंतर्गत कार्यवाही और लिग्नाइट के हस्तांतरण मूल्य को तय करने के लिए आगे की कार्यवाही का रीति के विनिश्चिय के मामले में

गैर–टैरिफ आदेश

क्र.सं.	विवरण
1	एआरआर और टैरिफ आदेश दिनांक 31.03.2023 के निर्धारण के मामले में आयोग द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में
2	टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अंतर–राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये के बजाय 250 करोड़ रुपये की संशोधित सीमा के अनुमोदन के मामले में आयोग के आदेश 07.09.2022 की समीक्षा।
3	राजस्थान राज्य में आरवीयूएनएल द्वारा क्रियान्वित की जा रही नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के संबंध में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करने के मामले में।
4	आरईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता और संबंधित मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 के मामले में
5	तृतीय लेखाओं के निपटान हेतु एसएलडीसी द्वारा पारित दिनांक 17.12.2018 के आदेश के विरुद्ध आरईआरसी (ओपन एक्सेस के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2016 के विनियमन 30(3) के अंतर्गत याचिका के मामले में।
6	वर्ष 2029–30 तक ऊर्जा मूल्यांकन समिति (ईएसी) के अनुमोदन हेतु दायर याचिका।
7	आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 88 में संशोधन हेतु दायर याचिका।
8	लोकपाल के आदेश का पालन न करना
9	आरईआरसी (सौर और पवन उत्पादन स्रोतों के पूर्वानुमान, समय–निर्धारण, विचलन निपटान और संबंधित मामले) विनियम, 2017 में आवश्यक संशोधन के लिए याचिका।
10	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(एफ) के अंतर्गत विवाद के निर्णय के मामले में दायर याचिका।
11	नेट मीटर वाले उपभोक्ताओं के कारण डिस्कॉम के सामने आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए उक्त विनियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिए आयोग के दिनांक 07.09.2021 के आदेश के साथ पठित आरईआरसी (ग्रिड इंटरएक्टिव डिस्ट्रिब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम) विनियम, 2021 के विनियम 17 के अंतर्गत दायर याचिका।
12	मेसर्स आर. एम. मित्तल स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विवाद का निर्णय और अंतरराज्यीय खुली पहुंच पर व्हीलिंग हानियों की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण की मांग।
13	मेसर्स नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा विवाद का निर्णय और अंतरराज्यीय खुली पहुंच पर व्हीलिंग हानियों की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण की मांग
14	आरईआरसी (नवीकरणीय खरीद दायित्व) विनियम, 2023 के मामले में
15	पीएम–कुसुम योजना के घटक–सी (फीडर स्तर सौरकरण) के अंतर्गत 52.66 मेगावाट की कुल क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जयपुर वीवीएनएल द्वारा पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्राप्त स्तरीय टैरिफ के अनुमोदन हेतु याचिका।
16	आयोग द्वारा समय–समय पर पारित विभिन्न टैरिफ आदेशों के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ए), धारा 62(6), धारा 142 और धारा 146 के अंतर्गत याचिका।
17	आरईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता और संबंधित मामले) विनियम, 2004 के ग्यारहवें संशोधन की समीक्षा हेतु दायर याचिका।

18	आरईआरसी ओपन एक्सेस रेगुलेशन, 2016 के कार्यान्वयन में कठिनाई को दूर करने के लिए याचिका
19	मेसर्स राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन द्वारा कानून में परिवर्तन के मामले में अतिरिक्त बिजली खरीद लागत को मान्यता देने और विशेष एफएसए के माध्यम से अतिरिक्त बिजली खरीद लागत की वसूली की अनुमति देने के लिए आयोग के दिनांक 01.09.2022 के आदेश की समीक्षा हेतु दायर याचिका।
20	मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा कानून में परिवर्तन के मामले में अतिरिक्त बिजली खरीद लागत को मान्यता देने और विशेष एफएसए के माध्यम से अतिरिक्त बिजली खरीद लागत की वसूली की अनुमति देने के लिए आयोग के दिनांक 01.09.2022 के आदेश की समीक्षा हेतु दायर याचिका।
21	मेसर्स एसबीएफ इस्पात प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कानून में बदलाव के मामले में अतिरिक्त बिजली खरीद लागत को मान्यता देने और विशेष एफएसए के माध्यम से अतिरिक्त बिजली खरीद लागत की वसूली की अनुमति देने के लिए आयोग के दिनांक 01.09.2022 के आदेश की समीक्षा हेतु दायर याचिका।
22	विलंबित भुगतान अधिभार जारी करने के निर्देश का पालन न करने पर विद्युत अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत दायर याचिका।
23	विद्युत अधिनियम की धारा 126(3) एवं 56(1) तथा आरईआरसी (आपूर्ति संहिता एवं संबंधित मामले) विनियम, 2004 एवं 2021 का अनुपालन न करने के कारण विद्युत अधिनियम की धारा 142 एवं 146 के अंतर्गत दायर याचिकाएं।
24	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126(3) और आरईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता एवं संबंधित मामले) विनियम, 2021 के विनियम 10 एवं 12 का अनुपालन न करने के कारण विद्युत अधिनियम की धारा 142 एवं 146 के अंतर्गत दायर याचिकाएं।

22. सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसएसईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

क्र.सं.	प्रकाशन की तिथि	अधिसूचना संख्या	विषय
1	17 मई 2023	राज्य सरकार असाधारण राजपत्र संख्या 200 दिनांक 17 मई 2023	सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा तक खुली पहुँच के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2023
2	14 जून 2023	राज्य सरकार असाधारण राजपत्र संख्या 223 दिनांक 14 जून 2023	सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (न्यायिक अधिकारी द्वारा जांच आयोजित करने के लिए कारबार का संचालन) विनियम, 2023

23 त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (टीईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

क्र.सं.	प्रकाशन की तिथि	अधिसूचना संख्या	विषय
1	24 अप्रैल 2024	सं. एफ.25/टीईआरसी/98/711	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग) दिशानिर्देश, 2023
2	10 मई 2024	सं. एफ.25/टीईआरसी/98/359 दिनांक 15 मार्च 2023	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा तक खुली पहुंच शुल्क निर्धारण की पद्धति) विनियम, 2023
3	10 मई 2024	सं. एफ.25/टीईआरसी/98/360 दिनांक 15 मार्च 2023	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण शुल्क) विनियम, 2023
4	23 जून 2024	सं. एफ.25/टीईआरसी/98/1201	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग) (पहला संशोधन) दिशानिर्देश, 2023
5	16 सितंबर 2024	सं. एफ.25/टीईआरसी/98/1378 दिनांक 25 जुलाई 2023	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा) विनियम, 2023

वर्ष 2023–24 के दौरान आयोग जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशः

क्र.सं.	प्रकाशन की तिथि	अधिसूचना संख्या	विषय
1	22 सितंबर 2023		वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 का ट्रू–अप विवरण, वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए उत्पादन, पारेषण और वितरण व्यवसाय के लिए एआरआर निर्धारण और त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ
2	14 मार्च 2024		त्रिपुरा राज्य विद्युत सुधार हस्तांतरण योजना, 2023 के अनुसार त्रिपुरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया

अन्य प्रासंगिक उपलब्धियांः

1. त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग ने 24 अगस्त 2023 से 26 अगस्त 2023 तक अगरतला, त्रिपुरा में विनियामकों के 87वें फोरम (एफओआर) की बैठक की मेजबानी की।

24. तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग (टीएनईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

क्र.सं.	प्रकाशन की तिथि	अधिसूचना संख्या	विषय
1.	03-04-2023	टीएनईआरसी/पीपीएस/17–1/16–03–2023	राज्य सरकार विनियम, 2008 द्वारा सब्सिडी के भुगतान की प्रक्रिया के विनियम 5 (पप) और (अपप) में किया गया संशोधन।
2.	08.09.2023	टीएनईआरसी/एससी/7–48, दिनांक 02.09.2023	विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 और सीआरपी सिफारिशों के प्रावधानों को शामिल करते हुए आपूर्ति संहिता में संशोधन।
3.	08.09.2023	टीएनईआरसी/डीसी/8–29, दिनांक 02.09.2023	विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 और सीआरपी सिफारिशों के प्रावधानों को शामिल करते हुए वितरण संहिता में संशोधन।
4.	27.12.2023	टीएनईआरसी/सीजीआरएफ एवं ईओ/6–12, दिनांक 11.12.2023	विद्युत उपभोक्ता नियम 2020 के आधार पर सीजीआरएफ और ईओ विनियमों में संशोधन
5.	27.02.2024	टीएनईआरसी/डीएसओपी/एसपीआर 9/1–13, दिनांक 26.12.2023	उपभोक्ता नियम 2020 और सीआरपी सिफारिशें शामिल करते हुए डीएसओपी संशोधन, 2023
6.	15.11.2023	टीएनईआरसी/आरपीओ/01/2023, दिनांक 26.10.2023	नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व विनियम, 2023
7.	14.02.2024	टीएनईआरसी/एफएंडएस विंड एवं सोलर/21–1/2024, दिनांक 22.01.2024	तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग (पवन और सौर उत्पादन के लिए पूर्वानुमान, समय–निर्धारण और विचलन निपटान और संबंधित मामले) विनियम, 2024
8.	21.02.2024	एसएसीआर–2–56	एसएसी सदस्यों का पुनः नामांकन

वर्ष 2023–24 के दौरान आयोग द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशः

क्र.सं.	आदेश संख्या एवं तिथि	आदेश का विवरण
1.	आदेश संख्या 5 वर्ष 2023, दिनांक 06–04–2023	तमिलनाडु सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अंतरिम टैरिफ सब्सिडी
2.	स्वतः संज्ञान आदेश सं. 6/2023 दिनांक 30–06–2023	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए उत्पादन और वितरण हेतु टैरिफ का निर्धारण
3.	एसएलडीसी आदेश दिनांक 30–06–2023	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एसएलडीसी शुल्क का निर्धारण
4.	स्वतः संज्ञान आदेश संख्या 7/2023	गैर–टैरिफ संबंधित विविध शुल्क
5.	अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क दिनांक 30–06–2023	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अंतर–राज्यीय पारेषण टैरिफ और अन्य संबंधित शुल्कों का निर्धारण
6.	आदेश संख्या 8/2023, दिनांक 20–07–2023	तमिलनाडु सरकार द्वारा 2023 के टैरिफ आदेश संख्या 6 के आधार पर 01–07–2023 से टैरिफ में संशोधन के कारण वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अतिरिक्त टैरिफ सब्सिडी

7.	वित्तीय वर्ष 2023–24 की पहली तिमाही दिनांक 20–09–2023	वित्तीय वर्ष 2023–24 की पहली तिमाही हेतु सब्सिडी का समाशोधन
8.	आदेश संख्या 10 / 2023, दिनांक 17–11–2023	एलटी– ।।।बी उद्योगों से पीक ऑवर चार्ज (टीओडी चार्ज) न वसूलने पर अंतरिम टैरिफ सब्सिडी, जब तक कि टीएएनजीईडीसीओ द्वारा स्मार्ट मीटर न लगा दिए जाएं – एमएसएमई उद्योगों के लिए सोलर रूफ टॉप नेटवर्क चार्ज में 50 प्रतिशत तक की कटौती – एलटी टैरिफ आईडी के अंतर्गत मल्टी–टेनमेंट उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए टैरिफ दर में कटौती, एलटी टैरिफ आईई उपभोक्ताओं के रूप में।
9.	आदेश संख्या 11 / 2023, दिनांक 28–12–2023	वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बेगास आधारित सह–उत्पादन संयंत्रों से विद्युत की खरीद तथा कैप्टिव उपयोग और तृतीय पक्ष बिक्री से संबंधित संबद्ध मुद्दे
10.	वित्तीय वर्ष 2023–24 की दूसरी तिमाही दिनांक 08–01–2024	वित्तीय वर्ष 2023–24 की दूसरी तिमाही हेतु सब्सिडी का समाशोधन
11.	आदेश संख्या 2 वर्ष 2024, दिनांक 20–02–2024	वर्ष 2024–25 के लिए उपभोक्ताओं द्वारा रखे गए अग्रिम चालू उपभोग शुल्क पर ब्याज
12.	आदेश संख्या 3 / 2024 दिनांक 12–03–2024	उच्च और निम्न वोल्टेज उपभोक्ताओं के संबंध में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सुरक्षा जमा पर ब्याज
13.	एम.पी. सं. 10 / 2023 दिनांक 28 मार्च 2024	टीएएनजीईडीसीओ द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ट्रू–अप के अनुमोदन।
14	स्वतः संज्ञान आदेश संख्या 2 / 2024, दिनांक 13–02–2024	टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसमिशन परियोजनाओं के पुरस्कार के लिए थ्रैसहोल्ड सीमा की अधिसूचना
15	आदेश संख्या 1 / 24 दिनांक 22–01–2024	01–04–2024 से अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणाली से जुड़े पवन और सौर उत्पादन स्टेशनों के अलावा अन्य जनरेटर के लिए विचलन निपटान तंत्र का वाणिज्यिक संचालन
16	आदेश संख्या 1–1 / 2024, दिनांक 20–02–2024	01–04–2024 से विचलन निपटान तंत्र के वाणिज्यिक संचालन से हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशनों को छूट

25 तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग (टीएसईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

क्र.स.	विनियम
1	बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2023
2	आयोग ने (व्हीलिंग और बिजली की खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियमन संख्या 1, 2023 में तृतीय संशोधन विनियमन जारी किया।

वर्ष 2023–24 के दौरान आयोग द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशः

क्र.सं.	प्रकाशन तिथि / आदेश की तिथि	अधिसूचना / मामला संख्या	विषय
1	11.04.2023	ओ.पी.सं.46 / 2018	माननीय एटीई के निदेशों के अनुसरण में, याचिका दायर कर यह निदेश देने की मांग की गई है कि याचिकाकर्ता के 8.24 मेगावाट सौर संयंत्र द्वारा ग्रिड में डाली गई इकाइयों को सिंक्रोनाइजेशन की तारीख 07.10.2016 से दीर्घकालिक खुली पहुंच (एलटीओए) समझौते की तारीख 19.04.2017 तक बैंक में जमा माना जाए या इसके विकल्प के रूप में 6.78 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया जाए।
2	11.04.2023	ओ.पी.सं.47 / 2018	माननीय एटीई के निदेशों के अनुसरण में, याचिका दायर कर यह निदेश देने की मांग की गई है कि याचिकाकर्ता के 8 मेगावाट सौर संयंत्र द्वारा ग्रिड में डाली गई इकाइयों को सिंक्रोनाइजेशन की तारीख 08.06.2016 से दीर्घकालिक खुली पहुंच (एलटीओए) समझौते की तारीख 18.11.2016 तक बैंक में जमा माना जाए या इसके विकल्प के रूप में 6.78 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया जाए।
3	11.04.2023	ओ.पी.सं. 61 / 2018	माननीय एटीई के निदेशों के अनुसरण में, याचिका दायर कर यह निदेश देने की मांग की गई है है कि याचिकाकर्ता के 3 मेगावाट सौर संयंत्र द्वारा ग्रिड में डाली गई इकाइयों को सिंक्रोनाइजेशन की तारीख यानी 28.09.2015 से लेकर दीर्घकालिक खुली पहुंच (एलटीओए) समझौते की तारीख यानी 13.01.2016 तक बैंक में जमा माना जाए या इसके विकल्प के रूप में 6.78 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया जाए।
4	23.05.2023	ओ.पी.सं. 2 / 2023	टीएसटीआरएएनएससीओ की एसएलडीसी गतिविधियों की वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (ट्रू अप) करने का अनुरोध
5	26.05.2023	ओ.पी.सं. 3 / 2023	वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए पारेषण व्यवसाय की वार्षिक निष्पादन समीक्षा (ट्रू अप) करने का अनुरोध।
6	09.06.2023	ओ.पी.सं. 68 / 2018	आयोग के दिनांक 07.12.2017 के पत्र को स्पष्ट करके वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अतिरिक्त टैरिफ का लाभ देने के लिए वितरण लाइसेंसधारियों को निर्देश देने का अनुरोध।
7	22.06.2023	ओ.पी.सं. 75 एवं 76 / 2022	वित्तीय वर्ष 2023–24 की पहली छमाही के लिए ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त अधिभार के निर्धारण करने का अनुरोध।
8	28.06.2023	याचिका सं. 14 / 2020 में आरपी सं. 2 / 2022 एवं आईए सं. 38 एवं 39 / 2022	ओ.पी. संख्या 14 / 2020 (स्वतः संज्ञान कार्यवाही) में दिनांक 18.04.2020 के आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध।
9	28.06.2023	ओपी सं. 1 / 2022 एवं आईए सं. 1 एवं 2 / 2022	याचिकाकर्ता से टिपिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति की मांग करते हुए प्रतिवादी द्वारा जारी दिनांक 16.07.2021 के विवादित नोटिस को रद्द करने हेतु
10	28.06.2023	ओपी (एसआर) सं. 72 / 2023	याचिकाकर्ता से ऊर्जा बिक्री के लिए पीपीए शीघ्रता से निष्पादित करने के लिए प्रतिवादी को निदेश देने का अनुरोध।

11	8.06.2023	ओपी (एसआर) सं. 71 / 2023	याचिकाकर्ता डब्ल्यूटीएस संयंत्र से ऊर्जा की बिक्री के लिए पीपीए को शीघ्रता से निष्पादित करने के लिए प्रतिवादी को निदेश देने का अनुरोध।
12	19.07.2023	ओपी सं. 45 / 2022	याचिकाकर्ता की परियोजना को आरपीपीओ विनियमन के अंतर्गत मान्यता प्रदान करने तथा फलस्वरूप मान्यता प्रदान करने का अनुरोध।
13	19.07.2023	ओपी सं. 58 / 2022 एवं आईए सं. 45 / 2022	प्रतिवादी को 5 रुपये प्रति यूनिट टैरिफ तय करके पीपीए में प्रवेश करने के निदेश देने का अनुरोध।
14	20.07.2023	ओपी (एसआर) सं. 91 / 2022	याचिकाकर्ता को वितरण लाइसेंसधारी घोषित करने का अनुरोध।
15	25.07.2023	ओपी सं. 25 / 2022	मेसर्स द हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने फरवरी, 2018 से नवंबर, 2021 तक प्रतिवादियों को आपूर्ति की गई बिजली के लिए राशि का भुगतान मांगा है।
16	31.07.2023	ओपी सं. 47 / 2022	उत्तरदाताओं को खुली पहुंच प्रदान करने तथा ग्रिड में पहले से डाली गई ऊर्जा को कैप्टिव उपभोग के लिए क्रेडिट करने के निदेश देने का अनुरोध।
17	31.07.2023	ओपी सं. 70 / 2018 में आरपी सं. 1 / 2023	आयोग द्वारा पारित ओ.पी. संख्या 70 / 2018 में दिनांक 17.10 .2022 के आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध।
18	16.08.2023	ओपी सं. 24 / 2021	ओपन एक्सेस से पहले की अवधि के लिए ग्रिड में भेजी गई उत्पादित ऊर्जा को लाइसेंसधारी द्वारा खरीद के रूप में माना जाएगा या उसके लिए भुगतान किया जाएगा
19	13.09.2023	ओपी सं. 27 / 2020	मेसर्स एलएंडटी मेट्रो रेल (हैदराबाद) लिमिटेड के संचालन के संबंध में प्राप्त बिजली आपूर्ति के लिए सीएमडी को निदेश देने का अनुरोध।
20	29.09.2023	ओपी सं. 15 एवं 16 / 2023	वित्तीय वर्ष 2023–24 की दूसरी छमाही के लिए ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त अधिभार के निर्धारण करने का अनुरोध।
21	09.10.2023	ओपी सं. 58 एवं 59 / 2021 / 2021 आरपी (एसआर) सं. 65 / 2022	आयोग द्वारा पारित 2021 के ओ.पी. संख्या 58 और 59 में दिनांक 23.03.2022 के आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध।
22	09.10.2023	ओपी सं. 21 / 2023 एवं आईए सं. 5 / 2023	वित्तीय वर्ष 2022–23 में बिजली खरीद को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए माने जाने के उद्देश्य से संयुक्त लागत का निर्धारण करने करने का अनुरोध।
23	20.10.2023	ओपी सं. 57 / 2022 एवं आईए सं. 52 / 2022	एससीओडी के विस्तार और परिणामी राहत का अनुरोध।
24	30.10.2023	ओपी (एसआर) सं. 116 / 2022	टीएसएसपीडीसीएल और मेसर्स हैदराबाद एमएसडब्ल्यू एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 19.02.2020 को निष्पादित संशोधन पीपीए पर सहमति देने का अनुरोध।
25	09.11.2023	ओपी सं. 32 / 2014 (स्वतः संज्ञान कार्यवाही)	तेलंगाना राज्य में स्थित 01.04.2014 से 31.03.2019 (अर्थात वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2018–19 तक) की अवधि के लिए बायोमास आधारित बिजली संयंत्रों के लिए संशोधित ईंधन लागत एवं संशोधित ईंधन वृद्धि के निर्धारण तथा बैगास आधारित बिजली संयंत्रों की ईंधन लागत की समीक्षा के मामले में।

26	13.11.2023	टीएसईआरसी / सचिव / टेरिफ–34 / डी सं. 743	आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के साथ विद्युत क्रय समझौतों में बिलिंग चक्र को कैलेंडर माह में स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया।
27	14.11.2023	ओपी सं. 14 / 2023	01.01.2023 से 31.12.2027 तक 3.14 रुपये प्रति यूनिट के एक निश्चित स्तरीकृत टैरिफ पर पीपीए के विस्तार के लिए मेसर्स गणपति शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ पीपीए में मसौदा संशोधन की सहमति देने का अनुरोध।
28	16.11.2023	ओपी सं. 47 / 2022 में आरपी (एसआर) सं. 101 / 2023	आयोग द्वारा पारित ओ.पी. संख्या 47 / 2022 में दिनांक 31.07.2023 के आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध।
29	16.11.2023	ओपी सं. 25 / 2022 में आरपी (एसआर) सं. 102 / 2023	आयोग द्वारा पारित ओ.पी. संख्या 25 / 2022 में दिनांक 31.07.2023 के आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध।
30	17.11.2023	ओपी सं. 77 / 2022 में आरपी (एसआर) सं. 79 / 2023	आयोग द्वारा पारित ओ.पी. संख्या 77 / 2022 में दिनांक 23.03.2023 के आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध।
31	05.12.2023	ओपी सं. 51 / 2022 एवं आईए सं. 41 / 2022	आपूर्ति की गई बिजली के लिए भुगतान किए गए मासिक बिलों में सहायक खपत के लिए कटौती की गई राशि को ब्याज के साथ भुगतान करने के अलावा पावर फैक्टर को बनाए न रखने के लिए छूट के लिए निदेश देने का अनुरोध।
32	15.12.2023	ओपी सं. 43 / 2022	देय ब्याज के भुगतान तथा ऐसे ब्याज पर विलम्ब से भुगतान शुल्क का अनुरोध।
33	15.12.2023	ओपी सं. 49 / 2022	पीपीए के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए विलंबित भुगतान अधिभार सहित बकाया राशि के भुगतान के लिए निदेश देने का अनुरोध
34	15.12.2023	ओपी सं. 50 / 2022	पीपीए के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए विलंबित भुगतान अधिभार सहित बकाया राशि के भुगतान के लिए निदेश देने का अनुरोध
35	15.12.2023	ओपी सं. 65 / 2022	डिस्कॉम द्वारा याचिकाकर्ता को देय भुगतान जारी करने और परिणामस्वरूप पीपीए के अनुसार समय पर भविष्य के बिलों का भुगतान करने का अनुरोध।
36	15.12.2023	ओपी सं. 66 / 2022	डिस्कॉम द्वारा याचिकाकर्ता को देय भुगतान जारी करने और परिणामस्वरूप पीपीए के अनुसार समय पर भविष्य के बिलों का भुगतान करने का अनुरोध।
37	15.12.2023	ओपी सं. 67 / 2022	डिस्कॉम द्वारा याचिकाकर्ता को देय भुगतान जारी करने और परिणामस्वरूप पीपीए के अनुसार समय पर भविष्य के बिलों का भुगतान करने का अनुरोध।
38	15.12.2023	ओपी सं. 68 / 2022	डिस्कॉम द्वारा याचिकाकर्ता को देय भुगतान जारी करने और परिणामस्वरूप पीपीए के अनुसार समय पर भविष्य के बिलों का भुगतान करने का अनुरोध।
39	16.12.2023	ओपी सं. 53 / 2022 एवं आईए सं. 43 / 2022	डिस्कॉम द्वारा याचिकाकर्ता को देय भुगतान जारी करने और परिणामस्वरूप पीपीए के अनुसार समय पर भविष्य के बिलों का भुगतान करने का अनुरोध।
40	16.12.2023	ओपी सं. 54 / 2022 एवं आईए सं. 44 / 2022	डिस्कॉम द्वारा याचिकाकर्ता को देय भुगतान जारी करने और परिणामस्वरूप पीपीए के अनुसार समय पर भविष्य के बिलों का भुगतान करने का अनुरोध।

41	16.12.2023	ओपी (एसआर) सं. 111 / 2023 एवं आईए (एसआर) सं. 110 एवं 112 / 2023	टीएसएसपीडीसीएल द्वारा अंतर संबंधी व्हीलिंग शुल्क पर अधिभार / ब्याज लगाने को अवैध, मनमाना और शून्य घोषित करने का अनुरोध।
42	16.12.2023	ओपी (एसआर) सं. 107 / 2023 एवं आईए (एसआर) सं. 108 एवं 109 / 2023	याचिकाकर्ता द्वारा देय ग्रिड सहायता शुल्क के दावे की घोषणा का अनुरोध करना मांग करना समय की पाबंदी, अवैधानिक और निरर्थक है तथा परिणामी राहत है।
43	16.12.2023	ओपी सं. 29 / 2023 में आईए सं. 7 / 2023	प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 19.10.2023 के पत्र के माध्यम से लोड से अधिक बिजली का उपभोग करने पर जुर्माने की मांग पर की गई अधिभार की मांग पर रोक लगाने के संबंध में मूल याचिका के निपटारे तक अंतरिम निदेश देने का अनुरोध।
44	16.12.2023	ओपी सं. 52 / 2022 एवं आईए सं. 42 / 2022	प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता को देय भुगतान जारी करने और परिणामस्वरूप पीपीए के अनुसार समय पर भविष्य के बिलों का भुगतान करने का अनुरोध।
45	18.12.2023	ओपी सं. 59 / 2022 एवं आईए सं. 49 / 2022	प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता को देय भुगतान जारी करने और परिणामस्वरूप पीपीए के अनुसार समय पर भविष्य के बिलों का भुगतान करने का अनुरोध।
46	18.12.2023	ओपी सं. 60 / 2022 एवं आईए सं. 48 / 2022	प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता को देय भुगतान जारी करने और परिणामस्वरूप पीपीए के अनुसार समय पर भविष्य के बिलों का भुगतान करने का अनुरोध।
47	18.12.2023	ओपी सं. 61 / 2022 एवं आईए सं. 46 / 2022	प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता को देय भुगतान जारी करने और परिणामस्वरूप पीपीए के अनुसार समय पर भविष्य के बिलों का भुगतान करने का अनुरोध।
48	18.12.2023	ओपी सं. 62 / 2022 एवं आईए सं. 50 / 2022	प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता को देय भुगतान जारी करने और परिणामस्वरूप पीपीए के अनुसार समय पर भविष्य के बिलों का भुगतान करने का अनुरोध।
49	18.12.2023	ओपी सं. 63 / 2022 एवं आईए सं. 51 / 2022	प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता को देय भुगतान जारी करने और परिणामस्वरूप पीपीए के अनुसार समय पर भविष्य के बिलों का भुगतान करने का अनुरोध।
50	18.12.2023	ओपी सं. 64 / 2022 एवं आईए सं. 47 / 2022	प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता को देय भुगतान जारी करने और परिणामस्वरूप पीपीए के अनुसार समय पर भविष्य के बिलों का भुगतान करने का अनुरोध।
51	19.12.2023	ओपी सं. 36 / 2022 एवं आईए सं. 10 / 2023	प्रतिवादी द्वारा जारी एलआर संख्या एसई / 2 ऑफ 20 ओपी / एसपीटी / एसएओ / जेएओ / एचटी / डी. संख्या 75 / 23, दिनांक 07.07.2023 के नोटिस के अनुसरण में, ऊपर वर्णित मुख्य ओ.पी. के निपटान तक, और मामले के आधार पर उचित और उचित समझे जाने वाले किसी भी अन्य आदेश को पारित करने के लिए प्रतिवादी को अंतरिम निदेश देने की अनुरोध करते हुए कि वह याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी बलपूर्वक कदम न उठाए, जिसमें याचिकाकर्ता से संबंधित एचटी सेवा कनेक्शन संख्या एसपीटी 427 को काटना भी शामिल है।
52	30.12.2023	ओपी सं. 61 / 2018 में आरपी सं. 2 / 2023	विलंबित अवधि अर्थात 30.11.2015 से 13.01.2016 तक ग्रिड में भेजी गई बिजली के कारण याचिकाकर्ता को मुआवजा देने में परिणामी राहत न देने की सीमा तक ओ.पी. संख्या 61 / 2018 में दिनांक 11.04.2023 के आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध जैसा कि आयोग ने पुष्टि की है।

53	30.12.2023	ओपी सं. 46 / 2018 में आरपी सं. 3 / 2023	विलंबित अवधि अर्थात 31.12.2016 से 19.04.2017 तक ग्रिड में भेजी गई बिजली के कारण याचिकाकर्ता को मुआवजा देने में परिणामी राहत न देने की सीमा तक ओ.पी. संख्या 46 / 2018 में दिनांक 11.04.2023 के आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध जैसा कि आयोग ने पुष्टि की है।
54	30.12.2023	ओपी सं. 47 / 2018 में आरपी सं. 4 / 2023	विलंबित अवधि अर्थात 30.07.2016 से 18.11.2016 तक ग्रिड में भेजी गई बिजली के कारण याचिकाकर्ता को मुआवजा देने में परिणामी राहत न देने की सीमा तक ओ.पी. संख्या 47 / 2018 में दिनांक 11.04.2023 के आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध जैसा कि आयोग ने पुष्टि की है।
55	02.01.2024	ओपी सं. 73 / 2022 एवं आईए सं. 56 एवं 57 / 2022	पीपीए के अंतर्गत बिलिंग और आयात शुल्क के लिए की गई अतिरिक्त कटौती की प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रतिवादी को निदेश देने का अनुरोध।
56	24.01.2024	ओपी सं. 28 / 2023 (स्वतः संज्ञान कार्यवाही)	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 और 146 के अंतर्गत आयोग के दिनांक 08.02.2020, 09.09.2020 और 08.10.2020 के पत्रों के प्रत्युत्तर में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने में आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए सहकारी विद्युत आपूर्ति सोसायटी (सीईएसएस), स्पिरिला के तत्कालीन प्रबंध निदेशक श्री रामकृष्ण के विरुद्ध कार्रवाई के मामले में स्वतः संज्ञान कार्यवाही।
57	27.03.2024	ओपी सं. 80 एवं 81 / 2022	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सी.एस.एस. सहित खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए ए.आर.आर. और टैरिफ प्रस्ताव दाखिल करना
58	27.03.2024	ओपी सं. 17 / 2023	रक्षा निधि से आरसीआई, हैदराबाद में निर्मित संबंधित परिसंपत्तियों को एमईएस को सौंपने के लिए आदेश का अनुरोध ताकि एमईएस को वितरण लाइसेंसधारी के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके।
59	27.03.2024	ओपी सं. 22 / 2023	वित्तीय वर्ष 2019–20 (वित्तीय वर्ष 2018–19 की कमी सहित), वित्तीय वर्ष 2020–21 (वित्तीय वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2019–20 की कमी सहित), वित्तीय वर्ष 2021–22 (वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 और 2020–21 की कमी सहित) के लिए बाध्य संस्थाओं के नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व (आरपीपीओ) के अनुपालन के स्वतः संज्ञान निर्धारण के मामले में

26. उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (यूपीईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

क्र.सं.	प्रकाशन की तिथि	अधिसूचना संख्या	विषय
1	17.11.2023	सं.यूपीईआरसी/सचिव/आरएसपीवी विनियम/002 दिनांक 17.11.2023	यूपीईआरसी (रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम ग्रॉस/नेट मीटरिंग) विनियमन, 2019 (दूसरा संशोधन)
2	20.06.2023	यूपीईआरसी/विनियमन/001 20.06.2023	यूपीईआरसी (बिजली प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2023
3	07.02.2024	यूपीईआरसी/सचिव/विनियमावली/04 07.02.2024	यूपीईआरसी (अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली को संवहन अनुदान) (पहला संशोधन) विनियम, 2024

वर्ष 2023–24 के दौरान आयोग द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशः

क्र.सं.	प्रकाशन की तिथि	अधिसूचना/याचिका संख्या	विषय
1.	24.05.2023	एमवीवीएनएल–1945/2023 डीवीवीएनएल–1948/2023 पीवीवीएनएल–1947/2023 पीयूवीवीएनएल–1949/2023 केईएससीओ–1946/2023	राज्य डिस्कॉम (एमवीवीएनएल, डीवीवीएनएल, पीवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल और केस्को) के लिए वित्त वर्ष 2023–24 के एआरआर, वित्त वर्ष 2022–23 के एपीआर और वित्त वर्ष 2021–22 के ट्रू अप हेतु टैरिफ आदेश
2.	24.05.2023	1919/2022	एनपीसीएल के लिए वित्त वर्ष 2023–24 केएआरआर, वित्त वर्ष 2022–23 के एपीआर और वित्त वर्ष 2021–22 हेतु ट्रू अप हेतु टैरिफ आदेश
3.	24.05.2023	1907/2022	यूपीपीटीसीएल के लिए वित्त वर्ष 2023–24 के एआरआर, वित्त वर्ष 2022–23 के एपीआर और वित्त वर्ष 2021–22 के ट्रू अप हेतु टैरिफ आदेश
4.	05.04.2023	1520/2019	यूपीआरवीयूएनएल विद्युत स्टेशनों का नियंत्रण अवधि 2014–19 के लिए ट्रूइंग अप।
5.	31.10.2021	1561/2020	घाटमपुर टीपीएस (3 X 660 मेगावाट) से 1487.28 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीदने के लिए यूपीपीसीएल, यूपीआरवीयूएनएल और एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बीच दिनांक 31.12.2010 को पीपीए का अनुमोदन।
6.	22.05.2023	1578/2020	नियंत्रण अवधि 2019–24 के लिए रोजा टीपीएस (4 X 300 मेगावाट) के लिए बहु–वर्षीय टैरिफ का निर्धारण।
7.	12.05.2023	1646/2020	नियंत्रण अवधि 2019–24 के लिए मकसूदापुर टीपीएस (2 X 45) के लिए बहु–वर्षीय टैरिफ का निर्धारण।
8.	12.05.2023	1647/2020	नियंत्रण अवधि 2019–24 के लिए कुंदरकी टीपीएस (2 X 45) के लिए बहु–वर्षीय टैरिफ का निर्धारण।
9.	12.05.2023	1648/2020	नियंत्रण अवधि 2019–24 के लिए खंबारखेड़ा टीपीएस (2 X 45) के लिए बहु–वर्षीय टैरिफ का निर्धारण।
10.	12.05.2023	1649/2020	नियंत्रण अवधि 2019–24 के लिए उतरौला टीपीएस (2 X 45) के लिए बहु–वर्षीय टैरिफ का निर्धारण।

11.	12.05.2023	1650/2020	नियंत्रण अवधि 2019–24 के लिए बारखेड़ा टीपीएस (2 X 45) के लिए बहु–वर्षीय टैरिफ का निर्धारण।
12.	22.05.2023	1754/2021	जैक्सन पावर प्राइवेट लिमिटेड को सुरक्षा शुल्क लगाए जाने के कारण कानूनी दशाओं में परिवर्तन के वाणिज्यिक प्रभाव की भरपाई के लिए मुआवजा।
13.	22.05.2023	1764/2021	जैक्सन पावर प्राइवेट लिमिटेड को सोलर इनवर्टरों के आयात पर सीमा शुल्क लगाए जाने के कारण कानूनी दशाओं में परिवर्तन के वाणिज्यिक प्रभाव की भरपाई के लिए मुआवजा।
14.	28.02.2024	1847/2022	उत्तर प्रदेश राज्य में सौर–पीवी आधारित विद्युत परियोजनाओं की सीओडी/आंशिक–सीओडी की घोषणा की कार्यप्रणाली का अनुमोदन।
15.	23.06.2023	1884/2022	लैंको अनपरा पावर लिमिटेड द्वारा दिनांक 31.12.2021 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के कारण होने वाली राख परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति के लिए कार्यप्रणाली का अनुमोदन।
16.	02.05.2023	1896/2022	सीआरई विनियम, 2019 के अनुसार टैरिफ पर अगले पांच वर्षों के लिए 19 मेगावाट बिजली खरीद की अवधि बढ़ाने के लिए डीएसएम शुगर मिल्स लिमिटेड और यूपीपीसीएल के बीच निष्पादित एसपीपीए दिनांक 11.11.2022 का अनुमोदन।
17.	28.05.2023	1928/2022	नियंत्रण अवधि 2019–24 के लिए यूपीआरवीयूएनएल के हरदुआगंज (1X110 मेगावाट) टीपीएस के लिए बहुवर्षीय टैरिफ का निर्धारण।
18.	16.06.2023	1929/2022	नियंत्रण अवधि 2019–24 के लिए यूपीआरवीयूएनएल के परीचा (2 X 210 मेगावाट) टीपीएस के लिए बहुवर्षीय टैरिफ का निर्धारण।
19.	29.05.2023	1930/2022	नियंत्रण अवधि 2019–24 के लिए यूपीआरवीयूएनएल के हरदुआगंज (2X250 मेगावाट) टीपीएस के लिए बहुवर्षीय टैरिफ का निर्धारण।
20.	16.06.2023	1931/2022	नियंत्रण अवधि 2019–24 के लिए यूपीआरवीयूएनएल के अनपरा (3 X210 मेगावाट) टीपीएस के लिए बहुवर्षीय टैरिफ का निर्धारण।
21.	29.05.2023	1932/2022	नियंत्रण अवधि 2019–24 के लिए यूपीआरवीयूएनएल के परीचा (2 X 110 मेगावाट) टीपीएस के लिए बहुवर्षीय टैरिफ का निर्धारण।
22.	16.06.2023	1933/2022	नियंत्रण अवधि 2019–24 के लिए यूपीआरवीयूएनएल के अनपरा बी (2X500 मेगावाट) टीपीएस के लिए बहुवर्षीय टैरिफ का निर्धारण।
23.	16.06.2023	1934/2022	नियंत्रण अवधि 2019–24 के लिए यूपीआरवीयूएनएल के परीचा विस्तार (2 X 500 मेगावाट) टीपीएस के लिए बहुवर्षीय टैरिफ का निर्धारण।
24.	24.05.2023	1935/2022	नियंत्रण अवधि 2019–24 के लिए यूपीआरवीयूएनएल के ओबरा बी (5X200 मेगावाट) टीपीएस के लिए बहुवर्षीय टैरिफ का निर्धारण।
25.	24.05.2023	1936/2022	नियंत्रण अवधि 2019–24 के लिए यूपीआरवीयूएनएल के हरदुआगंज विस्तार ।। (1X660 मेगावाट) टीपीएस के लिए बहुवर्षीय टैरिफ का निर्धारण।
26.	13.06.2023	1965/2023	एनपीसीएल द्वारा 01.07.2023 से 31.08.2023 तक हाइड्रो पावर की अल्पकालिक खरीद के लिए एनपीसीएल और पीटीसी इंडिया लिमिटेड के बीच दिनांक 01.03.2023 को पीपीए का अनुमोदन।

27.	13.06.2023	1966/2023	एनपीसीएल द्वारा 01.08.2023 से 30.09.2023 तक गैर–सौर नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद के लिए एनपीसीएल और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (स्रोत–एनएसएल शुगर लिमिटेड) के बीच दिनांक 01.03.2023 को पीपीए का अनुमोदन।
28.	31.01.2024	1990/2023	यूपीआरवीयूएनएल के जवाहरपुर (2 X 660 मेगावाट) टीपीएस की अंतरिम टैरिफ का अनुमोदन।
29.	05.02.2024	1991/2023	यूपीआरवीयूएनएल के ओबरा–सी (2 X 660 मेगावाट) टीपीएस की अंतरिम टैरिफ का अनुमोदन।
30.	31.10.2023	2018/2023	पीएम केयूएसयूईएम घटक–सी2 योजना के फीडर स्तरीय सौरीकरण के अंतर्गत 150 मेगावाट की संचयी क्षमता के ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बिजली की खरीद के लिए बोली दस्तावेजों का अनुमोदन।
31.	12.01.2024	2023/2023	उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या शहर में लागत प्लस आधार पर 40 मेगावाट सौर पीवी आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना से यूपीपीसीएल द्वारा विद्युत की खरीद को अनुमोदन।
32.	30.11.2023	2025/2023	प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से आईएसटीएस से जुड़े पंप हाइड्रो स्टोरेज प्लांट से 40 वर्षों के लिए एमपीपीएमसीएल के सहयोग से यूपीपीसीएल द्वारा 500 मेगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता (अधिकतम 4 घंटे निरंतर डिस्चार्ज के साथ 6 घंटे डिस्चार्ज) की खरीद को अनुमोदन।
33.	20.02.2024	2033/2023	पीएम केयूएसयूईएम घटक–ए योजना के अनुसार 25 वर्ष की अवधि के लिए 3.10 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की निर्धारित दर पर सौर ऊर्जा जनरेटर– सुश्री माया सिंह से यूपीपीसीएल द्वारा 1 मेगावाट की सौर पीवी आधारित बिजली की खरीद के लिए दिनांक 24.01.2023 के पीपीए का अनुमोदन।
34.	09.01.2024	2035/2023	मध्यम अवधि के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत एनपीसीएल द्वारा 95 मेगावाट कोयला आधारित बिजली की खरीद के लिए एनपीसीएल और जेआईटीपीएल के बीच दिनांक 15.11.2023 को निष्पादित एपीपी का अनुमोदन।
35.	05.03.2024	2062/2024	यूपीनेडा द्वारा मऊ में चिन्हित भूमि पर स्थापित की जाने वाली 5 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी आधारित विद्युत परियोजनाओं की खरीद के लिए बोली (टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया) दस्तावेजों का अनुमोदन।
36.	19.03.2024	2064/2024	एनआईडीपी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 01.04.2024 से 31.10.2024 तक की अवधि के लिए 4 मेगावाट से 6 मेगावाट तक बिजली की खरीद के लिए 6.56 रुपये/यूनिट की दर को अंगीकृत करना और एनआईडीपी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और टीपीटीसीएल के बीच निष्पादित 19.02.2024 के पीपीए का अनुमोदन।
37.		64/SM/2023	वर्ष 2028–40 की अवधि के लिए यूपी डिस्कॉम की दीर्घकालिक बिजली खरीद योजना पर स्वतः संज्ञान आदेश।
38.		आदेश दिनांक 18.03.2024	कोयला आधारित टीपीएस में बायोमास छर्रों के सह–फायरिंग और इसकी लागत वसूली के लिए कार्यप्रणाली तैयार करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना

कोई अन्य प्रासंगिक उपलब्धियां:

1. आयोग ने स्वतः संज्ञान कार्यवाही संख्या 59एसएम/2021, 60एसएम/2021 और 61एसएम/2021 आरंभ की, जिसमें यूपीएसएलडीसी, राज्य के स्वामित्व वाले वितरण लाइसेंसधारी (एमवीवीएनएल, पीवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल, डीवीवीएनएल, केईएससीओ), यूपीपीसीएल, यूपीपीटीसीएल को डीएसएम फ्रेमवर्क के प्रावधान के अनुपालन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

2. आयोग द्वारा दिनांक 27.03.2024 को याचिका संख्या 2037/2023 में यूपीपीटीसीएल की पांच वर्षीय (वर्ष 2024–25 से वर्ष 2028–29) एसटीयू पारेषण योजना को अनुमोदित किया गया।

27. उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम:

क्र.सं.	विवरण	विनियम की अधिसूचना की तिथि	विषय
1	विनियम	26.08.2023	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2023
2		26.08.2023	यूईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन स्टेशनों से बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ और अन्य निबंधन) विनियम, 2023
3	विनियम	04.11.2023	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच) विनियम, 2023
4	विनियम	13.01.2024	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम द्वारा सदस्यों की नियुक्ति और प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2024
5	विनियम	01.04.2023	यूईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन स्टेशनों से बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ और अन्य निबंधन) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 [मूल विनियम, 2018]

वर्ष 2023–24 के दौरान आयोग द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश:

क्र.सं.	याचिका सं.	आदेश की तारीख	याचिकाकर्ता/प्रतिवादी	विषय
1.	याचिका सं. 31/2023	14.08.2023	यूपीसीएल	01.07.2023 से 30.09.2023 तक की अवधि के लिए उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले ईंधन प्रभार समायोजन (एफसीए) की स्वीकृति के अनुरोध वाला आवेदन।
2.	याचिका सं. 27/2023 (स्वतः संज्ञान)	16.08.2023	यूपीसीएल, मेसर्स श्रावंती एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड मेसर्स गामा इंफ्राप्रॉप (प्रा) लिमिटेड	गैस भुगतान जारी करने के लिए संशोधित भुगतान शर्तों की मंजूरी प्राप्त करने के अनुरोध के मामले में स्वतः कार्यवाही।

3.	याचिका सं. 33 / 2023	01.09.2023	मेसर्स ग्रीनको बुधिल हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूपीसीएल	बुधिल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट (बीएचईपी) के संबंध में वित्त वर्ष 2020–21, वित्त वर्ष 2021–22 और वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान उत्पादन स्टेशन के नियंत्रण ये बाहर रहने वाले कारणों से ऊर्जा उत्पादन में कमी के कारण कम वसूले गए ऊर्जा प्रभार की वसूली के लिए उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ निर्धारण हेतु नियम व शर्तें) विनियम, 2018 और 2021 के विनियम 50(6) के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और 84 के अंतर्गत याचिका।
4.	याचिका सं. 21 / 2022 एवं याचिका सं. 22 / 2022	15.09.2023	मेसर्स हिमालय हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूपीसीएल	संयंत्र को हुए विनाशकारी नुकसान के कारण आवश्यक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण मेसर्स हिमालय हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड की टांगा लघु जल विद्युत परियोजना (5 मेगावाट) और मोतीघाट लघु जल विद्युत परियोजना (5 मेगावाट) के लिए यूईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन स्टेशनों से बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ और अन्य निबंधन) विनियमन, 2018 के नियम 14 (7), समय–समय पर यथा संशोधित, के साथ पठित, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 और 62 के अनुसार टैरिफ का समायोजन करने की मांग करने वाली याचिका।
5.	याचिका सं. 39 / 2023 (स्वतः संज्ञान)	25.09.2023	यूपीसीएल	उत्तराखंड में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों पर ग्रीन पावर टैरिफ के प्रावधान के मामले में स्वतः संज्ञान कार्यवाहीय तथा पी.टी.डब्ल्यू. उपभोक्ताओं की बिलिंग के मामले में स्वतः संज्ञान कार्यवाही।
6.	याचिका सं. 40 / 2023 (स्वतः संज्ञान)	09.10.2023	.	यूईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादन स्टेशनों से बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ और अन्य निबंधन) विनियम, 2023 के अंतर्गत कठिनाइयों को दूर करने के मामले में स्वतः कार्यवाही।
7.	विविध आवेदन सं. 38 / 2023 (स्वतः संज्ञान)	17.10.2023	यूपीसीएल बनाम मेसर्स गामा इंफ्राप्रॉप प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स श्रावंती एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	मेसर्स गामा इंफ्राप्रॉप प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स श्रावंती एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के लिए गैस भुगतान जारी करने के लिए संशोधित भुगतान शर्तों की मंजूरी मांगने के अनुरोध के मामले में स्वतः संज्ञान कार्यवाही पर आयोग के आदेश दिनांक 16.08.2023 की समीक्षा / पुनर्विचार करने के लिए याचिका।
8.	याचिका सं. 01 / 2024 (स्वतः संज्ञान)	02.01.2024	यूपीसीएल, मेसर्स श्रावंती एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स गामा इंफ्राप्रॉप (प्रा) लिमिटेड	गैस भुगतान जारी करने के लिए संशोधित भुगतान शर्तों के लिए पूरक पीपीए के मामले में स्वतः कार्यवाही।
9.	याचिका सं. 05 / 2024	06.02.2024	मेसर्स गामा इंफ्राप्रॉप (प्रा) लिमिटेड बनाम यूपीसीएल	मेसर्स गामा इंफ्राप्रॉप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा काशीपुर स्थित 225 मेगावाट गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र की 107 मेगावाट की पीपीए क्षमता से तीसरे पक्ष को विद्युत बिक्री हेंतु दायर याचिका।

10.	याचिका सं. 53/2023	28.03.2024	यूपीसीएल	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 के ट्रू अप, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्त वर्ष 2024–25 के लिए एआरआर और टैरिफ हेतु दायर याचिका।
11.	याचिका सं. 51/2023	28.03.2024	मेसर्स गामा इंफ्राप्रॉप (प्रा) लिमिटेड बनाम यूपीसीएल	मेसर्स गामा इंफ्राप्रॉप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ट्रू–अप, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्त वर्ष 2024–25 के लिए संशोधित वार्षिक राजस्व अपेक्षा हेतु दायर याचिका।
12.	याचिका सं. 50/2023	28.03.2024	मेसर्स श्रावंती एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूपीसीएल	मेसर्स श्रावंती एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 के ट्रू–अप, वित्त वर्ष 2023–24 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा और वित्त वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक राजस्व अपेक्षा हेतु दायर याचिका।
13.	याचिका सं. 52/2023	28.03.2024	मेसर्स ग्रीनको बुधिल हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूपीसीएल	मेसर्स ग्रीनकोबुधिल हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्रीनकोबुधिल हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड के बुधिल हाइड्रो स्टेशन के लिए वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एएफसी के सही–सही निर्धारण, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एआरआर के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और 84 के अंतर्गत आयोग के प्रासंगिक विनियमों और दिशानिर्देशों के साथ दायर याचिका।
14.	याचिका सं. 05/2023	12.04.2023	यूजेवीएन लिमिटेड	डाकपत्थर सिल्ट इजेक्टर से धालीपुर पावर हाउस के इनटेक तक क्षतिग्रस्त पावर चैनल के नवीनीकरण पर पूंजी निवेश के अनुमोदन हेतु याचिका।
15.	याचिका सं. 06/2023	12.04.2023	यूजेवीएन लिमिटेड	धालीपुर पावर हाउस के लिए एक नंबर 132ध्11 केवी 20 एमवीए जेनरेटर ट्रांसफार्मर की खरीद के लिए पूंजी निवेश के अनुमोदन के अनुरोध वाली याचिका।
16.	याचिका सं. 16/2023	25.04.2023	यूजेवीएन लिमिटेड	चिल्ला पावर चैनल के बिन सुपर पैसेज में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड में संरक्षण कार्यों के लिए पूंजी निवेश के अनुमोदन के अनुरोध वाली याचिका।
17.	याचिका सं. 36/2022	05.06.2023	यूपीसीएल	निम्नलिखित परियोजनाओं पर टायर निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु याचिकाः (क) 03 नं. सौर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट द्वारा उत्पादित बिजली की निकासी के लिए ग्राम दुगुड़ा, रानीखेत (अल्मोड़ा) में जेनरेटर स्विचिंग स्टेशन से 132/33 केवी सबस्टेशन नैनी (रानीखेत) तक 33 केवी लाइन और 132/33 केवी सबस्टेशन नैनी (रानीखेत) में 01 नं. 33 केवी 'बे' का निर्माण। (ख) 06 नं. सौर फोटोवोल्टिक पावर प्लांटों द्वारा उत्पादित विद्युत की निकासी के लिए जनरेटर स्विचिंग स्टेशन ग्राम पाटलीबगड़ से 132/33 केवी सबस्टेशन स्यालीधार (अल्मोड़ा) तक 33 केवी लाइन का निर्माण। नकोट, टिहरी (गढ़वाल) में 33/11 केवी सबस्टेशन और उससे संबद्ध 33 केवी लाइन का निर्माण।

18.	याचिका सं. 36/2023	05.09.2023	यूपीसीएल	सरकड़ा सितारगंज (यू.एस. नगर) में 01 नं. नए 33/11 के.वी. सबस्टेशन के साथ–साथ इससे संबंधित 33 के.वी. और 11 के.वी. लाइन के निर्माण को कवर करने वाली परियोजना पर निवेश के लिए अनुमोदन के अनुरोध वाला आवेदन।
19.	याचिका सं. 34/2023	05.09.2023	यूजीवीएनएल लि.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 और 86 के अंतर्गत आयोग के प्रासंगिक नियमों और दिशानिर्देशों के साथ पढ़ें, चिब्रो पावरहाउस में मौजूदा तेल से भरे केबल को हटाने सहित सभी सहायक उपकरणों के साथ 220 केवी एक्सएलपीई बख्तरबंद पावर केबल की आपूर्ति स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) के लिए पूंजी निवेश के अनुरोध वाली याचिका।
20.	याचिका सं. 15/2023 और याचिका सं. 42/2023	19.10.2023	यूपीसीएल	एडीबी (एशियाई विकास बैंक) से वित्त पोषित ईएपी (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना) के ''उत्तराखंड ट्रांसमिशन सुदृढ़ीकरण और वितरण सुधार कार्यक्रम (यूटीएसडीआईपी) के वितरण घटक'' के कार्यों पर निवेश हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के आवेदन के मामले में। और एडीबी (एशियाई विकास बैंक) से वित्त पोषित ईएपी (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना) के ''उत्तराखंड जलवायु लचीला विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना (यूसीआरपीएसडीपी)'' के कार्यों पर निवेश हेतु अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुपूरक याचिका के मामले में।
21.	याचिका सं. 35/2023	19ण्10ण्2023		यूपीसीएलउत्तराखंड में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की परियोजना ''पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना'' पर निवेश के लिए आयोग का अनुमोदन का अनुरोध करते हुए आवेदन पत्र। इसका उद्देश्य वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है। इसके लिए 2024–25 तक एटीएंडटी घाटे को 12–15ः तक कम करना और एसीएस–एआरआर अंतर को शून्य करना है। प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग, वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण कार्य और योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार अन्य कार्य भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे।
22.	याचिका सं. 18/2023	31.10.2023	यूपीसीएल	उपभोक्ताओं से किश्तों में बिजली की क्रेडिट बिक्री के विरुद्ध अतिरिक्त सुरक्षा जमा की वसूली के लिए आवेदन।
23.	याचिका सं. 37/2023	31.10.2023	यूजेवीएनएल लि.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 और 86 के अंतर्गत आयोग के प्रासंगिक नियमों और दिशानिर्देशों के साथ पठित, 4 x 60 मेगावाट चिब्रो पावरहाउस में मौजूदा ट्रांसफार्मर को हटाने सहित सभी सहायक उपकरणों के साथ जेनरेटर ट्रांसफार्मर (75 एमवीए, 11/220 केवी) की आपूर्ति स्थापना परीक्षण और

				कमीशनिंग (एसआईटीसी) के लिए पूंजी निवेश हेतु अनुमोदन के अनुरोध वाली याचिका।
24.	याचिका सं. 38/2023	31.10.2023	मेसर्स उत्तरांचल आइरन एंड इस्पात लि./यूपीसीएल	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नए कनेक्शन जारी करना और संबंधित मामले) विनियमन, 2020 के विनियमन सं. 6.1 को चुनौती देने वाली विविध याचिका, इस आधार पर कि यह विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 (1) के अनिवार्य प्रावधान के विपरीत है और उसी के पूर्वव्यापी निहितार्थ, का उपयोग यूपीसीएल द्वारा बिल को बिल सह डिस्कनेक्शन नोटिस के रूप में करने में किया जा रहा है।
25.	स्वतः संज्ञान (कार्यनिष्पादन विनियम मानक से संबंधित आदेश)	07.12.2023	यूपीसीएल	वितरण लाइसेंसधारी (यूपीसीएल) द्वारा वितरण और खुदरा आपूर्ति लाइसेंस के खंड 23.4 के अनुसार यूईआरसी (प्रदर्शन के मानक) विनियम, 2022 के विनियम 5 'शिकायत निपटान प्रक्रियाएं' विनियमों के प्रावधानों के अनुसार आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
26.	याचिका सं. 06/2024	02.02.2024	यूपीसीएल	निम्नलिखित परियोजनाओं पर निवेश के अनुमोदन हेतु आवेदनः अक्रीबरजुला, टिहरी (जी) में 2x5 एमवीए, 33/11 केवी सबस्टेशन का निर्माण और 33/11 केवी एस/एस न्यौलीसैंण (कीर्तिनगर) से एसीएसआर डॉग कंडक्टर और एक्सएलपीई केबल पर इससे संबंधित 33 केवी लाइन के साथ–साथ 33/11 केवी एस/एस न्यौलीसैंण में एक 33 केवी बे का निर्माण। लोधीवाला, भगवानपुर (रुड़की) में 2 ग 12.5 एमवीए, 33/11 केवी सबस्टेशन और इससे जुड़ी 33 केवी लाइन और 33/11 केवी एस/एस दादा जलालपुर लाइन पर 06 नंबर 33 केवी 'बे' के साथ 11 केवी ओ/जी फीडर का निर्माण।
27.	याचिका सं. 12/2024	27.02.2024	यूजेवीएल लि.	विद्युत आयोग के प्रासंगिक विनियमन और दिशानिर्देश के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 और 86 के अंतर्गत वीरभद्र बैराज के ग्लेशिस, फर्श और अंतिम सिल की विशेष मरम्मत पर पूंजी निवेश के अनुमोदन हेतु याचिका।
28.	स्वतः संज्ञान (आपूर्ति संहिता विनियम में राहत प्रदान करने के की शक्ति के अधीन)	27.03.2024	यूपीसीएल	विद्युत संशोधन नियम 2024 के अनुसार कनेक्शन के लिए समयसीमा के साथ तालमेल बैठाने और आसानी से समझ में आने वाले बिल।
29.	याचिका सं. 13/2023	03.04.2023	प्रबंध निदेशक, पीटीसीयूएल	132 केवी सबस्टेशन, माजरा परिसर, देहरादून में एसएलडीसी के लिए अलग भवन के निर्माण के लिए संशोधित डीपीआर का अनुमोदन।

30.	याचिका सं. 17 / 2023	03.04.2023	प्रबंध निदेशक, यूपीसीएल	अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 की अवधि के लिए ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने के अपने दायित्व से उत्पन्न यूपीसीएल की निश्चित लागत को पूरा करने के लिए यूईआरसी (अंतर–राज्य ओपन एक्सेस के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त अधिभार का निर्धारण।
31.	याचिका सं. 12 / 2023	12.04.2023	प्रबंध निदेशक, पीटीसीयूएल	400 / 220 केवी एआईएस सबस्टेशन लंढोरा और इसकी संबद्ध लाइनों के स्थान पर एडीबी फंडिंग के अंतर्गत यूटीएसडीआईपी योजना के अंतर्गत पीटीसीयूएल ट्रांसमिशन योजना की ट्रांसमिशन परियोजना में शामिल करने के लिए 400 / 220 केवी (2x315 एमवीए) जीआईएस सबस्टेशन लंढोरा और इसकी संबद्ध लाइनों के लिए डीपीआर के लिए निवेश अनुमोदन।
32.	याचिका सं. 19 / 2023 (स्वतः संज्ञान)	28.04.2023	प्रबंध निदेशक, पीटीसीयूएल	220 केवी बारम सब–स्टेशन और उससे संबंधित लाइन को चालू करने में देरी के संबंध में आयोग के आदेशों / निर्देशों का पालन न करने के मामले में, टायर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा 149 के साथ धारा 142 के अंतर्गत व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कारण बताओ नोटिस–सह–नोटिस।
33.	याचिका सं. 32 / 2023	01.09.2023	प्रबंध निदेशक, पीटीसीयूएल	132 केवी सबस्टेशन बाजपुर की क्षमता 1 x 80+1 x 40 एमवीए से बढ़ाकर 2 x 80 एमवीए करने तथा 132 केवी सबस्टेशन रामनगर की क्षमता (1 x 20+1 x 40) एमवीए से बढ़ाकर 2 x 40 एमवीए करने के लिए निवेश हेतु अनुमोदन।
34.	याचिका सं. 29 / 2023	25.09.2023	प्रबंध निदेशक, यूपीसीएल	अक्तूबर 2023 से मार्च 2024 तक की अवधि के लिए ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने के अपने दायित्व से उत्पन्न यूपीसीएल की निश्चित लागत को पूरा करने के लिए यूईआरसी (अंतर–राज्य ओपन एक्सेस के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त अधिभार का निर्धारण।
35.	विविध आवेदन सं. 30 / 2023 एवं विविध आवेदन सं. 31 / 2023	16.10.2023	मेसर्स उत्तर भारत हाइड्रो पावर (प्रा) लिमिटेड / प्रबंध निदेशक, यूपीसीएल	निम्नलिखित के मामले में याचिका: 1. उत्तर भारत हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड की 12.6 मेगावाट सरजू 11 स्नरल हाइड्रो पावर परियोजना के संबंध में कथित उत्पादन का दावा करने वाली धारा 86(1) (ई) और 86 (1) (एफ) के अंतर्गत याचिका। 2. उत्तर भारत हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड की 10.5 मेगावाट सरजू ।।। स्नरल हाइड्रो पावर परियोजना के संबंध में कथित उत्पादन का दावा करने वाली धारा 86 (1) (ई) और 86 (1) (एफ) के अंतर्गत याचिका।
36.	याचिका सं. 30 / 2023	17.10.2023	मेसर्स भिलंगना हाइड्रो पावर लिमिटेड / प्रबंध निदेशक, पीटीसीयूएल	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यीय खुली पहुंच के नियम और शर्तें) विनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए आयोग से उचित निर्देश देने की

				मांग हेतु डब्ल्यूपीएमएस 1829/2021 में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 20.06.2023 के आदेश के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 के साथ धारा 181 के अंतर्गत याचिका।
37.	याचिका सं. 44/2023 (स्वतः संज्ञान)	02.11.2023	मेसर्स हिमालय हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड	यूईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 के विनियम 6.2(22) में संशोधन से संबंधित मेसर्स हिमालय हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स एचएचपीएल) द्वारा किए गए अभ्यावेदन के मामले में आयोग द्वारा आरंभ की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही।
38.	याचिका सं. 02/2024	02.02.2024	प्रबंध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड/ प्रबंध निदेशक, यूपीसीएल, प्रबंध निदेशक पीटीसीयूएल एवं मेसर्स हिमालय हाइड्रो प्रा. लि.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 30 और यूईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन स्टेशनों से बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ और अन्य निबंधन) विनियमन, 2023 के विनियमन 43 (1) के साथ धारा 86 (1) (सी), (ई) (एफ) और (के) के अंतर्गत यूपीसीएल के 33/11 केवी दारती उप–स्टेशन से याचिकाकर्ता के सुरिंगाड (5 मेगावाट) लघु जलविद्युत संयंत्र को जोड़ने के लिए माननीय आयोग के अनुमोदन हेतु याचिका,
39.	विविध आवेदन सं. 64/2023	26.02.2024	प्रबंधन निदेशक, पीटीसीयूएल/मेसर्स भिलंगना हाइड्रो पावर लिमिटेड	यूईआरसी (कारबार का संचालन) विनियम, 2014 के विनियम 54 के अंतर्गत विनियमों और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत दायर याचिका सं. 30/2023 में पारित दिनांक 17.10 2023 के आदेश पर पुनर्विचार/समीक्षा हेतु याचिका।
40.	विविध आवेदन सं. 10/2024	15.03.2024	प्रबंध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड/ प्रबंध निदेशक, यूपीसीएल, प्रबंध निदेशक पीटीसीयूएल एवं मेसर्स हिमालय हाइड्रो प्रा. लि.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 30 और यूईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन स्टेशनों से बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ और अन्य निबंधर्न) विनियम, 2023 के विनियमन 43 (1) के साथ धारा 86 (1) (सी), (ई) (एफ) और (के) के अंतर्गत याचिकाकर्ता के सुरिंगाड (5 मेगावाट) लघु जलविद्युत संयंत्र को यूपीसीएल के 33/11 केवी दारती उप–स्टेशन से जोड़ने के लिए माननीय आयोग के अनुमोदन हेतु याचिका।

28. पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (डब्ल्यूबीईआरसी)

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमः

क्र.सं.	प्रकाशन की तिथि	अधिसूचना सं.	विषय
1	04.09.2023	77/डब्लूबीईआरसी	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (संबद्ध सेवाएँ) विनियम, 2023
2	26.12.2023	78/डब्लूबीईआरसी	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण की कार्यपद्धिति) विनियम, 2023
		ओए और ओए से भिन्न अन्य	
1	14.03.2024	बी-117/1	हल्दिया एनर्जी लिमिटेड के लिए आयोग द्वारा जारी विभिन्न वार्षिक निष्पादन समीक्षा और ईंधन लागत समायोजन आदेशों की वसूली योग्य/वापसी योग्य राशि का समायोजन।
2	06.03.2024	ओए-465/23-24	विद्युत अधिनियम, 2023 की धारा 86(1)(बी) और अन्य लागू प्रावधानों तथा पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग के लागू विनियमों के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से एफओओ आधार पर स्थापित परियोजनाओं से 200 मेगावाट जल विद्युत के विचलन के अनुमोदन हेतु सीईएससी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत याचिका के संबंध में।
3	22.02.2024	ओए-469/23-24	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रम्मम इंटरमीडिएट स्टेज हाइडल प्रोजेक्ट (आरआईएसएचपी) के अंतर्गत बंद की गई गैर–संभावित उत्पादन परियोजना पर डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा किए गए प्रारंभिक व्यय को अनुसंधान एवं विकास शीर्षों या किसी अन्य व्यय शीर्ष में प्रासंगिक वर्षों की कुल राजस्व आवश्यकता के अंतर्गत परियोजना के प्रारंभिक व्यय की वसूली के लिए अनुमति देने के लिए आवेदन के संबंध में।
4	20.02.2024	ओए-468/23-24	भारत सरकार की पुनरोद्धार वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) या इसी तरह की स्मार्ट मीटरिंग योजना की आवश्यकता के अनुसार डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी प्रतिष्ठानों सहित उपभोक्ता परिसरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के कार्यान्वयन के लिए रोल आउट योजना के अनुमोदन के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में
5	01.02.2024	ओए-418/22-23	डब्ल्यूबीईआरसी (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2021 के विनियम 5.13 के अंतर्गत इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में, जिसमें डीएसएम विनियमों के विनियम 3.3 (विनियम 3.3.9, 3.3.11 और 3.3.12 को छोड़कर) के अनुसार अतिरिक्त विचलन

			शुल्क के लिए वॉल्यूम सीमा में छूट, हस्ताक्षर बदलने के उल्लंघन के लिए अतिरिक्त विचलन शुल्क और अंडर–ड्रावल सीमा की मांग की गई है।
6	22.01.2024	ओए-431/22-23	दामोदर घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के क्षेत्र में आने वाले दामोदर घाटी क्षेत्र के हिस्से के लिए अपनी वितरण गतिविधियों और बिजली की खुदरा आपूर्ति के लिए डीवीसी के समग्र पारेषण और वितरण हानि के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत आवेदन के संबंध में
7	04.01.2024	ओए-418/22-23	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र) विनियम, 2021 के कुछ पहलुओं के संबंध में छूट की मांग करते हुए मेसर्स इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में सुनवाई के मामले में
8	28.12.2023	ओए-466/23-24	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियमन, 2021 की कठिनाइयों को दूर करने के अंतर्गत अंतर–राज्यीय और अंतरराज्यीय स्तर के बीच विचलन निपटान तंत्र शुल्क की गणना में असमानता को दूर करने के संबंध में उचित आदेश के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में
9	28.12.2023	ओए-463/23-24	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (राज्य विद्युत ग्रिड कोड) विनियमन, 2007 की कठिनाइयों को दूर करने के अंतर्गत राज्य उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रतिक्रियाशील मुआवजा शुल्क के भुगतान के संबंध में उचित आदेश के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में
10	27.12.2023	ओए-449/22-23	वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बड़जोरा (उत्तर) कोयला खदान से आपूर्ति किए गए कोयले के इनपुट मूल्य के अनुमोदन हेतु याचिका के संबंध में
11	26.12.2023	ओए-448/22-23	कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन में 210 मेगावाट की इकाई सं. 3,4,5 और 6 के संबंध में ड्राई सोरबेंट इंजेक्शन (डीएसआई) पद्धति का उपयोग करते हुए पूंजीगत व्यय नियंत्रण प्रणाली के निवेश अनुमोदन के लिए पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की नियम व शर्तें) विनियम, 2011 के खंड 2.8.4.1, समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसार पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में
12	26.12.2023	ओए-447/22-23	पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 तक पछवाड़ा (उत्तर) कोयला खदान से आपूर्ति किए गए कोयले के इनपुट मूल्य के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत याचिका के संबंध में

13	26.12.2023	ओए-418/22-23	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र) विनियम, 2021 के कुछ पहलुओं के संबंध में छूट की मांग करते हुए मेसर्स इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में सुनवाई के मामले में
14	11.12.2023	ओए-364/20-21	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) को बिजली बेचने की प्रक्रिया में हुए ऑटो ट्रांसफार्मर नुकसान की वसूली के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु याचिका के मामले में
15	11.12.2023	ओए-415/22-23	संतालडीह थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 5 (1•250 मेगावॉट) के लिए अंतिम परियोजना लागत के अनुमोदन हेतु याचिका के संबंध में
16	09.11.2023	ओए-454/23-24	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा प्रासंगिक वर्षों की कुल राजस्व अपेक्षा में बिल डिस्काउंटिंग द्वारा अस्थायी समायोजन के माध्यम से राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी लिमिटेड) के जून, 2022 से अगस्त, 2022 महीने के बकाया राशि के परिसमापन के कारण ब्याज और संबद्ध वित्तपोषण शुल्क की अनुमति देने के लिए प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।
17	17.10.2023	ओए-424/22-23	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता सेवाओं से संबंधित लाइसेंसधारियों के प्रदर्शन के मानक) विनियम, 2010 के विनियम 13.13 और 3.1.4 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन सुविधा के साथ डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा इच्छुक 11 केवी उपभोक्ताओं को नए सेवा कनेक्शन /भार विस्तार को प्रभावी करने के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल की प्रक्रिया–डी का अनुमोदन।
18	17.10.2023	ओए-462/23-24	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(एफ) और 86(1)(बी) के साथ पठित डब्ल्यूबीईआरसी (कारोबार का संचालन) विनियम, 2013 के विनियम 3.10 और डब्ल्यूबीईआरसी (लाइसेंसिंग और लाइसेंस की शर्तें) विनियम, 2013 के विनियम 5.15.2 के अंतर्गत आयोग के तत्काल हस्तक्षेप की मांग हेतु याचिका
19	06.10.2023	ओए-444/22-23	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा प्रस्तुत याचिका के संबंध में, जिसमें सभी ग्यारह पनबिजली परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक व्यय की वसूली के लिए उचित निर्देश मांगे गए हैं, पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की शर्तें और नियम) विनियम, 2011 के विनियम 2.11.1 और 5.21.1, समय–समय पर यथा संशोधित के अनुसार, जांच के बाद आरंभ किए जाने से पूर्व/बाद में छोड़ दिया गया है।

20	05.10.2023	ओए-384/21-22	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2011, यथा संशोधित, के अनुसूची–2 के विनियम 2.8.2.3 और पैराग्राफ 4.1 (अप) के अनुसार विभिन्न ट्रांसमिशन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित लागत 33383.16 लाख रुपये के पूंजीगत व्यय को वहन करने के अनुमोदन के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईटीसीएल) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।
21	03.10.2023	बी117/1	हल्दिया एनर्जी लिमिटेड के लिए आयोग द्वारा जारी विभिन्न वार्षिक निष्पादन समीक्षा और ईंधन लागत समायोजन आदेशों की वसूली योग्यध्वापसी योग्य राशि का समायोजन
22	22.09.2023	ओए-266/17-18	मेसर्स बीएसके एग्रो फार्म द्वारा 11.01.2018 को दायर आवेदन के संबंध में सुनवाई आदेश और 2018 के डब्ल्यूपीए 8156 में कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश दिनांक 30.08.2023
23	11.09.2023	ओए-453/23-24	इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में, जिसमें आईपीसीएल द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 के लिए अक्षय खरीद दायित्व (आरपीओ) लक्ष्य से अधिक अक्षय ऊर्जा खरीदे जाने के संबंध में माननीय पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (डब्ल्यूबीईआरसी) से प्रमाणीकरण की मांग की गई है, ताकि राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (केंद्रीय एजेंसी) द्वारा वितरण लाइसेंसधारी के रूप में आईपीसीएल को अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) प्रदान किया जा सके और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2022 के विनियम 10 (3) का अनुपालन किया जा सके।
24	05.09.2023	ओए-430/22-23	पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) द्वारा वित्त वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 और 2017–18 के लिए 31.03.2014 को आरओई के पुनर्निर्धारण के कारण और दिनांक 01.08.2022 के आदेश के अध्याय–5 के पैरा 5.5 में दिए गए निर्देश के अनुसार इक्विटी पर रिटर्न में सुधार के लिए प्रस्तुत आवेदन के संबंध में,
25	04.09.2023	ओए-341/20-21	फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड [पीसीबीएल (याचिकाकर्ता), और पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड [डब्ल्यूबीएसईडीसीएल (प्रतिवादी सं. 1)] बनाम पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड [डब्ल्यूबीएसईटीसीएल (प्रतिवादी सं. 2)] के बीच विवादों के न्यायनिर्णयन और पूर्ववर्ती दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (डीपीएल) के अनबंडलिंग के अनुसरण में निर्देश के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (एफ) के साथ पठित धारा 86 (1) (ए) के अंतर्गत आवेदन के मामले में।

26	31.08.2023	ओए-456/23-24	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2011 के नियम 1.2.1 के खंड (आईएक्सए), समय–समय पर यथा संशोधित के अनुसार,, बिजली स्टेशनों के उतराई बिंदु पर कोयला नमूने के माप के लिए तीसरे पक्ष के नमूना एजेंसियों की नियुक्ति में कठिनाइयों को दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।
27	22.08.2023	मामला सं. ओए–439/22–23 में आयोग के दिनांक 04.08.2023 के आदेश का शुद्धिपत्र	मामला सं. ओए–439/22–23 में आयोग के दिनांक 04.08.2023 के आदेश का शुद्धिपत्र
28	17.08.2023	ओए-446/22-23	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2011, यथा संशोधित, के अनुसूची–2 के विनियम 2.8.2.3 और पैराग्राफ 4.1 (अप) के अनुसार विभिन्न ट्रांसमिशन योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित लागत 17623.61 लाख रुपये के पूंजीगत व्यय को वहन करने के अनुमोदन हेतु पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईटीसीएल) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।
29	09.08.2023	ओए-394/21-22	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा ''गंभीर चक्रवाती तूफान ''अम्फान'' के कारण पुनर्स्थापना कार्य'' योजना के अंतर्गत पुनर्स्थापना गतिविधियों को शुरू करने के लिए किए गए पूंजीगत व्यय के लिए निवेश अनुमोदन और उपयोग की गई निधि के आधार पर अतिरिक्त कार्यशील पूंजी ब्याज की मंजूरी के लिए प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।
30	08.08.2023	ओए-418/22-23	डब्ल्यूबीईआरसी (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2021 के विनियम 5.13 के अंतर्गत याचिका के मामले में जिसमें डीएसएम विनियमों के विनियम 3.3 (विनियमन 3.3.9, 3.3.11 और 3.3.12 को छोड़कर) के अनुसार अतिरिक्त विचलन शुल्क के लिए वॉल्यूम सीमा, हस्ताक्षर में परिवर्तन के उल्लंघन और अंडर–ड्रावल सीमा के लिए अतिरिक्त विचलन शुल्क में छूट की मांग की गई है।
31	04.08.2023	ओए-429/22-23	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा समय–समय पर संशोधित पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2011 के विनियम 8.10 के साथ पठित विनियम 2.8.6.1 के अनुसार राज्य के सौर पीवी उत्पादन स्टेशनों के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए प्रस्तुत आवेदन के संबंध में

32	04.08.2023	ओए-435/22/23	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2011, यथा संशोधित, के नियम 2.11.1 के अनुसार, पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के गोलतोर में 125 मेगावाट (एसी) सौर पीवी पावर प्लांट की स्थापना और चालू करने के लिए निवेश के संबंध में सैद्धांतिक मंजूरी के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।
33	04.08.2023	ओए-439/22-23	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2011, यथा संशोधित, के विनियम 2.8.2.3 के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए मध्यम और निम्न वोल्टेज उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने के लिए 11 केवी बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु निवेश अनुमोदन के लिए दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।
34	04.08.2023	ओए-455/23-24	इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) द्वारा प्रस्तुत विविध आवेदन के संबंध में, जिसमें पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग से वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बिजली की खरीद के लिए रखी जाने वाली सुरक्षा जमा के संबंध में डब्ल्यूबीईआरसी (विविध प्रावधान) विनियम, 2013 के विनियम 4 की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
35	01.08.2023	ओए-443/22-23	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2011, यथा संशोधित, के अनुसूची–2 के विनियम 2.8.2.3 और पैराग्राफ 4.1 (vi) के अनुसार नई ट्रांसमिशन योजना के कार्यान्वयन के लिए 8699.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत का पूंजीगत व्यय करने के अनुमोदन के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।
36	25.07.2023	ओए-409/21-22	डब्ल्यूबीईआरसी (ओपन एक्सेस) विनियम, 2007 के अनुसार अल्पावधि ओपन एक्सेस के लिए राज्य लोड डिस्पैच सेंटर, पश्चिम बंगाल द्वारा स्थायी मंजूरी/अनापत्ति जारी न करने के संबंध में मेसर्स स्टार सीमेंट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में सुनवाई आदेश
37	21.07.2023	डब्ल्यूबीईआरसी/ओए-421/22-23	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2011, यथा संशोधित, के विनियमन 2.8.2.3 के अनुसार वितरण प्रणाली (एसडीएस) को सुदृढ़ बनाने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा प्रस्तुत याचिका के संबंध में।

38	10.07.2023	ओए.452ध्23.24	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2021 के विनियम 5.6 के अंतर्गत कठिनाई खंड को हटाने के अंतर्गत विचलन निपटान शुल्क में एकरूपता रखने के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2022 के अनुरूप उचित आदेश के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में
39	10.07.2023	ओए-367/21-22	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा डब्ल्यूबीएसईडीसीएल प्रक्रिया सी (2021) के फॉर्म एस2 की संशोधित अनुसूची (i) के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत आवेदन के संबंध में
40	30.06.2023	ओए-451/23-24	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.12.2021 के अनुसार राख के उपयोग और परिवहन पर लागत के 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में
41	22.06.2023	ओए-442/22-23	यह पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) के लिए 'संचालन और रखरखाव व्यय' और 'अन्य व्यय' में वृद्धि के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत एक आवेदन है, जो वर्ष 2022–23 के टैरिफ आदेश में व्यय की स्वीकृत राशि के अतिरिक्त है।
42	19.06.2023	ओए-271/17-18	केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) द्वारा पश्चिम बंगाल पर लगाए गए ट्रांसमिशन विचलन शुल्क को पश्चिम बंगाल राज्य में सभी अंतर–राज्यीय उपयोगिताओं के बीच साझा करने का आदेश
43	29.05.2023	ओए-370/21-22	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2013 के विनियम 3.12 के साथ पठित विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के नियम 5(1) के अनुसार याचिकाकर्ता के आपूर्ति क्षेत्र के लिए स्मार्ट मीटरिंग की योजना के अनुमोदन के लिए आवेदन के संबंध में
44	19.05.2023	ओए-409/21-22	डब्ल्यूबीईआरसी ओपन एक्सेस रेगुलेशन, 2007 के अनुसार शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस के लिए स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, पश्चिम बंगाल द्वारा स्थायी मंजूरी/अनापत्ति जारी न करने के संबंध में मेसर्स स्टार सीमेंट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत याचिका

			के विरुद्ध केस सं. ओए–409/21–22 में जारी आयोग के दिनांक 30.05.2022 के आदेश पर आगे का आदेश
45	03.05.2023	ओए-441/22-23	पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधनों के अनुपालन में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के संबंध में हल्दिया एनर्जी लिमिटेड (एचईएल) द्वारा पूंजीगत व्यय एवं हल्दिया में 2 ग 300 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रस्तुत आवेदन के संबंध में,
46	24.04.2023	ओए-428/22-23	माननीय पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 03.02.2022 के अपने आदेश में मामला सं. एफपीपीसीए–80/16–17 और एपीआर–55/16–17 में परिकल्पित छूट के संदर्भ में, पुरुलिया पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट (पीपीएसपी) की यूनिट 2 और 4 के ब्रेकडाउन रखरखाव के कारण (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा किए गए व्यय और (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा ताइसी कॉर्पोरेशन को किए गए विलंबित भुगतान के संबंध में अतिरिक्त दस्तावेज/विवरण रिकॉर्ड पर लाने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा दायर हलफनामा।
पीपीए			
1	22.03.2024	पीपीए–42/10–11/अंक ।।	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की निबंधन व शर्तें), विनियम, 2011 के नियम 7.4 के अनुसार, पीटीसी के माध्यम से आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (एपीएनआरएल) के थर्मल पावर प्लांट से 100 मेगावाट बिजली की खरीद हेतु पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पीटीसी) के बीच दिनांक 05.01.2011 को निष्पादित बिजली बिक्री समझौते में संशोधन समझौता सं. 1 दिनांक 29.02.2024 के अनुमोदन के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।
2	20.03.2024	पीपीए–88/18–19/अंक ष	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा एचएमईएल के थर्मल पावर प्लांट से 300 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल और हिरण्मय एनर्जी लिमिटेड (एचएमईएल) के बीच दिनांक 28.12.2010 को निष्पादित बिजली खरीद समझौते में दिनांक 04.03.2024 के दूसरे संशोधन समझौते के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत आवेदन के संबंध में
3	14.03.2024	पीपीए–127/23–24	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा समय–समय पर संशोधित पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की शर्तें व

			नियम) विनियम, 2011 के विनियम 7.4.1 के अनुसार, आरआईएल के सह–उत्पादन संयंत्र से डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा अधिशेष बिजली की खरीद के लिए रामसरूप इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और पश्चिम बंगाल विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) के बीच 18.12.2023 को निष्पादित विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत आवेदन के संबंध में
4	07.03.2024	पीपीए–99 / 19–20 / अंक प	इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) के वितरण खंड और आईपीसीएल की एम्बेडेड जनरेशन यूनिट जिसे डिशेरगढ़ टीपीएस के नाम से जाना जाता है, के बीच दिनांक 05.02.2024 को किए गए दूसरे पूरक विद्युत खरीद समझौते के अनुमोदन हेतु इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में
5	03.01.2024	पीपीए–126 / 23–24	भारतीय रेलवे द्वारा पूर्वी रेलवे के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा बिजली की खरीद के लिए याचिकाकर्ता और मेसर्स इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच निष्पादित बिजली खरीद करार जिसमें मेसर्स इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को वितरण लाइसेंसधारी से वितरण लाइसेंस माना जाए, के अनुमोदन के लिए पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2013 के विनियम 2.4 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) और धारा 86(1)(के) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के संबंध में
6	31.08.2023	पीपीए–125 / 23–24	सीईएससी लिमिटेड द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63, खण्ड 86(1) (बी), खण्ड 86(1) (ई) और अन्य लागू प्रावधानों और पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग के लागू नियमों के संदर्भ में, सीईएससी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से खोजे गए टैरिफ पर 150 मेगावाट पवन–सौर हाइब्रिड पावर की खरीद के लिए एएमपी एनर्जी ग्रीन सेवेंटीन प्राइवेट लिमिटेड और सीईएससी लिमिटेड के बीच 28.06.2023 को निष्पादित बिजली खरीद करार के टैरिफ को अपनाने और अनुमोदन के लिए सीईएससी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।
7	05.07.2023	पीपीए–121 / 22–23	मेसर्स अलकनंदा बालमुकुंद इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (एबीआईपीएल) और पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) के बीच 5 वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित दिनांक 12.12.2022 के विद्युत क्रय समझौते के अनुमोदन के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में
8	22.06.2023	पीए–111 / 21–22	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2011 के विनियम 7.4 और उसके

			संशोधनों के अनुसार डीवीसी के मेजिया थर्मल पावर स्टेशन (एमटीपीएस) में चालू किए जाने वाले 241.20 किलोवाट क्षमता के सौर फोटो वोल्टेइक पावर प्लांट से डीवीसी द्वारा बिजली खरीदने के लिए दामोदर घाटी निगम और ज्योतिकिरण एनर्जी मुंबई प्राइवेट लिमिटेड (जेईएमपीएल) के बीच निष्पादित बिजली खरीद करार के अनुमोदन हेतु दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।
9	22 06 2023	पीपीए–110 / 21–22	दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की शर्तें और नियम) विनियम, 2011 के नियम 7.4 के अनुसार, डीवीसी द्वारा मेजिया थर्मल पावर स्टेशन में चालू किए जाने वाले सौर फोटो वोल्टेइक पावर प्लांट से 794.96 केडब्ल्यूपी (परियोजना 1: 499.49 केडब्ल्यूपी और परियोजना 2: 295.47 केडब्ल्यूपी) की बिजली की खरीद के लिए डीवीसी और ज्योतिकिरण एनर्जी मुंबई प्राइवेट लिमिटेड (जेईएमपीएल) के बीच 08.12.2020 को निष्पादित बिजली खरीद करार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।
10	22.06.2023	पीपीए–112 / 21–22	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2011, यथा संशोधित, के विनियम 7.4 के अनुसार डीवीसी द्वारा दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन में चालू किए जाने वाले सौर फोटो वोल्टेइक पावर प्लांट से 180.56 किलोवाट बिजली की खरीद के लिए डीवीसी और ज्योतिकिरण एनर्जी मुंबई प्राइवेट लिमिटेड (जेईएमपीएल) के बीच निष्पादित बिजली खरीद करार के अनुमोदन हेतु दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।
11	22.06.2023	पीपीए–109 / 21–22	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2011, यथा संशोधित, के नियम 7.4 के अनुसार डीवीसी द्वारा दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन में चालू किए जाने वाले सौर फोटो वोल्टेइक पावर प्लांट से 247.90 किलोवाट बिजली की खरीद के लिए डीवीसी और ज्योतिकिरण एनर्जी मुंबई प्राइवेट लिमिटेड (जेईएमपीएल) के बीच 03.07.2020 को निष्पादित बिजली खरीद समझौते के अनुमोदन के लिए दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।
12	21.06.2023	पीपीए–108 / 21–22	दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की शर्तें और नियम) विनियम, 2011 के नियम 7.4 के अनुसार, डीवीसी द्वारा रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन में चालू किए जाने वाले सौर फोटो वोल्टेइक पावर प्लांट से 951.40 kWp (परियोजना 1: 489.1 kWp और परियोजना 2: 462.3 केडब्ल्यूपी) की

			बिजली की खरीद के लिए डीवीसी और ज्योतिकिरण एनर्जी मुंबई प्राइवेट लिमिटेड (जेईएमपीएल) के बीच 03.07.2020 को निष्पादित बिजली खरीद करार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।
13	12.06.2023	पीपीए–123 / 22–23	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन और उत्पादन) विनियम, 2013, यथा संशोधित, के विनियम 3.4 के खंड (पअ) के अनुसार, आंध्र प्रदेश के कादरी में एनएचपीसी सौर पीवी स्टेशन से 100 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल और एनएचपीसी के बीच 23.11.2022 को निष्पादित विद्युत उपयोग करार के अनुमोदन हेतु पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।
14	12.06.2023	पीपीए–74 / 14–15 (अंक ।।।)	मेसर्स बंगाल एनर्जी लिमिटेड (बीईएल) और पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) के बीच एक वर्ष की अवधि (16.03.2024 तक) के लिए निष्पादित दिनांक 11.12.2010 के बिजली खरीद करार के तीसरे अनुपूरक करार के अनुमोदन हेतु पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में
15	08.06.2023	पीपीए–120 / 22–23	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) द्वारा पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की शर्तें और नियम) विनियम, 2011 के नियम 7.4.1, यथा संशोधित के अनुसार हिमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल लिमिटेड (पूर्व में हिमाद्री केमिकल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) (एचएससीएल) और डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के बीच 16.02.2026 तक निष्पादित दिनांक 26.05.2010 (प्रमुख करार) के लिए तीसरे पूरक करार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।
16	15.05.2023	पीपीए–124 / 22–23	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की शर्तें व नियम) विनियम, 2011 के विनियम 7.4.1 और पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन और उत्पादन) विनियम, 2013 के विनियम 3.4 के अनुसार 100 मेगावाट की पवन–सौर हाइब्रिड विद्युत की खरीद के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) और सीईएससी लिमिटेड के बीच 11.01.2023 को निष्पादित बिजली खरीद करार के अनुमोदन हेतु सीईएससी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।

टीपी				
1	13.03.2024	टीपी–104 / 22–23	वर्ष 2023–2024 से 2025–2026 तक पश्चिम बंगाल राज्य के क्षेत्र में आने वाले दामोदर घाटी क्षेत्र के हिस्से के लिए बिजली के वितरण और खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।	2023-2024, 2024-2025
2	13.03.2024	टीपी–94 / 20–21	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) और धारा 62(3) के साथ पठित धारा 64(3)(ए) के अंतर्गत सातवें नियंत्रण काल को कवर करते हुए वर्ष 2020–21, 2021–22 और 2022–23 के लिए इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के टैरिफ आवेदन के संबंध में	2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
3	12.03.2024	टीपी–107 / 23–24	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) के साथ पठित धारा 64(3)(ए) के अंतर्गत वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 के लिए हिरण्मय एनर्जी लिमिटेड के आठवें नियंत्रण अवधि के अंतर्गत बहुवर्षीय टैरिफ आवेदन के संबंध में	2023-2024, 2024-2025
4	11.03.2024	टीपी–106 / 22–23	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 हेतु आठवें नियंत्रण काल के अंतर्गत टैरिफ निर्धारण हेतु प्रस्तुत आवेदन के संबंध में	2023-2024, 2024-2025
5	07.03.2024	टीपी–88 / 19–20	वर्ष 2020–2021, 2021–2022 और 2022–2023 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के क्षेत्र में आने वाले दामोदर घाटी क्षेत्र के हिस्से के लिए बिजली के वितरण और खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।	2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
6	07.03.2024	टीपी–99 / 22–23	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड द्वारा संशोधित पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2011 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2023–24, 2024–25 और 2025–26 के लिए 8वें नियंत्रण अवधि के अंतर्गत टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रस्तुत याचिका के संबंध में।	2023-2024, 2024-2025
7	06.03.2024	टीपी–98 / 22–23	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) और धारा 62(3) के साथ पठित धारा 64(3)(ए) के अंतर्गत वर्ष 2023–2024, 2024–2025 और 2025–2026 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के टैरिफ आवेदन के संबंध में।	2024-2025
8	06.03.2024	टीपी–101 / 22–23	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) के साथ पठित धारा 64(3)(ए) के अंतर्गत वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 के लिए हल्दिया एनर्जी लिमिटेड की आठवीं नियंत्रण अवधि के अंतर्गत बहुवर्षीय टैरिफ आवेदन के संबंध में।	2023-2024, 2024-2025

9	23.02.2024	टीपी–93 / 20–21	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) एवं 62(3) के साथ पठित धारा 64(3)(ए) के अंतर्गत वर्ष 2022–23 के लिए दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की सातवीं नियंत्रण अवधि के अंतर्गत बहुवर्षीय टैरिफ आवेदन के संबंध में।	2022-2023
10	10.01.2024	टीपी–103 / 22–23	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) के अंतर्गत वर्ष 2023–24, 2024–25 और 2025–26 के लिए पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आठवीं नियंत्रण अवधि के अंतर्गत बहुवर्षीय टैरिफ आवेदन के संबंध में।	2023-2024, 2024-2025
11	11.12.2023	टीपी–96 / 20–21	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) और धारा 62(3) के साथ पठित धारा 64(3)(ए) के अंतर्गत वर्ष 2022–2023 के लिए सीईएससी लिमिटेड के टैरिफ आवेदन के संबंध में।	2022-2023
		एपीआर		
1	07.03.2024	एफपीपीसीए–105 / 21–22 एवं एपीआर–98 / 22–23	वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ईंधन एवं बिजली खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) एवं वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर) हेतु इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आवेदनों के संबंध में।	2017-2018
2	06.03.2024	एफपीपीसीए–100 / 21–22 एवं एपीआर–88 / 21–22	वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ईंधन एवं विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) तथा वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर) हेतु इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आवेदनों के संबंध में।	2016-2017
3	28.02.2024	एफपीपीसीए–88 / 17–18 एवं एपीआर–96 / 21–22	वित्त वर्ष 2016–17 के लिए ईंधन लागत समायोजन (एफसीए) और वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर) के अनुमोदन के लिए हल्दिया एनर्जी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के संबंध में।	2016-2017
4	22.02.2024	एफपीपीसीए–106 / 21–22 एवं एपीआर–94 / 21–22	वित्त वर्ष 2015–16 के लिए ईंधन लागत समायोजन (एफसीए) और वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर) के अनुमोदन के लिए हल्दिया एनर्जी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के संबंध में।	2015-2016
5	11.01.2024	एपीआर–108 / 22–23	दामोदर घाटी निगम द्वारा दामोदर घाटी के उस हिस्से में जो पश्चिम बंगाल राज्य के क्षेत्र में आता है, बिजली के वितरण और खुदरा आपूर्ति के संबंध में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन के संबंध में।	2019-2020

6	03.01.2024	एपीआर–105 / 21–22	डब्ल्यूबीईआरसी (शुल्क की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2011 के विनियम 2.6 यथा सं"ोधित, के अंतर्गत वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर) के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड के आवेदन के संबंध में।	2021-2022
7	11.12.2023	एपीआर–107 / 22–23	दामोदर घाटी निगम द्वारा दामोदर घाटी के उस हिस्से में जो पश्चिम बंगाल राज्य के क्षेत्र में आता है, बिजली के वितरण और खुदरा आपूर्ति के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन के संबंध में।	2018-2019
8	11.12.2023	एपीआर–87 / 21–22	डब्ल्यूबीईआरसी (शुल्क की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2011 के विनियम 2.6 यथा सं"ोधित, के अंतर्गत वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर) के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड के आवेदन के संबंध में।	2020-2021
9	04.10.2023	एपीआर–82 / 20–21	हल्दिया एनर्जी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए 400 केवी डबल सर्किट समर्पित ट्रांसमिशन लाइन की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर) हेतु आवेदन के संबंध में।	2019-2020
10	04.10.2023	एपीआर–79 / 19–20	हल्दिया एनर्जी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए 400 केवी डबल सर्किट समर्पित ट्रांसमिशन लाइन की वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर) हेतु आवेदन के संबंध में।	2018-2019
11	22.09.2023	एफपीपीसीए–95 / 19–20 एवं एपीआर–80 / 19–20	सीईएससी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर) हेतु आवेदन के संबंध में।	2018-2019
12	22.09.2023	एफपीपीसीए–81 / 16–17 एवं एपीआर–95 / 21–22	हल्दिया एनर्जी लिमिटेड (एचईएल) के वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ईंधन लागत समायोजन (एफसीए) और वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर) हेतु आवेदन के संबंध में	2014-2015
13	19.09.2023	एपीआर–91 / 21–22 / भाग–ए	वित्त वर्ष 2018–19 से वित्त वर्ष 2020–21 के लिए बरजोरा कोयला खदान से आपूर्ति किए गए कोयले के इनपुट मूल्य के अनुमोदन हेतु याचिका के संबंध में।	2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
14	18.09.2023	एपीआर–106 / 22–23	दामोदर घाटी निगम द्वारा दामोदर घाटी के उस हिस्से में जो पश्चिम बंगाल राज्य के क्षेत्र में आता है, बिजली के वितरण और खुदरा आपूर्ति के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन के संबंध में।	2017-2018
15	17.08.2023	एफपीपीसीए–91 / 18–19 एवं एपीआर–71 / 18–19	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ईंधन एवं विद्युत हेतु क्रय लागत समायोजन एवं वार्षिक निष्पादन समीक्षा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में।	2017-2018

16	10.07.2023	एफपीपीसीए–84 / 16–17 एवं एपीआर–67 / 17–18	इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए ईंधन एवं विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) तथा वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर) हेतु आवेदन के संबंध में।	2015-2016
17	05.07.2023	एपीआर–77 / 19–20	हल्दिया एनर्जी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए 400 केवी डबल सर्किट समर्पित ट्रांसमिशन लाइन की वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर) हेतु आवेदन के संबंध में।	2017-2018
18	08.06.2023	एपीआर–54 / 15–16, एपीआर–61 / 16–17 और एपीआर–68 / 18–19	दामोदर घाटी निगम द्वारा दामोदर घाटी के उस हिस्से में जो पश्चिम बंगाल राज्य के क्षेत्र में आता है, बिजली के वितरण और खुदरा आपूर्ति के संबंध में वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन के संबंध में।	2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
19	26 04 2023	एफपीपीसीए–116 / 22–23 एवं एपीआर–110 / 22–23	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर) हेतु आवेदन के संबंध में	2021-2022
समीक्षा आदेश				
1	29.11.2023	टीपी (आर)–29 / 19–20	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2014–2015, 2015–2016 और 2016– 2017 के लिए दिनांक 04.03.2015 के टैरिफ आदेश की समीक्षा के लिए प्रस्तुत याचिका के संबंध में मामला संख्या टीपी–60 / 13–14	2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
2	22.08.2023	टीपी (आर)–35 / 21–22	मामला संख्या टीपी–93 / 20–21 दिनांक 16.07.2021 में वर्ष 2020–2021 और 2021– 2022 के लिए दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के टैरिफ आदेश की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियमों के विनियमन 3.3 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(एफ) के अंतर्गत याचिका के संबंध में,	2020-2021, 2021-2022
3	22.08.2023	टीपी (आर)–31 / 20–21	मामला संख्या टीपी–87 / 19–20 (भाग–ii) दिनांक 13. 11.2020 वर्ष 2018–2019 (01.01.2019 से 31.03.2019 तक) और 2019–20 के लिए दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के टैरिफ आदेश की समीक्षा हेतु पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियमों के विनियमन 3.3 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(एफ) के अंतर्गत याचिका के संबंध में,	2018-2019, 2019-2020
4	03.05.2023	टीपी (आर)–38 / 21–22	हिरण्मये एनर्जी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2020–2021 से 2022–2023 के लिए आयोग द्वारा मामला संख्या टीपी–97 / 20–21 में जारी एमवाईटी आदेश दिनांक 25.08.2021 की समीक्षा के लिए प्रस्तुत याचिका के संबंध में	2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

5	06.04.2023	एपीआर (आर)–13/21–22	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा मामला संख्या एफपीपीसीएं–70/14–15 और एपीआर–46/14–15 में दिनांक 14.07.2021 के आदेश के विरुद्ध आयोग के कारबार का संचालन विनियमन, 2013 के विनियम 3.10,3.11 और 3.12 के साथ पठित विनियमन 3.3 के अंतर्गत दायर समीक्षा याचिका के संबंध में	2013-2014

स्वतः संज्ञान			
1	30.10.2023	एसएम–37/23–24	आयोग द्वारा निर्दिष्ट किसी भी आरपीओ लक्ष्य की अनुपस्थिति में वर्ष 2023–24 के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) को पूरा करने में वितरण लाइसेंसधारियों के सामने आने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए स्वतः संज्ञान आदेश
2	27.09.2023	एसएम–36/23–24	01.10.2023 से पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (ओपन एक्सेस) विनियम, 2022 के विभिन्न खंडों के कार्यान्वयन में राज्य लोड डिस्पैच सेंटर के सामने आने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए स्वतः संज्ञान आदेश
3	14.07.2023	एसएम–35/23–24	राज्य सरकार द्वारा ज्ञापन सं. 72–एस(पी)/2023 दिनांक 4 जुलाई, 2023 के अंतर्गत दिए गए स्पष्टीकरण के बाद 0.3 किलोवाट तक अनुबंध मांग और 25 यूनिट तक मासिक खपत (मासिक बिलिंग प्रणाली के लिए) या 75 यूनिट तक त्रैमासिक खपत (त्रैमासिक बिलिंग प्रणाली के लिए) वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी के संबंध में आयोग का स्वतः संज्ञान आदेश
4	12.06.2023	एसएम–34/23–24	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 26.12.2022, 06.02.2023 एवं 09.04.2023 को जारी आदेश के आलोक में राज्य स्तरीय विचलन निपटान तंत्र के लेखाकरण के संबंध में स्वतः संज्ञान कार्यवाही
5	04.05.2023	एसएम–33/23–24	विद्युत शुल्क का भुगतान न करने से उत्पन्न होने वाले विलंबित भुगतान अधिभार की दर के संबंध में आयोग के स्वतः संज्ञान आदेश के संबंध में

अनुबंध- II

सीईआरसी निर्धारित उत्पादन टैरिफ

क. थर्मल और गैस पावर स्टेशनों का निश्चित प्रभार और ऊर्जा प्रभार

एनटीपीसी उत्पादन स्टेशन					
क्र. सं.	स्टेशन का नाम	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार स्थापित क्षमता (मेगावाट)	मानक निर्धारित प्रभार (रु./किलोवाट)/ 85 प्रतिशत एसजी की दर से	ईसीआर (रु./किलोवाट घंटा)	कुल टैरिफ (रु./किलोवाट घंटा)
1	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	0.76	1.57	2.33
2	रिहंद एसटीपीएस-I	1000	0.83	1.60	2.43
3	रिहंद एसटीपीएस -II	1000	0.78	1.59	2.37
4	रिहंद एसटीपीएस -III	1000	1.47	1.57	3.05
5	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार–I	420	1.04	4.56	5.60
6	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार -II	420	1.12	3.69	4.80
7	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार -III	210	1.21	4.41	5.62
8	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-IV	500	1.66	4.20	5.86
9	टांडा–I	440	1.26	5.07	6.33
10	टांडा-II	1320	1.47	3.62	5.08
11	एनसीटीपीएस दादरी–I	840	1.00	4.72	5.72
12	एनसीटीपीएस दादरी -II	980	1.23	4.69	5.92
13	कोरबा एसटीपीएस –I और II	2100	0.76	1.46	2.22
14	कोरबा एसटीपीएस -III	500	1.13	1.44	2.56
15	सीपट एसटीपीएस–I	1980	1.26	1.44	2.69
16	सीपट एसटीपीएस -II	1000	0.99	1.48	2.47
17	विंध्याचल एसटीपीएस-I	1260	0.91	1.60	2.52
18	विंध्याचल एसटीपीएस -II	1000	0.79	1.55	2.33
19	विंध्याचल एसटीपीएस -III	1000	0.91	1.53	2.44
20	विंध्याचल एसटीपीएस -IV	1000	1.72	1.51	3.23
21	विंध्याचल एसटीपीएस -V	500	1.73	1.57	3.29
22	लारा	1600	1.67	1.35	3.02
23	सोलापुर	1320	1.72	4.60	6.32
24	मौडा एसटीपीएस–I	1000	1.70	3.47	5.17
25	मौडा एसटीपीएस .II	1320	1.59	3.53	5.12
26	गाडरवारा	1600	2.07	3.61	5.68
27	खरगोन	1320	2.08	3.97	6.04
28	तालचेर एसटीपीएस–I	1000	0.96	1.80	2.76
29	तालचेर एसटीपीएस -II	2000	0.82	1.74	2.56
30	दर्लीपाली I	1600	1.66	1.15	2.81
31	कहलगांव एसटीपीएस–I	840	1.05	3.05	4.10
32	कहलगांव एसटीपीएस–II	1500	0.92	2.92	3.84
33	फरक्का एसटीपीएस–IऔरII	1600	0.90	3.44	4.34

34	फरक्का एसटीपीएस -III	500	1.49	3.19	4.67
35	बाढ़ एसटीपीएस-I	1320	2.25	3.20	5.45
36	बाढ़ एसटीपीएस-II	1320	1.84	3.37	5.21
37	बरौनी-I	220	0.76	4.63	5.40
38	बरौनी-II	500	1.95	2.77	4.72
39	बोंगाईगांव टीपीएस	750	2.40	3.66	6.06
40	रामागुंडम एसटीपीएस-I और II	2100	0.78	3.76	4.54
41	रामागुंडम एसटीपीएस–III	500	0.86	3.71	4.56
42	सम्हाद्रि एसटीपीएस–I	1000	1.01	4.07	5.09
43	सम्हाद्रि एसटीपीएस–II	1000	1.43	4.00	5.43
44	कुडगी	2400	1.66	5.28	6.94
45	तेलंगाना I	1600	1.88	3.93	5.82
46	नबीनगर एसटीपीएस–I	1980	2.17	2.64	4.81
47	मुजफ्फरपुर टीपीएस–II	390	2.53	2.86	5.39
48	उत्तर करणपुरा–I	1320	2.38	1.49	3.87
वर्ष 2022–23 के लिए एनटीपीसी गैस स्टेशनों का टैरिफ					
48	फरीदाबाद	431.59	0.80	16.11	16.92
49	औरैया	663.36	0.78	11.64	12.41
50	दादरी	829.78	0.51	11.13	11.64
51	अंटा	419.33	0.63	12.26	12.89
52	गंधार	657.39	1.04	11.76	12.80
53	कवास	656.20	0.88	11.99	12.86
54	कायमकुलम	359.58	0.38	0.00	0.38
एनटीपीसी–जेवी स्टेशनों का 2022–23 हेतु टैरिफ					
55	एपीसीपीएल, झज्जर	1500	2.07	4.40	6.470
56	एनटीईसीएल, वेल्लूर	1500	1.97	3.81	5.780
57	बीआरबीसीएल, नबीनगर	1000	2.35	2.99	5.344
मैथन पावर लिमिटेड					
58	मैथन पावर लिमिटेड	1050	1.389	2.741	4.13
एनएलसी स्टेशन					
59	टीएस-II स्टेशन 1	630	3.21	0.84	4.05
60	टीएस-II स्टेशन 2	840	3.21	0.87	4.07
61	टीपीएस –I एक्स.	420	2.85	0.99	3.83
62	बीटीपीएस	250	1.15	2.05	3.19
63	टीपीएस –II एक्स.	500	3.04	2.11	5.14
64	एनटीपीएल	1000			
65	एनएनटीपीपी	1000	2.59	1.80	4.39
डीवीसी					
66	एमटीपीएस (1–3)	630	1.06	3.91	4.98
67	एमटीपीएस (4)	210	1.06	3.95	5.02

68	एमटीपीएस (5–6)	500	1.15	3.74	4.90
69	एमटीपीएस (7–8)	1000	1.46	3.46	4.93
70	सीटीपीएस (7–8)	500	1.63	3.22	4.86
71	डीएसटीपीएस (1–2)	1000	1.50	3.44	4.95
72	केटीपीएस (1–2)	1000	1.61	3.02	4.64
73	आरटीपीएस (1–2)	1200	1.58	3.43	5.02
74	बीटीपीएस ए	500	2.05	2.67	4.74
	पीपीसीएल बवाना				
75	पीपीसीएल बवाना टीपीएस	1371.2	1.32	6.190	7.51
	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड, पलटाणा परियोजना				
76	पलटाणा	726.6	1.28	1.02	3.30
	नीपको गैस संयंत्र				
77	एजीबीपी	291.00	1.936	4.781	6.717
78	एजीटीसीसीपी	135.00	1.935	4.40	6.335
79	टीजीबीपी	101.00	2.533	2.342	4.875
	उडुपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड– उडुपी टीपीपी				
80	उडुपी टीपीपी	1200	1.276	5.374	6.650

ख. हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशनों का समग्र टैरिफ

क्र. सं.	पावर स्टेशन	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	इकाइयों/क्षमता की संख्या (मेगावाट)	वार्षिक डीई (एमयू)	समग्र टैरिफ (जम्मू–कश्मीर के लिए जल कर सहित) (रु./किलोवाट घंटा)
	एनएचपीसी				
1	बैरास्यूल	180	(3x60)	779.28	2.65
2	सलाल	690	(6x115)	3082	1.55
3	टनकपुर	94.2	(3x31.4)	452.19	4.94
4	चमेरा–।	540	(3x180)	1664.55	2.28
5	उरी– ।	480	(4x120)	2587.38	1.91
6	चमेरा– ।।	300	(3x100)	1499.89	2.41
7	धौलीगंगा	280	(4x70)	1134.69	2.56
8	दुलहस्ती	390	(3x130)	1906.8	4.66
9	लोकतक	105	(3x35)	448	3.88
10	रंगीत	60	(3x20)	338.61	4.02
11	तीस्ता–V	510	(3x170)	2572.7	1.97
12	उरी II	240	(4x60)	1123.77	4.41
13	निमू बाजगो	45	(3x15)	239.33	9.12
14	चुटक	44	(4x11)	212.93	8.92
15	सेवा-II	120	(3x40)	533.53	4.40
16	चमीरा -III	231	(3x77)	1108.17	4.18
17	पार्बती -III	520	(4x130)	1963.29	2.72
18	टीएलडीपी.III	132	(3x44)	594.07	5.57
19	टीएलडीपी.IV	160	(4x40)	720	4.35

20	किशनगंगा	330	(3x110)	1712.96	4.78
एसजेवीएन					
21	नाथपा झाकरी	1500	(250x6)	6612	2.406
22	रामपुर	412	(68.67x6)	1878.08	4.162
नीपको					
23	रंगानदी	405	(3x135)	1509.69	2.806
24	कोपिली स्टेशन-I	200	(4x50)	1186.14	2.35
25	कोपिली स्टेशन-II	25	(1x25)	86.30	2.86
26	खांडोंग	50	(2x25)	227.61	1.775
27	दोयांग	75	(3x25)	227.24	6.972
28	तुइरिअल	60	(2x30)	250.63	5.098
29	पारे *	110	(2x55)	506.42	5.342
30	कामेंग *	600	(4x150)	3353	4
टीएचडीसी					
31	टिहरी	1000	(4x250)	2797	3.81
32	कोटेश्वर	400	(4x100)	1154.82	5.48
एनएचडीसी					
33	इंदिरा सागर	1000	(8x125)	1442.7	3.71
34	ओंकारेश्वर	520	(8x65)	677.47	4.65
डीवीसी					
35	मैथन	63.20	(2x20,1x23.20)	137	3.12
36	पंचेट	80	(2x40)	237	1.67
37	तिलैया	4	(2x2)	9.97	12.73
आईपीपी					
38	करचामवांगटू	1000	(4x250)	4559.77	2.726
एनटीपीसी					
39	कोलदम	800	(4x200)	3054.79	4.45

ग. नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ	
विवरण	**स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्तीय वर्श 2023–24) (रु./किलोवाट घंटा)**
लघु जल विद्युत परियोजना	
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और लद्दाख। (5 मेगावाट से कम)	5.23
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और लद्दाख। (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	4.76
अन्य राज्य (5 मेगावाट से कम)	5.84
अन्य राज्य (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	5.76

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत (वित्त वर्ष 2023–24)	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2023 – 24)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर लाभ) (यदि लिया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बायोमास विद्युत परियोजनाएं [चावल के भूसे और जूलीफ्लोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना के अलावा जल–शीतित कंडेनसर और ट्रैवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ]					
आन्ध्र प्रदेश	2.70	5.52	8.22	0.11	8.10
हरियाणा	2.75	6.28	9.04	0.11	8.93
महाराष्ट्र	2.77	6.43	9.19	0.11	9.08
पंजाब	2.78	6.57	9.35	0.11	9.24
राजस्थान	2.69	5.49	8.18	0.11	8.07
तमिलनाडु	2.69	5.43	8.12	0.11	8.01
तेलंगाना	2.69	5.52	8.22	0.11	8.10
उत्तर प्रदेश	2.70	5.62	8.32	0.11	8.21
अन्य	2.73	5.90	8.63	0.11	8.52

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत (वित्त वर्ष 2023–24)	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2023 – 24)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर लाभ) (यदि लिया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बायोमास विद्युत परियोजनाएं [चावल के भूसे और जूलीफ्लोरा वृक्षारोपण के अलावा) आधारित परियोजना, एयर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ]					
आन्ध्र प्रदेश	2.84	5.65	8.49	0.12	8.36
हरियाणा	2.90	6.43	9.33	0.12	9.20
महाराष्ट्र	2.91	6.57	9.48	0.12	9.36
पंजाब	2.92	6.72	9.65	0.12	9.52
राजस्थान	2.84	5.61	8.45	0.12	8.32
तमिलनाडु	2.83	5.55	8.39	0.12	8.26
तेलंगाना	2.84	5.65	8.49	0.12	8.36
उत्तर प्रदेश	2.85	5.74	8.59	0.12	8.47
अन्य	2.87	6.04	8.91	0.12	8.79

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत (वित्त वर्ष 2023–24)	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2023 – 24)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर लाभ) (यदि लिया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स [चावल के भूसे और जूलिफ्लोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना, वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ]					
आन्ध्र प्रदेश	2.80	5.52	8.32	0.12	8.20
हरियाणा	2.86	6.28	9.14	0.12	9.02
महाराष्ट्र	2.87	6.43	9.30	0.12	9.17
पंजाब	2.88	6.57	9.45	0.12	9.33
राजस्थान	2.80	5.49	8.28	0.12	8.16
तमिलनाडु	2.79	5.43	8.22	0.12	8.10
तेलंगाना	2.80	5.52	8.32	0.12	8.20
उत्तर प्रदेश	2.81	5.62	8.42	0.12	8.30
अन्य	2.83	5.90	8.73	0.12	8.61

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत (वित्त वर्ष 2023–24)	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2023 – 24)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर लाभ) (यदि लिया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [चावल के भूसे और जूलीफ्लोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना, एयर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ]					
आन्ध्र प्रदेश	2.95	5.65	8.59	0.13	8.46
हरियाणा	3.00	6.43	9.43	0.13	9.30
महाराष्ट्र	3.02	6.57	9.59	0.13	9.46
पंजाब	3.03	6.72	9.75	0.13	9.62
राजस्थान	2.94	5.61	8.55	0.13	8.42
तमिलनाडु	2.94	5.55	8.49	0.13	8.36
तेलंगाना	2.94	5.65	8.59	0.13	8.45
उत्तर प्रदेश	2.95	5.74	8.70	0.13	8.56
अन्य	2.98	6.04	9.02	0.13	8.88

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत (वित्त वर्ष 2023–24)	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2023 – 24)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर लाभ) (यदि लिया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बायोमास विद्युत परियोजनाएं [चावल के भूसे और जूलीफ्लोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना के अलावा, जल–शीतित कंडेनसर और एएफबीसी बॉयलर के साथ]					
आन्ध्र प्रदेश	2.69	5.42	8.11	0.11	8.00
हरियाणा	2.75	6.17	8.92	0.11	8.81
महाराष्ट्र	2.76	6.31	9.07	0.11	8.96
पंजाब	2.77	6.45	9.22	0.11	9.11
राजस्थान	2.69	5.39	8.07	0.11	7.96
तमिलनाडु	2.68	5.33	8.02	0.11	7.90
तेलंगाना	2.69	5.42	8.11	0.11	8.00
उत्तर प्रदेश	2.70	5.52	8.21	0.11	8.10
अन्य	2.72	5.80	8.52	0.11	8.40

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत (वित्त वर्ष 2023–24)	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2023 – 24)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर लाभ) (यदि लिया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बायोमास विद्युत परियोजनाएं [चावल के भूसे और जूलीफ्लोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना के अलावा, एयर कूल्ड कंडेनसर और एएफबीसी बॉयलर के साथ]					
आन्ध्र प्रदेश	2.83	5.54	8.38	0.12	8.25
हरियाणा	2.89	6.31	9.20	0.12	9.08
महाराष्ट्र	2.90	6.45	9.36	0.12	9.24
पंजाब	2.91	6.60	9.52	0.12	9.39
राजस्थान	2.83	5.51	8.34	0.12	8.22
तमिलनाडु	2.83	5.45	8.28	0.12	8.16
तेलंगाना	2.83	5.54	8.38	0.12	8.25
उत्तर प्रदेश	2.84	5.64	8.48	0.12	8.36
अन्य	2.86	5.93	8.79	0.12	8.67

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत (वित्त वर्ष 2023–24)	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2023 – 24)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर लाभ) (यदि लिया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [चावल के भूसे और जूलीफ्लोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना, वाटर कूल्ड कंडेनसर और एएफबीसी बॉयलर के साथ]					
आन्ध्र प्रदेश	2.79	5.42	8.21	0.12	8.09
हरियाणा	2.85	6.17	9.02	0.12	8.90
महाराष्ट्र	2.86	6.31	9.17	0.12	9.05
पंजाब	2.87	6.45	9.33	0.12	9.20
राजस्थान	2.79	5.39	8.18	0.12	8.05
तमिलनाडु	2.79	5.33	8.12	0.12	8.00
तेलंगाना	2.79	5.42	8.21	0.12	8.09
उत्तर प्रदेश	2.79	5.52	8.32	0.12	8.19
अन्य	2.82	5.80	8.62	0.12	8.50

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत (वित्त वर्ष 2023–24)	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2023 – 24)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर लाभ) (यदि लिया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [चावल के भूसे और जूलीफ्लोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना, एयर कूल्ड कंडेनसर और एएफबीसी बॉयलर के साथ]					
आन्ध्र प्रदेश	2.94	5.54	8.48	0.13	8.35
हरियाणा	3.00	6.31	9.31	0.13	9.18
महाराष्ट्र	3.01	6.45	9.46	0.13	9.33
पंजाब	3.02	6.60	9.62	0.13	9.49
राजस्थान	2.94	5.51	8.45	0.13	8.31
तमिलनाडु	2.93	5.45	8.39	0.13	8.25
तेलंगाना	2.94	5.54	8.48	0.13	8.35
उत्तर प्रदेश	2.95	5.64	8.59	0.13	8.45
अन्य	2.97	5.93	8.90	0.13	8.76

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत (वित्त वर्ष 2023–24)	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2023 – 24)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर लाभ) (यदि लिया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बागस आधारित सह–उत्पादन परियोजना					
आन्ध्र प्रदेश	2.98	3.62	6.60	0.16	6.43
हरियाणा	2.69	5.15	7.84	0.14	7.70
महाराष्ट्र	2.41	5.07	7.49	0.12	7.36
पंजाब	2.64	4.53	7.17	0.14	7.03
तमिलनाडु	2.32	3.90	6.22	0.12	6.10
तेलंगाना	2.57	3.62	6.19	0.14	6.05
उत्तर प्रदेश	3.01	4.04	7.05	0.16	6.88
अन्य	2.63	4.38	7.01	0.14	6.87

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत (वित्त वर्ष 2023–24)	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2023 – 24)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर लाभ) (यदि लिया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बायोमास गैसीफायर विद्युत परियोजना					
आन्ध्र प्रदेश	2.66	5.09	7.75	0.08	7.67
हरियाणा	2.71	5.80	8.51	0.08	8.43
महाराष्ट्र	2.72	5.93	8.65	0.08	8.57
पंजाब	2.73	6.06	8.80	0.08	8.71
राजस्थान	6.65	5.06	7.72	0.08	7.63
तमिलनाडु	2.65	5.01	7.66	0.08	7.58
तेलंगाना	2.66	5.09	7.75	0.08	7.67
उत्तर प्रदेश	2.67	5.18	7.85	0.08	7.76
अन्य	2.69	5.45	8.13	0.08	8.05
बायोगैस आधारित उत्पादन					
बायोगैस	3.40	5.34	8.75	0.16	8.59

अनुबंध – III

राज्य विद्युत विनियामक आयोगों/संयुक्त राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा टैरिफ आदेश जारी करने की समय–सीमा

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम	वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए लागू टैरिफ आदेश			
			विनियमन के अनुसार टैरिफ के अनुमोदन की तिथि	टैरिफ अनुमोदन की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता	टिप्पणी
1	आंध्र प्रदेश	ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ ए.पी. लिमिटेड (एपीईपीडीसीएल) साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ ए.पी. लिमिटेड (एपीएसपीडीसीएल) सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ ए.पी. लिमिटेड (एपीसीपीडीसीएल)	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 120 दिनों के भीतर तथा जनता/अन्य हितधारकों से प्राप्त सभी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात	25 मार्च 2023	1 अप्रैल 2023	शून्य
2	अरुणाचल प्रदेश	विद्युत विभाग, अरुणाचल प्रदेश (विद्युत विभाग, आन्ध्र प्रदेश)	31 मार्च 2023	25 अक्तूबर 2023	31 मार्च 2024	
3	असम	असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल)	31 मार्च 2023	29 मार्च 2023	1 अप्रैल 2023	विस्तृत जानकारी के लिए कृपया एईआरसी की वेबसाइट पर जाएं।
4	बिहार	उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल)	लाइसेंसधारी 15 नवंबर तक टैरिफ आदेश याचिका प्रस्तुत करेगा और आयोग एआरआर और टैरिफ के निर्धारण के लिए पूर्ण आवेदन प्राप्त होने से एक सौ बीस (120) दिनों के भीतर टैरिफ आदेश को अंतिम रूप देगा।	23 मार्च 2023	1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक	टिप्पणी नहीं
		दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल)		23 मार्च 2023	1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक	टिप्पणी नहीं
5	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) बीएसपी–टीईईडी	31 मार्च 2023	14 सितंबर 2023	1 सितंबर 2023	आयोग ने बीएसपी–टीईईडी द्वारा टैरिफ याचिका दायर नहीं करने के कारण स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही आरंभ की और बीएसपी–टीईईडी द्वारा 14 अगस्त 2023 को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के बाद 14 सितंबर 2023 को आदेश जारी किया।

6	दिल्ली	बीआरपीएल बीवाईपीएल टीपीडीडीएल एनडीएमसी	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए टैरिफ आदेश आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है। चूंकि, डिस्कॉम ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के व्यवसाय योजना विनियमन, 2023 को चुनौती देते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है।			
7	गुजरात	गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (जीएसईसीएल) टोरेंट पावर लिमिटेडः उत्पादन गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीईटीसीओ) स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (जीडीवीसीएल) मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (एमजीवीसीएल) पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (पीजीवीसीएल) उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (यूजीवीसीएल) टोरेंट पावर लिमिटेड –वितरण (अहमदाबाद) : टीपीएल–डी (ए) टोरेंट पावर लिमिटेड –वितरण (सूरत) : टीपीएल–डी (एस) टोरेंट पावर लिमिटेड – वितरण (दहेज) एमपीएसईजेड यूटिलिटीज लिमिटेड (एमयूएल) गिफ्ट पावर कंपनी लिमिटेड (गिफ्ट पीसीएल) एस्पेन पार्क इंफ्रा वडोदरा प्राइवेट लिमिटेड (एआईवीपीएल) दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण (डीपीए)	आयोग पूर्ण आवेदन के पंजीकरण की तिथि से 120 दिनों के भीतर तथा जनता से प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद टैरिफ आदेश जारी करेगा।	1 अप्रैल 2023	31–मार्च–23	
8	हरियाणा	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएलएल)	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 120 दिनों के भीतर तथा जनता/अन्य हितधारकों से प्राप्त सभी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात	15 फरवरी 2023	1 अप्रैल 2024	टैरिफ आदेश पर विचार किया गया।
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल)	11 मई, 2023 तक (आवेदन प्राप्ति की तिथि से 120 दिनों के भीतर, सभी प्रकार से पूर्ण)	31–मार्च–24	वित्तीय वर्ष 2023–24	

10	जेईआरसी (गोवा और केंद्र शासित प्रदेश)	विद्युत विभाग, गोवा (ईडीजी)	टैरिफ याचिका के स्वीकार होने की तिथि से 120 दिन बाद यानी 26.12.2022	30 मार्च 2023	01 अप्रैल 2023	संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के आम लोगोंधहितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गईं तथा उन्हें संबंधित डिस्कॉम के टैरिफ आदेशों में शामिल किया गया।
		दादरा और नगर हवेली और दमन और दीन (डीएनएचडीडी) डीएनएचडीडीपीडीसीएल	टैरिफ याचिका की स्वीकृति की तिथि से 120 दिन बाद अर्थात 22.03.2023	01.08.2023	01.08.2023	
		लक्षद्वीप – एलईडी	टैरिफ याचिका के स्वीकार होने की तिथि से 120 दिन बाद यानी 26.12.2022	28.03.2023	01.04.2023	
		अंडमान एवं निकोबार ईडीएवंएन	टैरिफ याचिका स्वीकार होने की तिथि से 120 दिन बाद यानी 27.01.2023	28.03.2023	01.04.2023	
		पुडुचेरी पीईडी	टैरिफ याचिका स्वीकार होने की तिथि से 120 दिन बाद यानी 26.12.2022	30.03.2023	01.04.2023	
		चंडीगढ़– ईडब्ल्यूईडीसी	टैरिफ याचिका स्वीकार होने की तिथि से 120 दिन बाद यानी 06.02.2023	30.03.2023	01.04.2023	
11	जेईआरसी (जेकेएल)	जेपीडीसीएल	1 अप्रैल 2023	24 नवंबर 2023	दिनांक 01.12.2023 से लेकर आयोग द्वारा नए टैरिफ आदेश की घोषणा होने तक	आयोग के बार–बार अनुवर्ती कार्रवाई के पश्चात, जेपीडीसीएल ने दिनांक 17.05.2023 को टैरिफ याचिका प्रस्तुत की, जिसे आयोग ने 06.07.2023 को डेटा अंतराल प्रश्नों के अनुपालन के बाद स्वीकार कर लिया।
		केपीडीसीएल	1 अप्रैल 2023	24 नवंबर 2023	दिनांक 01.12.2023 से लेकर आयोग द्वारा नए टैरिफ आदेश की घोषणा होने तक	आयोग के बार–बार अनुवर्ती कार्रवाई के प''चात, केपीडीसीएल ने 31.05.2023 को टैरिफ याचिका प्रस्तुत की, जिसे आयोग ने 10.07.2023 को डेटा

						अंतराल प्रश्नों के अनुपालन के बाद स्वीकार कर लिया।
		एलपीडीडी	1 अप्रैल 2023	10 अक्टूबर 2023	दिनांक 01.11.2023 से लेकर आयोग द्वारा नए टैरिफ आदेश की घोषणा होने तक	आयोग के बार–बार अनुवर्ती कार्रवाई के पश्चात, एलपीडीडी ने 30.06.2023 को टैरिफ याचिका प्रस्तुत की, जिसे आयोग ने डेटा अंतराल संबंधी प्रश्नों के अनुपालन के बाद 10.07.2023 को स्वीकार कर लिया।
12	झारखंड	झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो दामोदर वेली निगम (डीवीसी) टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (टीएसयूआईएसएल) टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल)	31.03.2023	28.02.2024	01.03.2024	दिनांक 19.02.2021 से 09.06.2022 तक आयोग के काम न करने के कारण याचिकाओं का एक बड़ा बैकलॉग बन गया था। इसके बाद, आयोग ने कार्यभार संभालने के बाद लंबित याचिकाओं का निपटारा किया। अब तक टैरिफ आदेशों से संबंधित सभी याचिकाओं का निपटारा हो चुका है।
13	कर्नाटक	बेसकॉम मेसकॉम सीईएससी जीईएससीओएम हेसकॉम एचआरईसीएस एक्यूयूएस एसईजेड मैंगलोर एसईजेड	संबंधित वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल से पूर्व	28.02.2024	2023-24	आदेश में जारी करने में देरी का कोई उल्लेख नहीं

14	केरल	केएसईबी लिमिटेड	केएसईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2021 के अनुसार टैरिफ आदेश के अनुमोदन की तिथि 01.04.2023 है।	01.11.2023 से 30.06.2024 तक की अवधि के लिए टैरिफ आदेश, आयोग द्वारा ओपी संख्या 18/2023 में दिनांक 31.10.2023 के आदेश के अंतर्गत जारी किया गया था।	ओपी संख्या 18/2023 में टैरिफ आदेश दिनांक 31.10.2023 की प्रयोज्यता 31.10.2024 तक है।	केरल उच्च तनाव और अतिरिक्त उच्च तनाव औद्योगिक बिजली उपभोक्ता संघ द्वारा दायर WP(C) सं. 19205/2023 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम स्थगन के कारण वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए टैरिफ आदेश में देरी हुई।
15	मध्य प्रदेश	एमपीएमएकेवीवीसीएल एमपीपीयूकेवीवीसीएल एमपीपीएकेवीवीसीएल	याचिका स्वीकार होने के 120 दिनों के भीतर	28 मार्च 2023	4 अप्रैल 2023	शून्य
16	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल (226/2022) एईएमएल–डी (23122) बेस्ट (212/2022) टीपीसी–डी (225/2022) केआरसी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (214/2022) गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड (215/2022) माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड (216/2022) लक्ष्मीपति बालाजी सप्लाई चेन मैनेजमेंट लिमिटेड (220/2022) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (219/2022) ईओएन खराडी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (फेज I) (235/2022) (फेज II) (236/2022)	एमईआरसी एमवाईटी विनियम, 2019 के विनियमन 15.1 में प्रावधान है कि आयोग पूर्ण याचिका प्राप्त होने के एक सौ बीस दिनों के भीतर टैरिफ आदेश जारी करेगा।	31 मार्च 2023	1 अप्रैल 2023	शून्य
17	मणिपुर	मणिपुर स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड (MSPCL)	याचिका स्वीकार होने के 120 दिनों के भीतर	28–मार्च–2023	30–मार्च–2024	
		मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSPDCL)	याचिका स्वीकार होने के 120 दिनों के भीतर	28–मार्च–2023	30–मार्च–2024	
18	मेघालय	मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमईपीडीसीएल)	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 120 दिनों के भीतर तथा जनता/अन्य	11 अप्रैल 2023	1 अप्रैल 2023	शून्य

			हितधारकों से प्राप्त सभी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात			
19	मिजोरम	विद्युत एवं विद्युत विभाग (पी एंड ईडी), मिजोरम	याचिका स्वीकार होने के 120 दिनों के भीतर	28 मार्च 2023	30 मार्च 2023	
20	नागालैंड	विद्युत विभाग, नागालैंड (डीपीएन)	31 मार्च 2023	27 मार्च 2023	1 अप्रैल 2023	टिप्पणी नहीं
21	ओडिशा	टीपीसीओडीएल (पूर्ववर्ती सीईएसयू) टीपीएनओडीएल (पूर्ववर्ती नेस्को यूटिलिटी) टीपीएसओडीएल (पूर्ववर्ती साउथको यूटिलिटी) टीपीडब्ल्यूओडीएल (पूर्ववर्ती वेस्को यूटिलिटी)	31 मार्च 2023	23 मार्च 2023	वित्त वर्ष 2023–24	आयोग द्वारा टैरिफ आदेश विनियमन के अनुसार समय–सीमा के भीतर जारी किए गए।
22	पंजाब	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल)	पीएसईआरसी टैरिफ विनियमन 59 के अनुसार, एआरआर/ट्रू अप को दाखिल करने की स्वीकृति से 120 दिनों के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है (याचिका 21.12.2022 को स्वीकार की गई थी)।	15 मई 2023	वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लागू टैरिफ को 15.05.2023 तक लागू किया गया और नया टैरिफ 16.05.2023 से 31.03.2024 तक लागू किया गया।	आयोग विनियमों में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार टैरिफ आदेश जारी करने का प्रयास करता है। हालाँकि, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा 29.03.2023 को जालंधर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में उपचुनावों की घोषणा के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए टैरिफ आदेश में देरी हुई। आदर्श आचार संहिता 15.05.2023 तक लागू रही। तदनुसार, टैरिफ आदेश 15.05.2023 को जारी किया गया।

23	राजस्थान	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	31 माच 2023	31 मार्च 2023	दिनांक 01.04. 2023 से आयोग के अगले टैरिफ आदेश यानि 31.07.2024 तक	शून्य
24	सिक्किम	ऊर्जा एवं विद्युत विभाग, सिक्किम (ईपीडीएस)	याचिका दायर करने की तिथि से 120 दिनों के भीतर (याचिका दायर करने की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर है)	21 मार्च 2023	1 अप्रैल 2023	
25	तेलंगाना	नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड (टीएसएनपीडीसीएल) साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड (टीएसएसपीडीसीएल)	1 अप्रैल 2023	24 मार्च 2023	वित्तीय वर्ष 2023–24	टिप्पणी नहीं
26	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (टीएसईसीएल)	2023.24	22 सितंबर 2023	जारी होने की तिथि से तत्काल	इस समय कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं।
27	तमिलनाडु	तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएनहीईडीसीओ)	तमिलनाडु विद्युत नियामक आयोग ने 2022 के आदेश संख्या 07/2022 के अंतर्गत दिनांक 09–09–2022 के टी.पी. संख्या 1/2022 में वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए उत्पादन और वितरण के लिए बहुवर्षीय टैरिफ निर्धारित किया है, जो 10–09–2022 से प्रभावी होगा।	01 जुलाई 2023	उपरोक्त एमवाईटी आदेश आदेश जारी होने के अगले दिन से प्रभावी होगा, जो 01 जुलाई 2023 से ही प्रभावी होगा। इस आदेश में निर्धारित टैरिफ और अन्य शुल्क अगले आदेश जारी होने तक वैध रहेंगे।	शून्य
28	उत्तर प्रदेश	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (आगरा डिस्कॉम या डीवीवीएनएल) कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (लखनऊ डिस्कॉम या एमवीवीएनएल) पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (मेरठ डिस्कॉम या पीवीवीएनएल) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (वाराणसी डिस्कॉम या पीयूवीवीएनएल) नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड	28 जून 2023	24 मई 2023	डिस्कॉम को आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ को कम से कम 2 हिंदी और 2 अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करना आवश्यक है। इस प्रकार प्रकाशित टैरिफ टैरिफ के ऐसे प्रकाशन की तारीख से सात दिनों के बाद लागू होंगे और	शून्य

					जब तक उन्हें संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक वे अगले टैरिफ आदेश जारी होने तक लागू रहेंगे। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए टैरिफ आदेश 04 जून 2023 से लागू था।	
29	उत्तराखंड	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल)	याचिका स्वीकार होने की तिथि से 120 दिनों के भीतर अर्थात 27.04.2023	23 मार्च 2023	2023.24	शून्य
30	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल)	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 120 दिनों के भीतर तथा जनता/अन्य हितधारकों से प्राप्त सभी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात	30 मार्च 2023	1 अप्रैल 2023	शून्य

अनुबंध – IV

सीजीआरएफ और लोकपाल के कार्यकलाप

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सीजीआरएफ और लोकपाल के संबंध में रिक्त पदों का सारांश

क्र.सं.	राज्य	सीजीआरएफ की रिक्तियों की स्थिति	लोकपाल के रिक्त पदों की स्थिति
1	असम	रिक्ति नहीं	रिक्ति नहीं
2	आंध्र प्रदेश	लागू नहीं	शून्य
3	अरुणाचल प्रदेश	रिक्ति नहीं	एक रिक्ति
4	बिहार	दो रिक्तियां	रिक्ति नहीं
5	दिल्ली	तीन रिक्तियां	रिक्ति नहीं
6	गुजरात	तीन रिक्तियां	रिक्ति नहीं
7	हरियाणा	रिक्ति नहीं	रिक्ति नहीं
8	हिमाचल प्रदेश	रिक्ति नहीं	रिक्ति नहीं
9	झारखंड	पांच रिक्तियां	तीन रिक्तियां
10	कर्नाटक	तीन रिक्तियां	रिक्ति नहीं
11	केरल	रिक्ति नहीं	रिक्ति नहीं
12	मध्य प्रदेश	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई	
13	महाराष्ट्र	तीन रिक्तियां	रिक्ति नहीं
14	मेघालय	रिक्ति नहीं	रिक्ति नहीं
15	ओडिशा	चार रिक्तियां	रिक्ति नहीं
16	पंजाब	रिक्ति नहीं	रिक्ति नहीं
17	राजस्थान	छह रिक्तियां	एक रिक्ति
18	तमिलनाडु	नौ रिक्तियां	रिक्ति नहीं
19	उत्तराखंड	रिक्ति नहीं	रिक्ति नहीं
20	उत्तर प्रदेश	चार रिक्तियां	रिक्ति नहीं
21	पश्चिम बंगाल	रिक्ति नहीं	एक रिक्ति
22	जेईआरसी मणिपुर और मिजोरम	रिक्ति नहीं	रिक्ति नहीं
23	जेईआरसीएस गोवा और सभी केन्द्र शासित प्रदेश	पांच रिक्तियां	रिक्ति नहीं
24	जेईआरसी जम्मू–कश्मीर और लद्दाख	दो रिक्तियां	रिक्ति नहीं
25	छत्तीसगढ	एक रिक्ति	रिक्ति नहीं
26	त्रिपुरा	रिक्ति नहीं	एक रिक्ति
27	सिक्किम	रिक्ति नहीं	रिक्ति नहीं
28	नागालैंड	शून्य	शून्य
29	तेलंगाना	रिक्ति नहीं	रिक्ति नहीं

सीजीआरएफ द्वारा शिकायतों के निपटान की स्थिति – अप्रैल 2023 से मार्च 2024

क्र. सं.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग / राज्य विद्युत विनियामक आयोग का नाम	सीजीआरएफ का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	2 माह से अधिक पुरानी लंबित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
1	असम	कामरूप (एम) जिला स्तर, कामरूप (आर) जिला स्तर, करीमगंज जिला स्तर, हैलाकांडी जिला स्तर, डिब्रूगढ़ जिला स्तर, मोरीगांव जिला स्तर, गोलाघाट जिला, नागांव जिला स्तर, सोनितपुर जिला स्तर, बोंगाईगांव जिला स्तर, गोलपारा जिला स्तर, कोकराझार जिला स्तर, उत्तर लखीमपुर जिला स्तर, धेमाजी जिला स्तर, जोरहाट जिला स्तर, उदलगुरी जिला स्तर, तिनसुकिया जिला स्तर, राज्य स्तर सीजीआरएफ	18	16	11	14	3	1	23
2	आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल	3	67	579	518	128	41	102
		एपीएसपीडीसीएल		17	163	149	31	3	71
		एपीसीपीडीसीएल		21	292	296	17	13	157
		योग	3	105	1034	963	176	57	330
3	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागुन, पासीघाट, मियाओ, दिरांग, जीरो, आलो, तेजू और सुबू	8	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	बिहार	पेसू पश्चिम, पेसू पूर्वी, पटना, नालन्दा, मुंगेर, गया, औरंगाबाद, आरा, सासाराम, भागलपुर, जम्मूई, दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, बेगुसराय, मोतिहारी, छपरा, समस्तीपुर, किशनगंज और सहरसा	20	207	1931	1871	255	71	2207
5	दिल्ली	टीपीडीडीएल, बीआरपीएल, बीवाईपीएल, एनडीएमसी	4	167	706	680	193	26	242
6	गुजरात	डीजीवीसीएल, सूरत, डीजीवीसीएल वलसाड, एमजीवीसीएल वडोदरा, एमजीवीसीएल गोधरा, पीजीवीसीएल राजकोट, पीजीवीसीएल भावनगर, पीजीवीसीएल भुज, पीजीवीसीएल जूनागढ़, यूजीवीसीएल मेहसाणा, यूजीवीसीएल अहमदाबाद, टीपीएल–डी अहमदाबाद, टीपीएल–डी सूरत और टीपीएल–डी दहेज	13	62	581	598	45	1	308
7	हरियाणा	यूएचबीवीएनएल	2	34	334	327	41	1	140
		डीएचबीवीएनएल		11	177	167	21	0	130
			2	**45**	**511**	**494**	**62**	**1**	**270**

8	हिमाचल प्रदेश	कसुम्ती, शिमला	1	14	25	34	5	Nil	31
9	झारखंड	उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रांची, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, चाईबासा, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, हजारीबाग, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुमका, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, मेदिनीनगर, टाटा स्टील लिमिटेड, टीएसयूआईएसएल, डीवीसी, सेल बोकारो	9	58	39	58	41	26	183
10	कर्नाटक	बेसकॉम, मेस्कॉम, हेस्कॉम, गेस्कॉम, सीईएससी	5	81	262	293	50	42	97
11	केरल	कोट्टाराक्करा, एर्नाकुलम, कोझिकोड, त्रिशूर, केडीएचपीसीएल मुन्नार, सीएसईजेडए कक्कनाड, कोच्चि, केपीयूपीएल कक्कनाड, कोच्चि, आरपीआईएल एर्नाकुलम, कोचीन पोर्ट अथॉरिटी, विलिंग्डन द्वीप, कोच्चि, इन्फोपार्क, कक्कानाड, कोच्चि, स्मार्ट सिटी कोच्चि इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, भ्रमापुरम पी.ओ., कोच्चि	12	70	327	337	60	1	336
12	मध्य प्रदेश	ईसीजीआरएफ जबलपुर, ईसीजीआरएफ इंदौर, ईसीजीआरएफ भोपाल	3	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई					
13	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	11	675	1417	1269	551	231	1588
		अन्य	11	8	125	37	6	1	65
			22	**683**	**1542**	**1306**	**557**	**232**	**1653**
14	मेघालय	मीईसीएल,सीजीआरएफ	2	4	1	2	3	3	5
15	ओडिशा	भुवनेश्वर, खोरधा, कटक, पारादीप, ढेंकनाल, बुरला, बोलांगीर, राउरकेला, बारगढ़, भवानीपटना, बालासोर, जयपुर, बारीपदा, क्योंझर, बेरहामपुर, जेपोर, भंजनगर, रायगढ़	18	903	7435	7699	639	42	1755
16	पंजाब मेघालय ओडिशा	पीएसपीसीएल, पटियाला, लुधियाना	1	5	215	211	9	Nil	55
17	पंजाब	कारपोरेट लेबल – अजमेर, जयपुर, जोधपुर आंचलिक स्तर – जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर (कुल–9)	12	21	147	156	12	4	42
18	तमिलनाडु	चेंगलपट्टू ईडीसी, चेन्नई ईडीसी (उत्तर) चेन्नई ईडीसी (पश्चिम), चेन्नई ईडीसी सेंट्रल चेन्नई ईडीसीध्साउथ–1,चेन्नई ईडीसीध्साउथ–II कोयंबटूर ईडीसीध्मेट्रो, कोयंबटूर ईडीसीध्उत्तर, कोयंबटूर ईडीसी, साउथ कुड्डालोर ईडीसी, धर्मपुरी ईडीसी, डिंडीगुल ईडीसी, इरोड ईडीसी, गोबी ईडीसी, कल्लाकुरिची ईडीसी, कांचीपुरम.ईडीसी, कन्याकुमारी ईडीसी, करूर ईडीसी, कृष्णागिरी ईडीसी, मदुरै ईडीसी, मदुरै ईडीसी/मेट्रो	44	402	4972	4997	377	16	384

		मेट्टूर ईडीसी, नागापट्टिनम ईडीसी, नमक्कल ईडीसी, नीलगिरी ईडीसी, पल्लदम ईडीसी, पेरम्बलुर ईडीसी, पुदुकोट्टई ईडीसी, रामनाथीपुरम ईडीसी, सलेम ईडीसी, शिवगंगा ईडीसी तंजावुर ईडीसी थेनी विद्युत वितरण मंडल तिरुपत्तूर ईडीसी, तिरुवनमलाई ईडीसी, तिरुनेलवेली ईडीसी							
19	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बस्ती, बरेली, चित्रकूट, फैजाबाद, गोंडा, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर, झांसी, केस्को कानपुर, कानपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, कंपनी स्तर केस्को जोन, केस्को सर्किल ईडीसी–I, जोन के केस्को सर्किल ईडीसी–II, जोन के केस्को सर्किल ईडीसी–।।।, जोन के केस्को सर्किल ईडीसी–IV, जोन के केस्को कंपनी स्तर एनपीसीएल, शहरी स्तर एनपीसीएल, ग्रामीण स्तर एनपीसीएल, कंपनी एमवीवीएनएल, जोन बरेली – I, सर्किल ईडीसी शाहजहांपुर जोन बरेली – II, जोन लेसा सीआईएस गोमती – I सर्किल ईयूडीसी– IV जोन लेसा सीआईएस गोमती – ५, सर्किल ईयूडीसी– VII जोन लेसा सीआईएस गोमती – I, सर्किल ईयूडीसी– I जोन लेसा सीआईएस गोमती – II, जोन लेसा ट्रांस गोमती – I, सर्किल ईयूडीसी – VI जोन लेसा ट्रांस गोमती – I,सर्कल ईयूडीसी – जोन वाराणसी–I का सर्किल ईडीसी वाराणसी, जोन वाराणसी– I का सर्किल ईडीसी वाराणसी, जोन वाराणसी–II का सर्किल ईडीसी–I जौनपुर, जोन आजमगढ़ का सर्किल ईडीसी–I आजमगढ़, जोन आजमगढ़ का सर्किल ईडीसी बलिया, जोन मिर्जापुर का सर्किल ईडीसी मिर्जापुर, जोन मिर्जापुर का सर्किल ईडीसी रविदास नगर (भदोही), जोन मिर्जापुर का सर्किल ईडीसी सोनभद्र, जोन बस्ती, जोन बस्ती का सर्किल ईडीसी सिद्धार्थ नगर, कंपनी लेवल पीवीवीएलएल, जोन बुलन्दशहर, जोन बुलन्दशहर का सर्किल ईडीसी हापुड, जोन गाजियाबाद–I, जोन गाजियाबाद–II का सर्किल ईयूडीसी –III गाजियाबाद, जोन गाजियाबाद–III का सर्किल ईडीसी लोनी, जोन मेरठ–I, जोन मुरादाबाद, जोन मुरादाबाद का सर्किल ईडीसी मुरादाबाद, जोन सहारनपुर, जोन मुजफ्फरनगर का सर्किल ईयूडीस मुजफ्फरनगर, जोन नोएडा का सर्किल ईयूडीसी–II नोएडा	56	1813	273	227	1859	1822	335
20	उत्तराखंड	देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर (जी), उत्तरकाशी, कर्णप्रयाग, हलद्वानी, रुद्रपुर, अल्मोडा और पिथोरागढ़	8	240	1715	1663	292	292	पूर्णकालिक
21	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल, सीईएससी, डीवीसी, आईपीसीएल	39	4	0	0	4	4	0

22	(जेईआरसी) मणिपुर और मिजोरम	पी एंड ई विभाग, सीजीआरएफ, मिजोरम	11	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसपीडीसीएल)	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		योग	12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग गोवा	गोवा, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी	6	60	324	349	35	8	228
24	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, लद्दाख	जेपीडीसीएल, जम्मू केपीडीसीएल, श्रीनगर एलपीडीडी, लेह	103	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25	सिक्किम	मंगन, गंगटोक, गेजिंग, नामची, पाकयोंग, सोरेंग	6	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26	छत्तीसगढ	रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, भिलाई	5	36	160	158	38	29	262
27	त्रिपुरा	टीएसईसीएल–सीजीआरएफ–I, सीजीआरएफ–II टीएसईसीएल–सीजीआरएफ–III	23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28	नागालैंड	कोहिमा, मोकोकचुंग	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29	तेलंगाना	टीएसएसपीडीसीएल–I और II, टीएसएनपीडीसीएल– I और II	4	577	1612	1764	425	187	189

लोकपाल द्वारा शिकायतों के निपटान की स्थिति – अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक

क्र. सं.	SERC/ JERCs का नाम	लोकपालों की सं.	मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की सं.	2 माह से अधिक पुरानी लंबित शिकायतों की सं.	वर्ष (अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक) में लोकपाल की बैठकों की सं.
1	असम	1	1	15	9	5	3	37
2	आंध्र प्रदेश	1	1	13	13	1	0	102
3	अरुणाचल प्रदेश	अभी तक नियुक्त नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	बिहार	1	5	95	32	58	40	izR;sd fnu
5	दिल्ली	1	7	55	55	7	3	51
6	गुजरात	2	33	94	112	15	3	134
7	हरियाणा	1	17	83	94	6	9	377
8	हिमाचल प्रदेश	1	13	20	28	5	Nil	25
9	झारखंड	1	9	7	16	9	6	220
10	कर्नाटक	1	28	60	43	45	36	297
11	केरल	1	10	71	68	13	0	73
12	मध्य प्रदेश	1	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई					
13	महाराष्ट्र	2	60	273	301	30	0	263
14	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15	ओडिशा	2	99	234	234	99	73	478
16	पंजाब	1	0	28	27	1	Nil	61
17	राजस्थान	1	शून्य	8	5	3	-	पूर्णकालिक
18	तमिलनाडु	1	21	93	101	13	6	84
19	उत्तराखंड	1	14	55	54	15	4	पूर्णकालिक
20	उत्तर प्रदेश	1	134	115	131	118	108	48
21	पश्चिम बंगाल	2	98	259	219	138	87	236

22	जेईआरसी) मणिपुर और मिजोरम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग गोवा और सभी केन्द्र शासित प्रदेश	1	4	18	20	2	छपस	19
24	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, लद्दाख	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25	छत्तीसगढ	1	16	34	39	11	11	220
26	त्रिपुरा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	सिक्किम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28	नागालैंड	अभी तक नियुक्त नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	तेलंगाना	1	4	65	68	1	0	159

विनियामक फोरम (एफओआर)

सचिवालय: मार्फत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)
8वां तल, टॉवर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर नई दिल्ली-110029
दूरभाष +91-11-26189709

Aggarwal Printinng and Trading - 9810118199